



कृष्णग्रंथ

ग्रामीण विकास को समर्पित


वर्ष 66 अंक : 8

पृष्ठ : 56

जून 2020

मूल्य : 30/-

जिंदगाई और
एक सरकार



प्रधानमंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने का किया आहवान

20 लाख करोड़ रुपये के 'विशेष आर्थिक पैकेज' की घोषणा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई, 2020 को राष्ट्र को संबोधित किया। महाराष्ट्र रो बूडाते हुए आपनी जान गंवा देने वाले लोगों को स्वरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण जो रांकट उभर कर सापेने आया है, यह अप्रत्याशित है, लेकिन इस लडाई में हमें न केवल अपनी रक्षा करने की ज़रूरत है, बल्कि निरंतर आगे भी बढ़ते रहना होगा।

आत्मनिर्भर भारत

कोविड काल से पहले और यद की दुनिया का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी की भारत की सदी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए यह तुनिश्वत करते हुए आगे बढ़ना है कि देश आत्मनिर्भर हो जाए। संकट को एक अवसर में बदलने की बात कहते हुए उन्होंने पीपीई किंव और एन-95 मास्क का उदाहरण दिया, जिनका भारत में उत्पादन लगभग नाश्चय रो बढ़कर 2-2 लाख पीस प्रतिदिन के उच्च-स्तर पर पहुंच गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भूमिकलीकृत दुनिया में आत्मनिर्भरता के मायने बदल गए हैं। उन्होंने खाप किया कि जब भारत आत्मनिर्भरता की दात करता है, तो वह आत्मकंद्रित व्यवस्था की बकालत नहीं करता है। उन्होंने कहा कि भारत की सारकृपि दुनिया को एक परिवर्तन के लिए में मानती है, और भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया को भवेता है कि संपूर्ण नानवता के विकास में भारत का काफी योगदान है।

आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ

नूकंप के बाद ऊछ में मवी तबाही को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दृढ़ राकल्य की बदीलत यह क्षेत्र पिर से अपने पैर पर खड़ा हो गया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टीक इती तरह के दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत इन पांच स्तंभों पर खड़ा होगा: अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं, बल्कि लंगी छलांग तुनिश्वत करती है, तुनियादी दोनों, जिने भारत की पहवान बन जाना चाहिए, प्रणाली (सिस्टम), जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी रांगालित व्यवस्थाओं पर आधारित हो; उत्पादीशील आवादी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी जामों का स्रोत है; और मानव जिसके तहत हमारी मांग एवं आपूर्ति शृखला (रालाई बेन) की ताकत का उपयोग पूरी तरह से किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग बढ़ाने के साथ-साथ इसे पूरा करने के लिए भी आपूर्ति शृखला के जनों हितवारकों को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान

प्रधानमंत्री ने एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की और आत्मनिर्भर भारत बनाने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि निषिद्ध संकट के दौरान सरकार द्वारा इससे पहले को गई घोषणाओं और आर्यों आई द्वारा लिए गए निर्णयों गी जुड़ी राशि को मिला देने पर यह पैकेज 20 लाख करोड़ रुपये का है, जो भारत की जीडीपी के लगभग 10% प्रतिशत के बराबर है। उन्होंने कहा कि यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काफी सहायक सावित होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज नूत्रि, अन् तरलता और कानूनों पर भी फोकस करेगा। यह लुटीर उद्योग, एमएसएमई, गजदूरा, मध्यम वर्ग, उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करेगा।

पिछले छह वर्षों में लागू किए गए जैम ट्रिनिटी जैसे सुधारों के सकारात्मक प्रभाव के बारे में यात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई साहसिक सुधारों की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में कोविड जैसे संकट में कोई भी प्रभाव पड़ने से बचा जा सके। इन सुधारों में कृपि के लिए आपूर्ति शृखला संबंधी सुधार, तक्सगत कर प्रणाली, सारल एवं खाप कानून, साथम नानव तंसावन और एक मजबूत वित्तीय प्रणाली शामिल हैं। ये सुधार कारोबार को बढ़ावा देंगे, जिसका को आर्कित करेंगे एवं मेंक इन डोडियों को और भी अधिक मजबूत करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता देश को वैश्विक आपूर्ति शृखला में कहीं प्रतिशतांश के लिए तैयार करेंगी, और यह आवश्यक है कि देश इस प्रतिशतांश में अद्यश्य ही जीत हासिल करे। पैकेज तैयार करते समय इसे भी व्यान में रखा गया है। यह न केवल विभिन्न संकटों में दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि गुणवत्ता भी सुनिश्वत करेगा। यह पैकेज संगठित और असंगठित दोनों ही श्रेणी के गरीबों, गजदूरों, प्रवासियों इत्यादि को संरक्षित बनाने पर भी फोकस करेगा। उन्होंने कहा कि राकट ने हमें लोकल (रथानीय या खदारी) विनियोग, लोकल बाजार और लोकल आपूर्ति शृखलाओं के विशेष महत्व को रिखा दिया है। संकट के दौरान हमारी जीवन के लक्ष्य एवं व्यवहार का गर्व से प्रधान करने और इन लोकल उत्पादों को वैश्विक बनाने में निर्दद करने का समय था यह।

कोविड के साथ जीना

प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों का मानना है कि यायरस लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बनने जाता है। हालांकि, इसके साथ यह सुनिश्वत करना भी आवश्यक है कि हमारा जीवन केवल दूसरे इर्द-गिर्द ही न धूगला रहे। उन्होंने यानक पहनने और दो गज की दूरी बनाए रखने जैसी सावधानियों तरती हुए लोगों को अपने लक्ष्य तक प्राप्ति के लिए निराम करने के लिए प्रेरित किया।



कुरुक्षेत्र

इस अंक में

घर्ष : 66 ★ सासिक अंक : 8 ★ पृष्ठ : 56 ★ ज्येष्ठ-आषाढ़ 1942 ★ जून 2020



संपादक: धीरज सिंह

संपादक: लक्ष्मिता कुमारा

संस्कृत निवेशक (उपायक): विजोव कुमार गोवा

आयोग: राजेन्द्र कुमार

संस्कृत: गोवा कुमार

संपादकीय कार्यालय

फ्रेंच नं. 655, नृपना भवन, रोडी, ओ. कामलेश्वरा,

त्रिपुरा शेरड, नई दिल्ली-110003

प्रेसाइट: publications@vishwakarma.nic.in

ई-मेल: kuru.kumari@gmail.com

व्यापार प्रबन्धक

दूरभाष: 011-24367453

कुरुक्षेत्र संगठन की दर

एक चारि: ₹ 22, विभाग: ₹ 30, विभाग: ₹ 230,

विभाग: ₹ 430, विभाग: ₹ 610

कुरुक्षेत्र ने प्रकाशित लेखों में यहाँ विचार संख्याएँ और अपने हैं। यह आधारक नहीं कि रातकासी दृष्टिकोण भी यही है। पाठकों से आश्रित है कि कैरियर मार्गांशोंक फिरावी/सास्यान्वी के बारे में विज्ञापनों में किए गए दायें की जाव नहीं है। विज्ञापनों की विवरण-पर्सन् जे लिए कुरुक्षेत्र उत्तरदायी नहीं हैं।

विज्ञापनों की विवरण हेतु इस पर्सन् में इ-मेल करें: helpdesk1.dpd@gmail.com कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक संग्रह के लिए भी इसी इ-मेल पर लिखें गा संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष: 011-24367453 पर संपर्क करें।

संपादक (प्रसाद एवं विभाग)

प्रसाद एवं विभाग अनुभाग

प्रकाशन विभाग

कम्पनी सं. 45 मुमुक्षु बंगल नवगंगा

रोडी, लैंगर, नोडी रोड

त्रिपुरा दिल्ली-110003



सतत कृषि विकास के लिए प्रभावी जल प्रबंधन

डॉ. वाई. एस. शिवे, डॉ. टीकम सिंह 5

जल संचयन को प्रोत्तराहित करती नई इंसाइटकर्नीके

निश्चिप कपूर 12

भारत में वर्षा जल संग्रहण

डॉ. बीरद कुमार 18

भारत में जल संरक्षण एवं कृषि रिंगाई प्रबंधन

गिरिंगेर सिंह महरा, प्रतिभा जोशी 23

आत्मविर्भर भारत अभियान

— 28-31

ई-वाम प्लेटफॉर्म की 1000 मंडियों तक हुई पहुंच

— 32

कोविड-19 से बिपटने हेतु भारत की स्थानीयि

उर्वशी प्रसाद 33

मानव जीवन का काव्याकल्प करता थोग

डॉ. नंदा गुप्ता 37

पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण - एक सिलके के दो पहलू

रुक्मि शर्मा निशोध 42

जल नीवन मिशन से बदलता सामाजिक परिवृथ्य

सतोष कुमार सिंह, रोजु सिंह 47

जल संरक्षण की मिसाल बने स्थानीय प्रयास

कुमार गौव 51

प्रकाशन विभाग ने विक्रय केंद्र

नोडी दिल्ली	मुख्यक दिल्ली, नृपना भवन, रोडीओडी अंगमिलसे, नोडी रोड	110003 011-24367260
दिल्ली	माला नं. 126, पुराना समितालप	110054 011-23800205
नोडी गुरुदे	४१, रोडी-दिल्ली, नृपना भवन, नोडी रोड, बेलाहुर	400814 022-27570686
गोवाकल्पना	४, एसल्पार्क दिल्ली	700069 033-22488030
नोडी	४, दिल्ली, नृपना भवन, नोडी रोड	600050 044-24817873
विक्रमनाथपुरम्	प्रेस रोड, नोडी गवर्नरेट प्रेस को लिवार्ट	605001 0471-2330650
दिल्लीनाथ	कम्पनी नं. 204, दूरभाष इल, नोडीओडी एवं अन्धादिनुज लिफ्ट्स बाबत	500080 040-27535083
बैंगलुरु	फलट नं. ३०३, एस लिफ्ट, नोडी रोड, बैंगलुरु	500034 080-25537244
मुमुक्षु	मिशन संस्कार नोडीप्रेसेंस नोडी रोड, अन्धाका राज्यपाल	500004 0612-2833407
मुमुक्षु	नोडी नं. १, नृपना भवन, नोडी रोड-५, अन्धाका राज्यपाल	226034 0522-2325455
मुमुक्षु	८०० (द्वारा), नोडीप्रेसेंस, अन्धाका रोड-५, नोडीप्रेसेंस, नोडी रोड	300001 079-26688669

आज पूरा विश्व कोविड-19 के प्रकोप से ब्रह्म ६, भारत में दूसरा अधिक नहीं है। इस विश्व कोविड-19 के जनन विश्व के छोटे से अंतराल में ही यह दिया है कि प्रकृति जब अपने रुद्र रूप में आ जाती है तो उसके प्रकोप से बचना बेहद पूर्णकर्ता है। इस दौरान लॉकडाउन को यीन विश्व के कोने-कोने से आसी धौलियों कुट्टेज में हमें गहरे देखने को बचना बेहद पूर्णकर्ता है।

देश में कृषि राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में जल की मात्रा यद्दृशी है किन्तु जल संरक्षणों की आपूर्ति रीमिट है। राष्ट्र भी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से भी अतिरिक्त जल संरक्षणों की उपलब्धता और भी कम हो जाएगी। जल स्रोतों, गृहिणी जल और सातही जल के दृष्टित होने से इस्तेमाल के अन्तराः है पर्योक्ति जल संरक्षणों की उपलब्धता और भी कम हो जाएगी। जल स्रोतों, गृहिणी जल और सातही जल के दृष्टित होने से लागत जल की उपलब्धता और कम हो जाती है। यहाँ सांग जो पूरा करने के लिए न केवल जल संरक्षण वित्तिक सभी क्षेत्रों में जल को दृष्टि होने से लागत जल की उपलब्धता और कम हो जाती है। जल सभी दृष्टित बढ़ने से हमारा वात्सरी परसरों वधने की भी आवश्यकता है। राष्ट्र भी, सभी क्षेत्रों में जल को प्रयोग की दृष्टित करने की भी जरूरत है। जल सभी दृष्टित बढ़ने से हमारा वात्सरी परसरों वधने की भी आवश्यकता है।

देश में वर्षा का वितरण असमान और अनियन्त्रित होने की वजह से अग्नल और रुद्धा पड़ते रहते हैं। देश में यथा आवश्यक पर साल के बाहर गहरा न हो सकता है। इस दौरान वर्षा के पूरे पानी का डुर्लेगल नहीं हो पाता और अप्रभुक्त जल वह जाता है, दूसरी ओर, वाकी गौसम में पानी की मध्यानक तर्ही ही होती है। इस दौरान वर्षा के लिए जल संरक्षण है तो दूसरी तरफ विशाल प्यासे भूख़त। इस तरह प्रकृति ने देश में सिंचाई रहती है। देश में एक ओर तो नदी प्रणालियों के रूप में वहे जल संरक्षण है तो दूसरी तरफ विशाल प्यासे भूख़त। और जल संरक्षण रासायनिकों के शिकार को चलारी बना दिया है। जल संरक्षण एक अनियाधी आवश्यकता है चूंकि वर्षा जल हर समय उपलब्ध नहीं रहता। और जल संरक्षण रासायनिकों के लिए पानी का संरक्षण आवश्यक है। कम पानी और सूखे की समस्याओं से वर्षा जल के संचयन और सिंचाई का अपरिक रासायनिकों के जरिए ही निपटा जा सकता है।

आपुणिक ताकीजे के जरिए ही निपटा जा सकता है। देश में पानी की कमी की सामस्या से निपटने के लिए केवल सिंचाई तो कमता नदाना पर्याप्त नहीं है बल्कि इसके लिए हमें जीवन के हर क्षेत्र में जल की उपयोग की दबाता भद्रानी होगी। समय की माग है कि वर्गीकरण जल और भूमि रांसाधनों का गेहद यिक्षेत्री ढंग से उपयोग किया जाए। अगर हम इस दिशा में प्रयाप्त नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जीवितों का भवित्व खारे में पड़ जाएगा।

इस दिशा गे प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी अनेकाला जाइचा का नामव्यु उत्तर न कर जाएगा। भूजल के अनियन्त्रित सौभाग्य रो देश के गई हिस्सों में भूमिगत जल वत्तर में चित्ताजनक गिरावट आई है। इस स्थिति को सुधारने के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में और सिवाई में जल का बेहद दबाता से उपयोग करना होगा। हमें पानी की हर तरफ की कीमत समझानी होगी और इसके दुरुपायोग को रोकने में अपना धोगदान देना होगा। इसके लिए हमें वाटरशेड प्रवर्धन से लेकर रेन वाटर हार्डिंग तक तकनीकों को अपनाना होगा ताकि गारिश के पानी का इस्तेमाल हम अपनी रसोई से लेकर बायावानी के फायदे में कर सकें। इस प्रक्रिया में हम अपने पूर्जों से बहुत कुछ सीख सकते हैं जिनसे हमें गई परपरागत जल संरक्षण तकनीकों विसरता में भिली है। वर्षा जल का संग्रहण, संरक्षण तथा समुद्रित प्रवाधन आवश्यक है चूंकि यही एकमात्र विकल्प भी है।

भारत में सामुदायिक रस्तर पर एप्पी जल संग्रह की प्राचीन और वैज्ञानिक परंपराएं रही हैं जिसके अंतर्गत देश भर में छोटे-बड़े तालाब, जलाशय, वादही, जोड़ आदि प्रणाए जाते थे और समाज द्वारा इनकी देखरेख भी की जाती थी। देश के विभिन्न भागों में आज भी ऐसी कुछ प्राचीन संरचनाएं दिखा जाती हैं। तालाबों की परंपरा को एक बार फिर से जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है और जल संग्रह की ऐसी रास्तनाएं भी विकसित जी जा रही हैं जिससे भूजल गा स्तर ऊपर उठ सके। सामुदायिक स्तर के साथ व्यापितात स्तर पर भी तालाब बनवाने के काम को प्रोत्साहित किया जा रहा है और फिरानों ने अपने ही खेत के छोटे से भूखण्ड पर तालाब बनाने का काम शुरू कर दिया है जिन्हें खेत तालाब कहा जाता है। वैज्ञानिक विधियों और नक्शोंपा के जरूरि कुछ ऐसी संरचनाएं भी विकसित की गई हैं जो अधिक कुशल और प्रभायी हैं। ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रमों में वर्षा जल संग्रह को शामिल किया जा रहा है जिसके खेती-वितानी का सम्पूर्ण ध्येयांश हो सके।

सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को आग जनता, फिरानों एवं प्रसारकमियों में और अधिक लोकप्रिय बनाने की ज़रूरत है ताकि संरक्षण पूर्ण प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से वैहंतर जल प्रबंधन एवं जल उपयोग दक्षता को अधिक लाभप्रद बनाया जा सके जिससे भावी पीड़ी को पर्याप्त सिंचाई जल के साथ सुरक्षित जल भंडार भी प्राप्त हो सके।

एक अनुमान के अनुसार एक टपकते गल से प्रति सेकंड एक बूद्ध घर्वाद होने से पूरे माह में 760 लीटर पानी थर्थ में ही बह जाता है, सीधे नल से नहाने पर 90 लीटर पानी सर्व होता है और हाथ धोकर नल ठीक प्रकार से बद नहीं करने पर गात्र एक मिनट में 30 बूद्ध पानी और वर्ष में 46000 लीटर पानी थर्थ बला जाता है। यह आकड़े यह बताने के लिए प्रयोग्य है कि पानी की एक-एक बूद्ध घिरनी कीमती है। आज जरुरत इस बात की है कि सामुदाय पानी की उपलब्धता के इस गणित को रामबौ और यह कार्य आग जान की जागरूकता तथा सहभागिता से ही संभव है। भू-जल संरक्षण के लिए देशवासी अग्रिम चलाया जाना जरूरी है ताकि गृहजल का सामुचित नियमन ही सके। भवित्व में हमें इतना पानी नहीं मिल पाएगा जितनी कि हमारी मांग होगी। अकेली सरकार द्वारा कठोर नहीं कर सकती है। यह काम आम जादी के साहित्य से ही संभव है।

रामाज के हर व्यक्तियों को अपने-अपने स्वरूप सामग्री के अनुसार जल संरक्षण अभियान में सहयोग करना चाहिए। अब जलरक्षण इस बात की है कि पूरा समाज इस अभियान से जुड़े राधा मर्सपागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करे। इस रसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जल संरक्षण को हमारे दैनिक जीवन का हिरण्य बनाना चाहती है। इसे एक जन-आदीलत का रूप देकर जनमानस के भीतर जल संरक्षण की अलख जाननी होगी तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के राथ न्याय कर पाएंगे।

होगी तभी हम अपना जान पाला पाकूच्छ के साथ-साथ कर पाएँ।
संवेदन में, हमें गहरा समझाना होगा कि गिरी और पासी सभी की राझी विरामात्र है यिनकी राझी हिफाजत करनी होगी। मानी की एक-एक बूद के संग्रह, संचय, संरक्षण और प्रबन्धन में ही न केवल कृपि गो सतत यिनका सभी कुच्छी छुपी है, मलिका मानव जाति का भविष्य छिपा है चूंकि जल ही जीवन का आधार है।

सतत कृषि विकास के लिए प्रभावी जल प्रबंधन

— डॉ. खाई, एम, एम्बी
डॉ. दीक्षा मिश्र

औदोगिक और परेलू शेत्रों से कही प्रतिशत, जलवाया परिवर्तन से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों के कारण कृषि में जल का हिस्सा अधिक में पड़ने आ रहा है। कम आकृतिक संसाधनों विशेषकर गृष्मी और जल से अधिक से अधिक उत्पादन करने का दबाव बढ़ रहा है। यूपी, जल कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण आगरा है, इसलिए कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए एकपाच सामाजिक समाजान्वयन है। कृषक जल प्रबंधन की नई प्रौद्योगिकियों विशेषकर सूखे के लिए जल्दी से जल्दी अपनाना और उन्नत करना।

वि इस भर में सदा कृषि विकास के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। कृषि में रखायी जल प्रबंधन का उद्देश्य रखना और सभी में वालिया और स्वीकार्य पर्यावरणीय अभावों के साथ मात्रा और गुणवत्ता में जल की उपलब्धता का आवश्यकता के अनुरूप होना है। आगामी वर्षों में लिखित शेत्रों में दृढ़ि होनी, जबकि परेलू-उपयोग और उद्योग की बढ़ती भाग को पूरा करने के लिए कृषि शेत्र से जाले जल की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा, सिंचाई की समता बहुत कम है, क्योंकि प्रयुक्त जल की 40 प्रतिशत से ज्यादा मात्रा का वास्तव में फसलों में उपयोग होता है।

सिंचाई के जल का सतत उपयोग शुष्क और अच-शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए प्राथमिकता है। इसलिए, अभाव की पिकट परिस्थितियों और बदलते जलवाया परिदृश्य के तहत भारत के जनक दुनिया की मानव आबादी के 17.5 प्रतिशत भाग को समृद्ध नू-भाग के नाड़ 23 प्रतिशत हिस्से के द्वारा, भरण-पोषण का एक

बहुत ही तुल्य और मुनीलीपूर्ण कार्य है, जो इसलिए और अधिक कठिन हो जाता है क्योंकि देश के पास वैश्विक जल संसाधनों का मात्र 4 प्रतिशत भाग ही मौजूद है। दूसरी सर्वो वही मानव आबादी के अलावा, देश की दुनिया की पशुधन आबादी के 11 प्रतिशत भाग को पशु भोजन और चारा भी उपलब्ध कराना होता है।

कृषि की तीन प्रमुख आवश्यकीय अधिक उपज देने वाली फसलों, जल और उर्वरकों की घेहतर उपलब्धता ने भारत को खाली आवाहन बनाया है। इसने देश की कृषि उत्पादन प्रणाली को स्थिरता और लक्षीलापन प्रदान किया है। वर्ष 2018-19 में खालील उत्पादन के 285 बिलियन टन (एमटी) से अधिक के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर को छूने के साथ, भारतीय कृषि ने अपनी विशाल आबादी की खाली सुरक्षा सुनिश्चित करने में शानदार प्रगति की है।

अपेक्षाकृत अधिक संपन्न भारतीय आबादी, विशेष रूप से इसके मध्यम वर्ग की नई उमरती हुई मांगों को यह परिदृश्य



1 : सिंह ए. के., 2013; बोर्ड ग्रेडेजर्स : इश्यूज १८ रेटिंग्स, फर्टिलाइजर सेक्टर एट द कास सेङ्स, एफएआई वायिक सेमिनार पेपर, नई दिल्ली, pp-511-31-15

जटिल बनाता है जिसमें पिशुन्द खेती वाले क्षेत्र जिसके 2050 में 143 मिलियन हेक्टेयर से अधिक होने की समावना नहीं है और अनुमानित वर्षा-आपारिति कृषि का वास्तविक नुसाई क्षेत्र जो लगभग 45 प्रतिशत तक सीमित रहना है, यह स्थिति इस कठोर वास्तविकता के कारण अधिक विकट हो जाती है धूकि अत्यधिक उत्पादक कृषि भूमि लगातार उद्योग और शहरी धोनों द्वारा कब्जाई जा रही है। देश 2030 तक खाद्यान्नों के लिए 355 मिलियन टन. स्थानियों के लिए 180 मिलियन टन, दूध के लिए 182 मिलियन टन, मान के लिए 15 मिलियन टन और नछली के लिए 16 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य को कैसे पूरा करेगा जिसके लिए वर्तमान उत्पादन में 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत या अधिक की आवश्यकता होगी और वो भी ऐसी स्थिति में जब प्राकृतिक संसाधनों का आवार लगातार क्षीण होता जा रहा है और जलगायु परिवर्तन जगने कुप्रभावी द्वारा कृषि उत्पादन प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव ढाल रहा है (भाकृज्ञनुप 2011)। इसे प्राप्त करने की कार्यनीतियां जल पर अधिक निर्भर हैं। इसके अलावा, उत्पादन में वृद्धि ग्रीनहाउस गैसों (जीएचजी) के कम उत्सर्जन और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करके हासिल की जानी है। इसलिए, कृषि में विकास कार्यनीतियों को खेतीय जल उपलब्धता, जल बजटिंग और इसके कुशल उपयोग पर केंद्रित होना चाहिए।

स्थायी कृषि स्थान-विशिष्ट पारिवित्तिकी-तत्र के अनुसार खेती का तरीका है और जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। सरल रूप से कहा जाए तो कृषि का

वालिका-1 लेजर द्वारा भूमि समतल करने से फसल उत्पादनमा और जल की बचत में वृद्धि

फसल	अनाज की उपज (टन/हेक्टेयर)		विना लेजर द्वारा समतल करने की तुलना में जल की बचत %
	लेजर द्वारा समतल करने	विना लेजर द्वारा समतल करने	
घान	6.79	6.50	38
गेहूँ	4.75	4.55	20
गन्ना	112.00	98.75	24
ग्रीणकालीन मूँग	0.55	0.38	20
आलू	10.00	9.00	25
चाज	10.00	9.00	20
सुखामुखी	2.25	2.00	20

* स्रोत : पिठे, प. के. 2014, सर्टेनेवल नैनेजमेंट ऑफ गॉटर रिसोर्सेज : इरयूल एवं स्ट्रेटजीज (इन) एकिगरेंट गॉटर नैनेजमेंट ऑफ पार्टेनेवल एकीकरण (रहन, आदर्ज, एवं विवाद, डी.आर.एवं नुसेटिन ऑफ एडिगन सोसायटी ऑफ नायर गाइड 29, PP 1-26)

यह रूप स्थायी कृषि है जिसका उद्देश्य भावी वीडियो के जन्मावार को सकट में छाले बिना वर्तमान ग्रीटी की जलचों को पूरा करना है। इस प्रकार, स्थायित्व हासिल करने के लिए एसमय और प्रणालीगत दृष्टिकोण आवश्यक है। ऐसी प्रणालियों को संसाधन-संरक्षी, सामाजिक रूप से राहायक, व्यावसायिक रूप से प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण की दृष्टि से दुरुस्त होना चाहिए। इस तरह की प्रणालियों का उद्देश्य मानव स्थान्त्रिय और पारिवित्तिकी-तत्र की नुकसान पहुंचाए बिना गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक अन्न का उत्पादन करना है। इस प्रकार, ऐसी प्रणालियां आमतौर पर कृषिम क्षेत्र के तैयार उर्वरकों, कीटनाशकों, पैदावार नियंत्रकों और पशुपन वारे डीयोगजों पर निर्भर रहने की बजाय फसल चक्रण, फसल उद्दोषों पशु खाद, फलिया, हरी खाद, गैर-कृषि जीविक कदम, उपयुक्त यांत्रिक खेती और मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता इनाए रहने के लिए खनिज वाली चट्ठानों पर निर्भर होती है। कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के निम्नलिखित तरीके हैं:

- सरक्षण कृषि, जीविक खेती, एकीकृत पोषक तत्व प्रदान प्रणाली और कृषि अवशेष प्रबंधन के माध्यम से मृदा प्रबंधन
- कुशल जल संसाधन प्रबंधन संकानीकों जैसे सिंचाई की तक्षीविधि, सूखन सिंचाई, जीवन रक्षक सिंचाई, पलवार (मल्टी-एटी-डॉलपाईरेंट आदि) का उपयोग।
- फसल प्रबंधन जिसमें दुधाई का सही समय, उपयुक्त फसलों की खेती और फसलों की किसी की आवर्तन खेती, अंतर-फसल, मिश्रित फसल, एकीकृत कीट प्रबंधन आदि शामिल हैं।

कृषि में यानी फसलों/फसल प्रणालियों में स्थिरता नुस्ख तर्फ से जल की इष्टतम मात्रा और स्वीकार्य गुणवत्ता में उपलब्धता पर निर्भर करती है। कृषि अपनी उत्पादकता बनाए नहीं रख सकती है अगर सिंचाई व्यवस्था टिकाऊ नहीं है और जल की आपूर्ति विश्वसनीय नहीं है। विशेष रूप से जल के अभाव वाले खेतों में सिंचाई के विकास की प्रमुख आवश्यकता जल की उपत को कृन से कम करना है। ऐसे प्रयासों की आवश्यकता है जिनसे अल्पतम जल की उपत वाली किसायती फसलों की खोज हो, जल के प्रयोग के ऐसे तरीके इस्तेमाल हों जो मिट्टी से वाष्णीकरण द्वारा या जड़ की गहराई से परे और भेंडारण या वितरण प्रणालियों से होने वाले जल के नुकसान को कम करें। आजकल, आकर्षित परिवर्तनों और जल संसाधन देने की आवश्यकता है जिससे वे अपनी पारंपरिक अधिक जल की उपत घाली फसलों मसलन चायल-गेहूँ की खेती से गेहूँ-गेहूँ/अरहर-गेहूँ की खेती और पारंपरिक सिंचाई के तरीकों से आधुनिक कम गाम यासी प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों को अपना सकें। अभाव की परिस्थितियों में ऐसी नीतियों को लागू करने के बहुत समय से विपुल ध्वात्स किए जा रहे हैं जिनका उद्देश्य जलधारणा की बढ़ावा है और जो इस दावे पर आवारित है कि कम जल से पेहतर प्रबंधन के माध्यम से



अधिक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। ये हत्तर प्रबन्धन आगहीर पर पिनियोगिता और/या सिंचाई जलवायन में रुचार को दर्शाता है। पहले नम पर्याप्त मूल्य निर्धारण ये निकाट राखता है, जबकि दूसरा, सिंचाई प्रौद्योगिकी को प्रगतर, पश्चात्तरणीय सिंचाई और जल प्रयोग के निर्धारण पर निर्भर करता है। इस प्रवाहर, कृषि उत्पादन में सराहनीय प्रगति को साकार करने में जल प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जल प्रबन्धन पर अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजना, जल प्रौद्योगिकी केंद्र, जल और भूमि प्रबन्धन संस्थान और देश के विभिन्न केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने जल और फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपलब्ध जल-संसाधनों के साता उपयोग में रुचार के लिए विभिन्न कार्यनीतियों और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

भारत के जल संसाधन

भारतीय कृषि में जल की मांग को पूरा करने के लिए वर्षा जल प्राथमिक स्रोत है। भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग तीन चौथाई भाग दक्षिण-पश्चिम मानसून गतिविधि के माध्यम से होता है। वर्षा की शेष मात्रा प्री या पोस्ट और उत्तर-पूर्वी मानसून गतिविधि के माध्यम से आती है। देश में उपयोग योग कुल जल संसाधन 1,123 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) (सतह से 690 बीसीएम और भूजल से 433 बीसीएम) होने का अनुमान लगाया गया है, जो कुल वर्षा का केवल 28 प्रतिशत है। सिंचाई के लिए तगड़ा 80 प्रतिशत जल (688 बीसीएम) को डायर्ट किया जा रहा है, जो कि 2050 तक बढ़कर 1,072 बीसीएम हो सकता है। उपलब्ध जल संसाधनों के आधार पर, सतह और भूजल संसाधनों से कुल सिंचाई क्षमता 139.9 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान है। सिंचाई का प्रमुख स्रोत भूजल है। वार्षिक भूजल मुनर्माण लगभग 433 बीसीएम है, जिसमें 212.5 बीसीएम का उपयोग सिंचाई के लिए और 18.1 बीसीएम का इस्तेमाल घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है (सीजीडब्ल्यूयी 2011)। 2025 तक, घरेलू और औद्योगिक जल के उपयोग की मांग बढ़कर 29.2 बीसीएम हो सकती है। भारत कुल सिंचित 88.1 मीटर प्रति हेक्टेयर (2013–14) सिंचित क्षेत्र के साथ दुनिया के सबसे बड़े सिंचित क्षेत्रों में से एक है, लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय-स्तर पर सिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता को देखें तो यह केवल 3 टन/हेक्टेयर के आसपास है (भारत सरकार, 2017)। सतही सिंचाई प्रणालियों की क्षमता लगभग 30–40 प्रतिशत है जिसका तात्पर्य है कि आपूर्ति किए जा रहे जल का कम से कम 60 प्रतिशत इस व्यवस्था के विभिन्न चरणों में नष्ट हो रहा है।

गुशाल जल प्रबन्धन कार्य प्रणालिया

कृषि में स्थानीय जल प्रबन्धन का उद्देश्य स्थान और समय में वाजिब लागत और स्थीकारी पर्यावरणीय प्रभावों के साथ मात्रा और मुण्डवत्ता में जल की उपलब्धता का आवश्यकता के अनुरूप होना है। जल की मांग प्रबन्धन के तहत सिंचाई का समग्र निर्धारण

(सिंचाई कब करनी है और कितना जल प्रयोग किया जाना है) पर राबरो ज्यादा ध्यान दिया गया है जबकि सिंचाई विधियों (खेत में जल मीरी दिया जाना चाहिए) को मामूली भूमिका दी गई है। कई गान्धीज चौरों फसल की वृद्धि आवश्यक और उसकी जल के अभाव के प्रति संवेदनशीलता, जलवायु परिवर्तनों और मिट्ठी में जल की उपलब्धता निर्धारित करते हैं कि सिंचाई या तथाकथित सिंचाई की आवृत्ति क्या हो। हालांकि, यह आवृत्ति सिंचाई विधि पर निर्भर करती है और इसलिए, सिंचाई का समय निर्धारण और सिंचाई विधि दोनों ही परस्पर संबद्ध हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली (एनएआरएस) ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्थानों और अखिल भारतीय समन्वय अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से सभी रत्नों पर जल उपयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनेक वृद्योगिकियों और कार्य प्रणालियों को विकसित किया है जिनका वर्णन नीचे दिया गया है—

1. लेंगर हारा भूमि समतल करना

भूमि को उचित रूप से समतल बनाना प्रबन्धन के विकल्पों में से एक है जिसे आमतौर पर अधिकांश किसानों द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह जल के उपयोग की क्षमता को बढ़ाता है जिसके कारण अधिक पैदावार होती है और साथ ही जल उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है (तालिका-1)। यह प्राप्त तत्व उपयोग क्षमता पर भी सीधा प्रभाव डालता है।

2. सिंचाई राज्य निर्धारण

सिंचाई का समय निर्धारण निर्णय लेने की वह प्रक्रिया है जिसमें निर्धारित किया जाता है कि फसलों को कब और कितना जल देना है। सिंचाई के प्रभावी समय निर्धारण कार्यक्रम का लक्ष्य गहरे रिशाव या अपवाह जल के नुकसान को कम करते हुए पौधों को पर्याप्त जल की आपूर्ति करना है। यह कृषि उत्पादन के अनुकूलन और जल के संरक्षण का एकमात्र साधन है और यह सिंचाई प्रणालियों के कार्य प्रदर्शन और स्थिरता में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए फसलों की जल की जरूरतों और मृदा जल की विशेषताओं के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए जो यह निर्धारित करता है कि सिंचाई कब करनी है, जबकि सिंचाई विधि की पर्याप्तता सटीक निर्धारण करती है कि कितने जल का प्रयोग करना है। ज्यादातर मामलों में, किसान का कौशल खेत के स्तर पर सिंचाई के समय निर्धारण की प्रभावशीलता को निर्धारित करता है। उपयुक्त सिंचाई के समय निर्धारण से जड़ भाग से बाहर उर्वरकों और कृषि रसायनों के गहरे रिशाव और पहुंच को नियंत्रित किया जाता है, जल-जमाव से बचा जाता है, कम जल का उपयोग किया जाता है (जल और ऊज़ी की गमत)। पौधों की वृद्धि, उच्च पैदावार और ये हत्तर गुणवत्ता के लिए अनुकूलतम् मृदाजल स्थितिया बनाई जाती है और खारे जल के स्तर को बढ़ाने से रोका जाता है। जल की कमी बाले

दोओं ने सिंचाई का समय निर्धारण उन दोओं के फसलों के गुकामले अधिक महत्वपूर्ण है जहाँ प्रचुर मात्रा में जल भीजूट है तरोंकि जल के उपयोग में कोई भी अधिकता अन्य उपयोगकर्ताओं या उपयोगों के लिए जल की कमी का एक संभावित कारण होता है।

सिंचाई की समय निर्धारण तरीकों और उपकरण बहुत भिन्न होते हैं और उपयुक्तता और कार्यसाधकता के अनुरूप उनकी अलग-अलग विशेषताएँ होती हैं। सिंचाई के समय निर्धारण के लिए समय का चयन और पहुंच के मानदंड मृदा जलमापन, मृदा जल संतुलन के अनुमानों और पीढ़ी के दबाव संकेतकों, जलवायु मापदंडों के सरल नियमों या बहुत परिष्कृत मॉडल के साथ संयोजन के आधार पर कई तरीकों का उपयोग करके स्थापित किया जा सकता है।

3. सिंचाई के तरीके

मात्रा और समय के आधार पर फसलों की जल की आवश्यकता निर्धारित होने के बाद सिंचाई के तरीकों से फसलों को जल उपलब्ध होता है। जल के उपयोग की हामता मुख्य रूप से खेत में जल प्रयोग करने के तरीके पर निर्भर करती है। कुशल सिंचाई विधि हमेशा जल के प्रयोग के दौरान जल की क्षति को कम करने का लक्ष्य रखती है। सिंचाई के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए जल के प्रयोग की सही विधि को इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है। सिंचाई की सही विधि का चयन, मिट्टी के प्रकार, भू-भाग की भौगोलिक स्थिति, ऊगाई जाने वाली फसलें, सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की गुणवत्ता और मात्रा और अन्य स्थान विशेष विविधताओं से प्रभावित होता है। विभिन्न सिंचाई विधियों का वर्णन नीचे किया गया है जो विशेष परिस्थितियों में विभिन्न फसलों और फसल प्रणालियों में आमतौर पर उपयोग की जाती हैं।

3.1) घेक वेरियन और बॉर्डर स्ट्रॉप सिंचाई: सतही सिंचाई में खेत की सतह पर गुरुत्वाकर्षण प्रवाह द्वारा जल का प्रयोग होता है। वर्षों से सतही सिंचाई के कई तरीके विकसित किए गए हैं।

उनमें से, सिंचाई का घेक वेरियन तरीका सबसे लोकप्रिय है। घेक वेरियन सबसे आसान और कम खर्चीली विधि है, लेकिन आमतौर पर यह अत्यधिक अप्रभावी है क्योंकि इससे केवल 20 प्रतिशत से कम जल की मात्रा का फसल द्वारा इस्तेमाल होता है। दुमांग्य से, यह विभिन्न फसलों और फसल प्रणालियों में भारतीय किसानों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। किसान सतह पर अत्यधिक मात्रा में जल का प्रयोग भी करते हैं जो इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के उपयोग का एक अक्षम तरीका है। 3.2) नाली (फरो) सिंचाई: सिंचाई की नाली (फरो) विधि का उपयोग आमतौर पर पक्षित फसलों और लब्जियों की सिंचाई के लिए किया जाता है, और उस मिट्टी के अनुकूल होता है जिसमें जल के रिसाव की दर 0.5 और 2.5 सेमी/घंटा के बीच होती है। यह 0.2 से 0.5 प्रतिशत तक की दरानों और 1-2 लीटर/सेकंड की धारा आकार के लिए उपयुक्त होता है। अनेक फसलें जिनमें जल का फलडिंग, घेक वेरियन या बॉर्डर स्ट्रॉप के जरिए प्रयोग किया जाता है, उन्हे आसानी से नाली सिंचाई या इसके साझोधित प्रकार यानी रेसड मेड प्रणाली के लिए अनुकूलित किया जा सकता है और इसके द्वारा सिंचाई जल में 20 से 30 प्रतिशत की बचत हासिल की जा सकती है।

3.3) सर्ज पलो सिंचाई: फरो और बॉर्डर स्ट्रॉप के माध्यम से सिंचाई की कमियां हैं अत्यधिक जलग्रहण और गहरे रिसाव के नुकसान। सर्ज पलो सिंचाई में निरतर या परिवर्तनीय समय अवधि के अंति और गोंक भोड़ की शुरुआत में जल के रुक-रुक कर होने वाले प्रयोग में अतिर्ग्रहण और रिसाव से होने वाली क्षति को घटाने, सिंचाई क्षमता बढ़ाने और सिंचाई जल के संरक्षण की क्षमता है।

3.4) शूहम सिंचाई: सिंचाई के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक शूहम सिंचाई है, जो न केवल जल के उपयोग की क्षमता को सुधारता है, बल्कि फसल उत्पादकता को भी बढ़ाता है। सिंचाई के लिए भूजल का अनियन्त्रित दोहन और जलवायु परिवर्तन के कारण

पालिका-2 : द्विप और भारतीय सतही सिंचाई से पैदावार, कुप्रभावपूर्ण फसलों, लब्जियों और कलों की जल उपयोग क्षमता

फसल	पैदावार (किग्रा/हेक्टेयर)	सिंचाई का जल (सेमी.)	जल उपयोग क्षमता (किग्रा/हेसेमी.)
सतही	सतही	द्विप	सतही
राज्यिया (16)(34 मामलों का औसत)	1722	2383 (38.4%)	64.1 35.3 (45%)
फसल (7 प्रकार) (16 मामलों का औसत)	1611	2851 (77%)	83.3 57.8 (31%)
कपास (3 मामलों का औसत)	238	313 (31.5%)	85.7 41.1 (51.8%)
मूँगफली (4 मामलों का औसत)	354	940 (165.5%)	74.6 51.4 (31%)
गन्ना (7 मामलों का औसत)	10770	13900 (29.1%)	165.1 109.9 (33%)
सभी फसल (64 मामलों का औसत)	2938	4072 (38.6%)	94.56 59.1 (37%)

स्रोत: विह 2014*

वर्षा में व्यापक परिवर्तनशीलता के कारण जल-उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए सूखम सिंचाई को बढ़ाया देना महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रीय सिंचाई को एक संविधानी घटक के साथ केंद्र और राज्य दोनों सरकारी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया है। 2017 तक, सूखम सिंचाई को अंतर्गत आने वाला क्षेत्र लगभग 8.7 मिलियन हेक्टेयर है, जो संभावित क्षेत्र का केवल 13 प्रतिशत भाग है। महाराष्ट्र, झार्खण्ड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात में कुल ड्रिप-सिंचित क्षेत्र का लगभग 85 प्रतिशत भाग है (भारत सरकार, 2017)। सिंप्रकलर सिस्टम के गमने में राजस्वान और हरियाणा शीर्ष पर हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा अपनी क्षमता की तुलना में बहुत पिछड़ गए। हालांकि, इन राज्यों में भूजल विकास 100 प्रतिशत से अधिक है। 2006 में, भारत सरकार ने सूखम सिंचाई के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) शुरू की। 2010 में, सीएसएस के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया गया और उसे सूखम सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएमआई) का नाम दिया गया, जिसे गांव में स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत लाया गया। वर्ष 2015 में, एनएमएमआई को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमके एसयाई) के तहत एक योजना के रूप में लाया गया। इस योजना में सिंचाई आपूर्ति शृंखला के लिए शुरू से अंत तक समावान प्रदान करने का प्रावधान है। सूखम सिंचाई से अधिक जल-उपयोग क्षमता प्राप्त करने में गदद मिलती है, जिससे भूजल द्वारा पर दबाव कम होता है और साथ ही, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है। सूखम सिंचाई में दोनों, सांग और आपूर्ति- की प्रबंधन साधन के रूप में कारों करने की क्षमता है। हालांकि, लगभग मात्र 15 प्रतिशत संभावित क्षेत्रों को सूखम सिंचाई के तहत लाया जा सकता है जिसमें कार्यप्रणाली में सुधार हो सकता है (सुरेश और सेमुअल, 2020)। उत्पादकता और जल उपयोग क्षमता को बनाए रखने के लिए सूखम सिंचाई को जल अभावग्रस्त क्षेत्रों और अस्थिर जल दौहन वाले क्षेत्रों में लोकप्रिय किया जाना चाहिए। सूखम सिंचाई में मुख्य रूप से ड्रिप सिंचाई और सिंप्रकलर सिस्टम जल प्रयोग शामिल है।

3.4.1) सिंप्रकलर सिंचाई: सिंप्रकलर सिंचाई प्रणाली प्राकृतिक वर्षों का अनुसरण करती है। जल को पाइपों के जरिए पप किया जाता है और फिर फसलों पर धूमने वाले सिंप्रकलरों से छिड़काव किया जाता है। ये प्रणालियां सतही सिंचाई की तुलना में अधिक कुशल हैं। हालांकि इनमें दबावधुक्त जल की आवश्यकता होने के कारण इन्हें लगाना और संचालित करना अधिक महंगा है। पारंपरिक सिंप्रकलर सिस्टम जल के हवा में से करते हैं पर इसमें वाष्पीकरण के कारण काफी मात्रा में जल की क्षति होती है। लो एनजी प्रिसिशन एलीफेशन (एलइपीए) एक अधिक प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। इस प्रणाली में जल को ऊपर टूथू से फसलों तक पहुंचाया जाता है जो सिंप्रकलर के हत्थे से फैलता है। जब जल की वस्तु वाली उभित कृषि तकनीकों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, तो एलइपीए 85 प्रतिशत तक क्षमता प्राप्त कर

सकता है। घूंफे यह विधि कम दबाव में संचालित होती है, इसलिए यह पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में ऊजी लागत में 20 से 50 प्रतिशत तक की बचत करती है।

3.4.2) ड्रिप सिंचाई: जल की बचत और पैदावार के संबंध में सिंचाई की ड्रिप विधि के गुरुत्वाकर्षण संचालित सतही सिंचाई विधियों की तुलना में अनेक लाभ है (तालिका-2)। ड्रिप और माइक्रो-सिंप्रकलर सिंचाई प्रणाली में जल मिट्टी की सतह पर या नीचे धीरे-धीरे सतह या निरंतर टपकता है या पौधों की कतारों के साथ-साथ जल वितरण लाइन में लगे एमिट्स या एल्बीकेट्स के द्वारा छोटी धाराओं, या लघु स्प्रे से दिया जाता है। अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में इसे अक्सर अधिक प्रसाद किया जाता है क्योंकि इसकी जल प्रयोग क्षमता बहुत अधिक (90 प्रतिशत) है (राजपूत और पटेल, 2006) और यह जल उत्पादकता बढ़ाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक साधित हुई है। ऐसे प्रमाण हैं कि भूमि-भांति डिजाइन की गई और प्रबंधित ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जल की उपयोग क्षमता 100 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। सिंचाई की ड्रिप विधि भूजल के अति-दोहन को कम करने में गदद करती है जो आशिक रूप से सिंचाई की सतही विधि से होने वाले जल के आप्रभावी उपयोग के कारण होता है। सिंचाई की ड्रिप विधि के कारण जल भरव और मिट्टी की लवणता जैसी समस्याएं भी पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। यह फसलों के जल्दी तैयार होने, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन, फसल की पैदावार में बढ़ोत्तरी और उर्वरक उपयोग की वैहतर क्षमता, खरपतवार की वृद्धि में कमी, कम श्रम की आवश्यकता और कम विजली की खपत, खेती के आदानों, विशेष रूप से उर्वरकों, श्रम, जुताई और निराई में लागत पटाता है।

3.4.3) फटिंगेशन: सिंचाई प्रणाली के माध्यम से उर्वरकों का प्रयोग (फटिंगेशन) आधुनिक सिंचित कृषि में एक आम चात हो गई है। स्थानीय सिंचाई प्रणालियां, जो जल के प्रयोग के लिए अत्यधिक प्रभावी हो सकती हैं, फटिंगेशन के लिए भी उपयुक्त हैं। इस सिंचाई प्रणाली के माध्यम से घुलनशील उर्वरकों को फसलों द्वारा आवश्यक सांदर्भ में नम मिट्टी में लगाया जाता है। इसके रामायित नुकसान में सिंचाई डिजाइन या संचालन के अपर्याप्त होने की दशा में रसायन या असमान वितरण, सिंचाई के वास्तविक फसल आवश्यकताओं पर आधारित नहीं होने और घुलनशील उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण असि-निषेधन शामिल हैं।

3.4.4) सबसारफेरा ड्रिप सिंचाई: सबसारफेरा (उपसतह) ड्रिप सिंचाई (एसडीआई) एक कम दबाव, कम मात्रा वाली सिंचाई प्रणाली है जिसमें जल का प्रयोग करने के लिए जमीन में दबी ट्यूबों का उपयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाने वाला जल बाइल मेट्रिक्स सवशन द्वारा ट्यूबों से बाहर आता है। ट्यूब के चारों ओर गीलापन हो जाता है और मिट्टी में सभी दिशाओं में जल निकल जाता है। एसडीआई के संभावित लाभ है क) जल संरक्षण, ख) वैहतर उर्वरक क्षमता, ग) जल का सामन और अत्यधिक प्रभावी

प्रयोग, घ) सतह रिसाव की समस्याओं और तापीकरण के नुकसान को खत्म करना, छ) लगातार और हल्की सिंचाई प्रदान करने की सुविधा, ज) रोगों और खरपतवार की समस्याओं में कमी य) संचालन के लिए कम दबाव की आवश्यकता। सबसरफेस सिंचाई लगभग सभी फसलों के लिए उपयुक्त है, विशेष रूप से उम्दा किस्म के फल और सब्जियों, घास के गेदानों और लैड्स्केप के लिए। बाजार में कई तरह की ट्यूब उपलब्ध हैं, यिल्ट इन एमिटर बाली फीई ट्यूब या डिब्रियुक्ट ट्यूब जिनमें ट्यूब की पूरी लंबाई में से जल रिसाव है। ट्यूब को भिट्ठी की सतह के नीचे खाई खोदकर या ट्रैकटर द्वारा खींची जाने वाली विशेष मशीन द्वारा रथापित किया जाता है। सतह के नीचे ट्यूबों को किस गहराई तक डाला जाए यो निम्नर करता है भिट्ठी की विशेषताओं और फसल की प्रजातियों पर, सब्जियों और खेतों की फसलों के लिए 15–20 सेमी, से लेकर पेड़ की फसलों के लिए 30–50 सेमी। गहराई तक उन्हें डाला जाता है। इस सिंचाई विधि के प्रमुख दोष हैं— प्रारंभिक रथापना की उच्च लागत और ट्यूबों में अवरोध की संभावना, खासकर जब खराब गुणवत्ता वाले जल का उपयोग किया जाता है।

3.5) जलाभाव सिंचाई के तरीके : शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में, जल की उपलब्धता आमतौर पर सीमित होती है, और निश्चित रूप से फसल के लिए जल की कुल आवश्यकता और अधिकतम पैदावार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इस अवस्था में सिंचाई की कार्यनीतियाँ फसल के लिए जल की संपूर्ण आवश्यकताओं पर आधारित नहीं होनी चाहिए, विलिक महत्वपूर्ण या संवेदनशील विकास चरणों से लेकर जल के अमाव के आधार पर घन्त के अधिक प्रभावी और तर्कसंगत उपयोग के लिए तैयार की जानी चाहिए। इस प्रकार, गैर-संवेदनशील विकास चरणों में सिंचाई को रोक दिया जाता है जिसे जलाभाव सिंचाई कहा जाता है।

3.5.1) व्यवरिधत जलाभाव सिंचाई: व्यवरिधत जलाभाव सिंचाई (आरडीआई) एक अनुकूलन कार्यनीति है जिसके तहत फसलों को कुछ हद तक जल की कमी और उपज में कमी को बनाए रखने दिया जाता है। व्यवरिधत जलाभाव सिंचाई के दौरान फसल एक


निश्चित आवधि के दौरान या पैदावार के समूचे अरसे के दौरान एक स्तर तक जल के अभाव का सामना करती है। आरडीआई का मुख्य उद्देश्य ऐसी सिंचाईयों को हटा देना है जिनका उपज पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है जिसके परिणामवश फसल की जल उपयोग क्षमता घटती है और वानस्पतिक विकास (फलों के आकार और गुणवत्ता में सुधार) पर नियंत्रण बहतर होता है। जल की कमी का सामना करने के लिए आरडीआई एक रथायी तरीका है जिसके अनुमता जल की कमी से जल की बचत, रिसाव और अपवाह पलाटाव के प्रवाह पर नियंत्रण और उर्वरकों तथा कृषि रसायनों की क्षति में कमी होती है; यह लवणता का सामना करने के लिए शौश्न की जरूरतें प्रदान करता है और अनुकूलन का नज़रिया आर्थिक व्यवहार्यता की ओर ले जाता है। जलाभाव सिंचाई को अपनाने का अर्थ है फसल वाष्पोल्सर्जन (ईटी) की उपयुक्त जानकारी, जिसमें जल की कमी के लिए फसल की प्रतिक्रिया, महत्वपूर्ण फसल के विकास के चरणों की पहचान और उपज में कमी की कार्यनीतियों के आर्थिक प्रभाव शामिल हैं।

3.5.2) जड़ों को आर्थिक रूप से सुखाना: जड़ों को आर्थिक रूप से सुखाना (पीआरडी) एक नई सिंचाई तकनीक है, जो पहले अंगूर की बेल पर प्रयुक्त की गई। इसमें जड़ों के आधे भाग को सूखाने या सूखने की विधि में लाया जाता है जबकि अन्य आधे भाग को सिंचित किया जाता है। जड़ों के गीले और सूखे भागों की 7–14 दिन के चर्चा पर अदला-बदली की जाती है। पीआरडी वानस्पतिक और प्रजनन वृक्षों के वीच संतुलन हासिल करने के लिए जल के अभाव के प्रति पीड़ों की जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करता है। पीआरडी को सफलतापूर्वक अंगूर की बेल में ड्रिप सिंचाई के साथ प्रयुक्त किया गया है, अंगूर की बेल में उपस्ताह सिंचाई और यहां तक कि नाशपाती, साइट्रस और ग्रेपवाइन में भी नाली सिंचाई के साथ प्रयुक्त किया गया है। रेषों के आर्थिक बदल होने और सूखने की अवधि के दौरान वाष्पोल्सर्जन (ईटी) को कम करने से जल उपयोग क्षमता में सुधार हुआ।

4. कृषि विज्ञान विधियाँ

कृषि विज्ञान विधियाँ जैसे मृदा प्रबंधन, उर्वरक अनुप्रयोग, और रोग एवं कीट नियंत्रण कृषि में रथायी जल प्रबंधन और पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित हैं। फसल उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ जल उपयोग क्षमता को बहतर बनाने के लिए ये प्रथाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जल संरक्षण (अपवाह नियंत्रण, मृदा रिसाव की दर में सुधार, मृदा जल वाष्पीकरण पर नियंत्रण) और कृषि में करण नियंत्रण के लिए बड़ी संख्या में पारपंक्तिक और आधुनिक मृदा और फसल प्रबंधन

सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र कवरेज (2018–19)





विधिया गोजूद है। कुछ महत्वपूर्ण कृषि विज्ञान विधियों की, जो जल उपयोग क्षमता को बढ़ाती है, नीचे चर्चा की गई है:

कंट्रूस जुताई: मूदा की जुताई भूमि की ढलान के साथ की जाती है और मिट्टी को छोटी-छोटी नालियों और मेडों के साथ छाड़ दिया जाता है जो अपयोग को रोकते हैं। यह तकनीक कटाव को नियंत्रित करने के लिए भी प्रभावी है और इसे परिस्ति में लगी फसलों और छोटे अनाज पर प्रयुक्त किया जा सकता है बशते कि खंड की ढलान कम हो। यह वर्षा जल के बेहतर उपयोग को बढ़ाने की तकनीकों में से एक है, खासकर दर्पा—आधारित क्षेत्रों में।

बौद्धी बगारी रोपाई: बौद्धी बगारियों में फसल की जुताई और सिंचाई नालियों में की जाती है। यह विधि 30–40 प्रतिशत जल बचाने में मदद करती है और आमतौर पर पास—पास रोपी गई फसलों और परिस्ति में लगी वागवानी फसलों के लिए उपयुक्त है।

संरक्षण जुताई (सीटी): सीटी में जुताई नहीं होती और रोपण में मिट्टी की सतह पर फसल अवशेष बचे रहते हैं। फसल अवशेष पलवार (मल्ट्य) का काम करते हैं, वाष्ठीकरण के नुकसान को कम करते हैं और चर्चा की दृटों के प्रतिक्षेप प्रहार रोपी की रक्षा करते हैं, इस प्रकार मिट्टी पर पपड़ी जगने (क्रिटिंग) और पोरों को बद्द होने से रोकने (रीलिंग) वाली प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। सीटी से मिट्टी में जैविक पदार्थों के उच्च—स्तर फों बनाए रखने में मदद मिलती है इस प्रकार यह मिट्टी के रिसाव को सुधारने और कटाव को नियंत्रित करने में अत्यधिक प्रभावी है जिसके परिणामस्वरूप जल उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है।

पलवार (गल्न): मिट्टी की रातह पर फसल के अवशेषों की पलवार से मिट्टी को ओट मिलती है, जल का प्रवाह धीमा होता है, रिसाव की स्थिति में सुधार होता है, वाष्ठीकरण से होने वाला नुकसान कम होता है, खरपतवारों के नियंत्रण में योगदान मिलता है और इस प्रकार गैर—लाभकारी जल का उपयोग होता है।

जैविक छादों का रायोजन: मिट्टी की ऊपरी परतों में जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाना या बनाए रखना मिट्टी के बेहतर जामाव, मिट्टी की सतह पर कम पपड़ी जगने या पोरों को बद्द होने को घटाता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है।

मिट्टी या हाइड्रोफिलिक यौगिक का संयोजन: यह तकनीक मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाती है और गहरे रिसाव को नियंत्रित करती है। इस प्रकार, कम जलधारण क्षमता वाली मिट्टी में जल की उपलब्धता बढ़ जाती है।

आम्लीयता का नियंत्रण: उच्च अम्लीयता (पीएच) वाली मिट्टी में धूने के प्रयोग से जड़ें अधिक सघन और गहरी होती हैं, फसल

गी वृद्धि बेहतर होती है और मिट्टी के बेहतर जामाव में योगदान मिलता है जिससे मिट्टी की जल उपलब्धता बेहतर होती है।

खरपतवार नियंत्रण तथा: विभिन्न फसलों और फसल प्रणालियों में जल के उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए खरपतवारों द्वारा जल और वाष्ठोत्तर्जन के नुकसान को घटाने हेतु उपयुक्त खरपतवार नियंत्रण तकनीकों को अपनाना एक बहुत गहत्वपूर्ण कृषि विज्ञान विधि है।

एकीकृत गौरे प्रबन्धन (आईपीएम): आईपीएम तकनीक जा उद्देश्य फसल उत्पादकता बढ़ाना है, जिसमें जल, उत्तरक आदि की रामान मात्रा होती है। गौरे विभिन्न फसलों और फसल प्रणालियों को गौरे नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि, विभिन्न फसलों के गौरे गौरों और रोपों का समय पर नियंत्रण न केवल फिसानों के लिए सत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाएगा, बल्कि जल उपयोग क्षमता और जल सत्पादकता में भी वृद्धि करेगा।

निष्पत्ति

औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों से कई प्रतिस्पर्धी और ग्लोबल गर्मिंग और जलवायी परियोजन से जुड़े प्रतिकूल प्रभावों के कारण कृषि में जल का हिस्सा भवित्व में घटने जा रहा है। कम प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर भूमि और जल से अधिक रोपिक उत्पादन करने का दबाव बढ़ रहा है। चूंकि, जल कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक है, इसलिए कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के लिए एकमात्र व्यवहार्य समाधान है कुराल जल प्रबन्धन की नई प्रौद्योगिकियों को प्रशिपकर सूक्ष्म विज्ञाई को जल्दी से जल्दी अपनाना और उन्नत करना।

(दू. चाई. एस. शिंगे डिजीजन औफ एप्लोनीमी, आईसीएआर—भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में प्रायग पैज़ानिक और दू. ठीकांग शिंग वरिसा वैज्ञानिक है।)

ई—मेल: yashhvay@hotnall.com
tiku-agron@yahoo.co.in

जल संचयन को प्रोत्साहित करती नई सिंचाई तकनीकें

- गिरिधर चट्टा

सिंचाई की आधुनिक तकनीकों ने देश की कृषि व्यवस्था को रमाटे एकलचर जी और प्रेरित किया है। वेब-आधारित सिंचाई, सूखम सिंचाई प्रणालियाँ और उपक सिंचाई प्रणाली में जल के गानक प्रयोग से जल संरक्षण को भी एक नई दिशा मिलेगी। आज जावश्यकता है कि इन आधुनिक सिंचाई प्रणालियों की पहुंच कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य विद्यालयों के जरिए देश के शुद्ध जलों, गांगीण जलों और अन्य चुनौतीपूर्ण जलों में रुनिशित की जाए ताकि कियाना को इनका रीधा लाभ मिल सके।


फिक्की-ग्रांट थॉर्नटन स्ट्रैटेजी पेपर, 2016 के अनुसार, 70 फीसदी उपयोग होता है वही 90 फीसदी उपयोग, उपयोग संबंधी अन्य कारणों से होता है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि वर्ष 2025 तक लगभग 3.4 अरब लोग पानी की कमी वाले देशों में रह रहे होंगे। इसमें कोई अन्य नहीं है कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जिसमें 'पानी की कमी' की प्रासंगिकता सर्वव्यापी है, विशेष रूप से तब, जब विश्व जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने की तैयारी कर रहा है।

भारत में, खाद्यान्न उत्पादन काफी हद तक सिंचित कृषि के माध्यम से ही संभव है और उसी पर निर्भर है। लोकिन 50 प्रतिशत से अधिक खेती योग्य भूमि, जो 80 प्रतिशत से अधिक योग्य अनाज, दालें, तिलहन, फल और सब्जियां पैदा करती है, मानसून पर निर्भर रहती है। वर्षांच्छादित जलों में इस तरह की जमीन पर अब मानसून विचलन के कारण अनिश्चितताएं सढ़ती जा रही हैं जिससे मृदाक्षरण, पोषक तत्वों की कमी और भूजल में अधिक गिरावट जैसे परिणाम सामने आ रहे हैं। भविष्य में जल-संसाधनों के विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग से कृषि उत्पादन को बढ़ाना सभी की प्राथमिकता है। भारत सरकार की 'उचलिंग ऑफ फार्मर्स' इनकम राशित की सिफारिशों में भी यह अवलोकन किया गया कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पानी के वैज्ञानिक अनुप्रयोग और सभी के लिए समान जल वितरण को सुनिश्चित

करना होगा और पानी को बर्तावी रो भी बढ़ाना होगा। जिससे वेहतर फसल उत्पादन प्राप्त किए जा सके।

देश में जल संरक्षण और वैज्ञानिक पहुंचियों से रिचाई प्रबन्धन के लिए रामाधान के रूप में भारत सरकार का एक व्यापक कार्यक्रम 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' एक शुरूआत है। इस योजना में 'प्रति कूप अधिक फसल' की दृष्टि से सूखम सिंचाई प्रणालियों जैसे सिंकलर, ड्रिप, पियोट्रा, रेन-गन आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनके तहत फसलों के जड़ बोत्ते को लकित तरीके से जल उपलब्ध करा जाए रही या रमाटे फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

सूखम सिंचाई के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा, जिस पर व्यापक कार्य किया जा रहा है, यह है— जल संचयन एवं भूलारण रांचनाओं जैसे तालाबों, टैकों, चेकड़ैम, इंजेक्शन गुर्झों आदि के निर्माण के साथ सूखम सिंचाई का अभियान। जलभूतों को आधेशित करने के लिए शोधित एवं महत्वपूर्ण भूगियत जल जलों में संवर्धित वनीकरण एवं इन-सीटू नगी रांचण योजनाएं संचालित हो रही हैं। हरियाणा सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (गनरेगा) और एकीकृत जलग्रहण यिकास कार्यक्रम के अंतर्गत जल संचयन रांचनाओं के निर्माण के साथ-साथ सूखम सिंचाई प्रणालियों के प्रसार के लिए 36 से अधिक शोधित एवं संकटपूर्ण सामुदायिक ब्लॉकों की पहचान की है। इसने राज्य के सभी श्रेष्ठों के किसानों के लिए 85 प्रतिशत पर एक सागर संस्करणी



सब-सार्केस ड्रिप इरिपेशन तकनीक जिसमें पानी की जाती स्थित में जल पैदा किया जा सकता



गृदा-नमी पर आघारित स्मार्ट रोसर सुकरा रखवालित ड्रिप सिचाई प्रणाली

के माध्यम से विशेष प्रोत्साहन देने की पेशकश की है।

सूख सिचाई के माध्यम से जल के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि सामाजित राज्यों में छोटे और सीमर्त किसानों के वीच प्रभावी प्रशिक्षण और जागरूकता पैदा की जाए। तथ्यमें महत्वपूर्ण है फसल संरखण और विविधीकरण जिसमें “ग्रीन बॉटर” तकनीकों जैसे कि भूमि समतलन, फील्ड बिडिंग, जीरो टिल्सेज के प्रयोग से पानी के संरक्षण और उपज बढ़ाने में मदद मिलती है।

कृषि विज्ञान केंद्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण समुदाय, किसानों और विशेष रूप से सुदूर सामुदायिक ब्लॉकों में ग्रीन बॉटर तकनीकों का प्रभावी प्रदर्शन सुनिश्चित किया जाए। इस दिशा में, पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल संरखण बढ़ाने के लिए 225 जिलों में शुरू की गई जल शक्ति योजना को अंतर्गत “जल शक्ति अभियान” एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ जल संरखण, संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से कुछ आधुनिक सिचाई प्रणालियों का उल्लेख किया जा रहा है, जिनका प्रयोग देश के लिए आवश्यक है। इसके लिए किसानों में व्यापक जागरूकता और पात्रता का विकास भी आवश्यक है।

स्मार्ट रोसर-युक्त रखवालित ड्रिप सिचाई प्रणाली

रखवालित ड्रिप सिचाई प्रणाली : स्वानी विवेकानंद कृषि अभियानिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायगुरु के वैज्ञानिकों ने गृदा-नमी पर आघारित स्मार्ट रोसर-युक्त रखवालित ड्रिप सिचाई प्रणाली का विकास किया है। इस प्रणाली में गृदा की नमी को आधार बना कर सेंसर तकनीक विकसित की गई है, जिससे आवश्यक-त्तर तक मिट्टी में नमी बनी रहती है और फलों को अधिक से अधिक गृदा नमी का लाभ मिलता है। अल्प लागत वाली इस ड्रिप सिचाई पद्धति में मिट्टी में उपलब्ध नमी वांछित रसर से कम होने पर सिचाई रखते प्रारंभ हो जाती है, जिससे फसलों में पानी की कमी नहीं होती और बेहतर उपज होती है। स्मार्ट रोसर से गृदा होने के कारण इस प्रणाली में सिचाई जल की कमी नहत होती है।

मिट्टी की नमी-आघारित इंटेलिजेंट मॉनीटरिंग स्मार्ट सेंसर युक्त रखवालित टपक सिचाई प्रणाली का प्रियंक दो वर्ष में

सफलपूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। यह रोसर सिरटम विद्युत चालकता सिद्धांत पर काम करता है, जिसके तहत विद्युत प्रगाह कुछ मिली सेकंड के अंतराल पर मिट्टी में प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित विद्युत तरंग के विश्लेषण से मिट्टी में उपलब्ध नमी की मात्रा के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। मिट्टी ने उपलब्ध नमी वांछित स्तर से कम होने पर टपक सिचाई पद्धति रखते काम करने लगती है जिससे खेत में बांधित-नमी बगी रहती है। रखवालित ड्रिप सिचाई प्रणाली पर विगत दो वर्षों से विभिन्न सब्जी-बगीय फसलों में सफल परीक्षण किया गया है।

उप-सतह टपक सिचाई तकनीक

वैज्ञानिक उप-सतह टपक सिचाई या सबसार्केस ड्रिप इरिशेशन तकनीक पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें धान किया गया है कि पानी की आधी खपत में धान पैदा किया जा सकेगा। धान पैदावार वाले क्षेत्र में यह तकनीक कारगर साधित होगी। जलवायु स्मार्ट कृषि भौल के तहत उप-सतह टपक सिचाई से धान, मक्का और गेहू की फसल लेने का प्रयोग करनाल स्थित केंद्रीय गृदा लवण्यांतर्नुसंधान संस्थान में हो रहा है। इस प्रयोग में पानी की खपत में 50 फीसदी और लागत में 20 फीसदी की कमी होती ही गई है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि धान की खेती में 50 प्रतिशत तक पानी की बचत का यह प्रयोग देश में घहली बार किया गया है। इस परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहू सुधार केंद्र भी सहभागी है।

यह विशिष्ट टपक सिचाई तकनीक का ही आधुनिक स्वरूप है। टपक सिचाई तकनीक में पानी की पाइप लाइन को जमीन की सतह के ऊपर रखा जाता है और सिचाई के बाद हटा दिया जाता है। इस तकनीक में पाइप लाइन जमीन की सतह से 15 सेटीमीटर की गहराई में विछाई जाती है। यदि धान और गेहू की फसल लेनी है तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेटीमीटर होती है। मक्का और गेहू की फसल लेनी है तो यह दूरी 85 सेटीमीटर तक हो जाती है। जमीन के नीचे जो लाइन विछाई जाती है, उसमें हर 20 सेटीमीटर की दूरी पर छिप रखा जाते



सिचाई तकनीक में पानी की पाइप लाइन को जमीन की सतह के ऊपर रखा जाता है और सिचाई के बाद हटा दिया जाता है।

एग्रीबोट ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव से पानी की बचत और टिङ्गी दल पर नियंत्रण

अब जल्दी ही देश के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन से होता नज़र आए तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। देश में एग्रीबोट नामक ड्रोन के खेतों में पर्येक्षण किये जा रहे हैं। जल की सीमित मात्रा के साथ कीटनाशक का छिड़काव एग्रीबोट ड्रोन की बड़ी खूबियों में से एक है। कीटनाशक के छिड़काव में जहाँ एक एकड़ खेत में 400 लीटर तक पानी लगता है, वहाँ एग्रीबोट के उपयोग से 8 लीटर पानी में छिड़काव किया का सकता है। हर एकड़ पर एक साल में करीब 10 बार कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। इस हिसाय से प्रति एकड़ एक साल में करीब 3920 लीटर पानी की बचत होती है। भारत में करीब 39 करोड़ एकड़ खेती की जमीन है। अगर कीटनाशक का छिड़काव ड्रोन से अनिवार्य कर दिया जाए तो सालाना करीब 1.5 लाख करोड़ लीटर पानी बचाया जा सकता है।


टिङ्गी को नियंत्रित करने के लिए भी एग्रीबोट ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। टिङ्गी दल के आतंक के बीच, जनवरी 2020 में ड्रोन ने 16 दिन में लगभग 500 हेक्टेयर जमीन पर स्प्रे किया और क्षेत्र को टिङ्गी से मुक्त करवाया। टिङ्गी दल पर ड्रोन से स्प्रे प्राप्त: 5 बजे शुरू हो जाता है और शाम को पुनः स्प्रे किया जाता है। एक हेक्टेयर जमीन पर स्प्रे करने में ड्रोन को करीब 3 मिनट का समय लगता है। इस अल्प-समय में ही अच्छा परिणाम मिलता है और 99 प्रतिशत टिङ्गी करीब 10 मिनट में ही ढेर हो जाती है। टिङ्गी फिर से देश पर हमला कर रही है और ड्रोन से इन्हें खत्म करने की तैयारी की जा रही है।

एग्रीबोट ड्रोन अतिरिक्त वैटरी के साथ एक दिन में 50 एकड़ तक कवर कर सकता है। यह दुर्गम इलाकों और पहाड़ों में भी काम करने में सक्षम है। फसल के मध्य और बाद के चरणों में ड्रोन कीटनाशक छिड़काव के लिए खेतों में प्रवेश कर सकता है, जबकि भारी उपकरणों से ऐसा संभव नहीं है। जल की बचत के साथ ही कीटनाशकों का उपयोग ड्रोन से पारंपरिक तरीकों की तुलना में 15 से 35 प्रतिशत अधिक है, जिसमें रसायन की मात्रा को वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित किया जाता है। कीटनाशकों का छिड़काव ड्रोन से करने पर किसान रसायन से दूर रहते हैं और उनकी सेहत पर उसका दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। मल्टीस्पेक्ट्रल ड्रोन की मदद से फसलों के स्वास्थ्य और स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी नुकसान से पहले किसानों को सतर्क किया जा सकता है।

हैं ताकि इनसे पानी रिसा सके। किसान एक साल में दो से तीन फसलें लेने के लिए 12 बार खेत की जुलाई करता है। गेहूँ और धान में 180 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी पड़ती है। मक्का में 175 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी पड़ती है। लेकिन नई विधि में साल में महज दो बार ही खेत जोताने की जरूरत होती है। कई फसलों में तो इसकी भी जरूरत नहीं होती। इसी तरह, धान में महज 120 किलोग्राम नाइट्रोजन में ही काम चल जाता है, घूरिया को धोलकर पाइपों के जरिए फसलों की जड़ तक पहुंचाया जाता है। मक्का में 145 किग्रा. से काम चल जाता है। यह प्रयोग सफल रहा है। देश में पहली बार उप-सतह टपक सिंचाई से धान की फसल उगाई जा रही है।

रूहम सिंचाई प्रणाली के चेव-आधारित अनुप्रयोग


जल प्रीटोगिकी केंद्र, गारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली; राष्ट्रीय बूरो, मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना, कोलकाता, एवं भूमि संरक्षण विभाग, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के वैज्ञानिकों ने एक ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से सूख्म सिंचाई प्रणालियों की योजना बनाने और कार्यान्वयित करने की प्रक्रिया को काफी हद तक आसान बनाने का दावा किया है। एप्रिकलर, ड्रिफ्टर्स और इस तरह के अन्य उपकरणों से युक्त सूख्म सिंचाई प्रणाली तो जी से लोकप्रिय हो रही है पर इनका विज्ञान सम्मत डिजाइन एक



बड़ी चुनौती है। सूख्म सिंचाई प्रणाली में कई पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है जैसे कि पानी की कितनी आवश्यकता होगी, पानी के पाइप नेटवर्क का ले—आउट, समता, आकार और स्प्रिंकलर और ड्रिफ्टर्स की संख्या, जिनका प्रयोग करने की आवश्यकता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें बहुत गणनाएं शामिल हैं।

वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई प्रणाली इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है, जिसे 'डिजाइन ऑफ माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम' नाम दिया गया है। यह एक इंटरनेट या वेब-आधारित अनुप्रयोग है जो विभिन्न भी फसल के लिए विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में व्यक्तिगत कृषि क्षेत्रों के लिए अनुकूलित सूख्म सिंचाई प्रणाली को डिजाइन करने में मदद करता है। इस प्रणाली में एक इंटरेक्टिव ग्राफिकल इंटरफ़ेस है जो तीन प्रमुख चरणों के माध्यम से काम करता है। यह पहले पूरे क्षेत्र को विशिष्ट आयामों के लॉक में विभाजित करता है। फिर पाइप के लिए सबसे उपयुक्त ले—आउट योजना नियंत्रित करता है। अंत में, यह स्थानीय कृषि जलवायु और स्थितियों के आधार पर खेत और फसलों की पानी की आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है।


यह क्षेत्र के कृषि जलवायु डाटा, फसलों के प्रकार एवं धनत्य और भिन्नी के प्रकार के अलावा विभिन्न कारकों के आधार पर अपनी मणना करता है। डिजाइन पाइप के आकार के साथ-साथ



इंटरनेट या पेन-आधारित इंटरेलिंग ग्राम्पिकल इंटरफ़ेस अनुप्रयोग जो सूखा सिंचाई प्रणाली को डिजाइन करने में मदद करता है।

स्थिरकलर की आवश्यकता और प्रकार की संख्या सहित कई पहलुओं के समाधान किसानों को मुहैया करता है। यह क्षेत्र के बड़े हिस्से का अनुगमन देता है जिसे एक बार में सिंचित किया जा सकता है। इसके अलावा, यह खर्च का एक अनुगमन भी दे सकता है जो एक किसान को अपने खेत में इस प्रौद्योगिकी को स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा।

भारत में लगभग 69 भिलियन हेक्टेयर की क्षमता है जिसे सूखा सिंचाई विधियों के माध्यम से कवर किया जा सकता है और भारत सरकार ने भी इस दिशा में 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सूखा सिंचाई प्रणाली को आपनाने के लिए काफी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इस प्रणाली से एक आम किसान को आसानी से सूखा सिंचाई की तकनीकी विशिष्टताएं समझ में आ जाती हैं। किसान इन्हें कंप्यूटरों के साथ-साथ स्मार्ट-फोन के माध्यम से भी देख-समझ सकते हैं।



इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कृषि क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं, भारत के विभिन्न राज्यों में सूखा सिंचाई को बढ़ावा देने और लागू करने वाली एजेंसियों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसके डाटाबेस में कृषि जलवायु परिवर्थनियां, उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, फसल की विशेषताएं, मूजल उपलब्धता, 29 राज्यों के लगभग 642 ज़िलों के लिए मिठी के प्रकार और देश के 7 केंद्रशासित प्रदेशों के पहलुओं की जानकारी है।

जल संचयन और सिंचाई के लिए स्मार्ट पंप सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिङ्स, संवर्धित वास्तविकता (ऑगमेटेड रियलिटी) / आभासी वास्तविकता (वर्चुअल रियलिटी), स्मार्टफोन कैमरे के उपयोग से डिजिटल तत्वों के दृश्य और 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर भारत ने जल प्रबंधन प्रणालियों में अपनी विश्वस्तरीय इंजीनियरिंग क्षमताओं का विकास किया है। डिजिटल तकनीक पर आधारित स्मार्ट पंप सिस्टम खेतों तक पानी की आपूर्ति में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। स्मार्ट पंप कम वोल्टेज पर भी सामान्य रूप से कार्य करने के लिए युक्ति है। देश में ऐसे पंप उपलब्ध हैं जो खेतों में स्थिरकलर और ड्रिप सिस्टम के लिए अनुकूल हैं, जहां दबाव को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ पंप के माध्यम से वितरित पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए डिजाइन किए गए क्लोरीकरण तकनीक से सुरक्षित है।

इन स्मार्ट पंपिंग प्रणालियों का ग्रीनोगिकी डिजाइन डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संयोजन का उपयोग करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संवर्धित वास्तविकता (ऑगमेटेड रियलिटी) / आभासी वास्तविकता (वर्चुअल रियलिटी), और त्रिविमीय (3D) प्रिंटिंग जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग



स्मार्ट खेती के लिए कृत्रिम गेहा और इंटरनेट ऑफ थिङ्स आवश्यक प्रणाली 'ई-परिवहन' के माध्यम से पप, बोगार और छिठकाव दिखाई (रिप्रकल) को दूर नहीं कर सकता है।

डिजाइन, उत्पादन और नवाचार करने के लिए किया जा रहा है। स्मार्ट पंप विशेष पानी की आवश्यकता को स्वचालित करते हैं और जल संसाधन को बचाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिङ्स सक्षम पंपों में किसानों को अपने मोबाइल फोन से पूरी प्रणाली को संचालित करने के लिए पूर्ण नियंत्रण दिया गया है। इसमें किसान पानी की मात्रा और अपने खेत में पानी देने का समय निर्धारित कर सकते हैं और पंप प्रणाली को महत्वपूर्ण रखारख्य मापदंडों की एक वास्तविक समय रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। उत्पादकता में सुधार के लिए किसान सामूहिक तौर पर या पंचायत-स्तर पर स्मार्ट कृषि एवं सिंचाई तकनीक अपना रहे हैं। विभिन्न सटीक कृषि प्रौद्योगिकी के बीच, ड्रोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रखान बना रहे हैं। सटीक फसल स्वारख्य ढाटा की निगरानी और नियमित रूप से ड्रोन का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर किसान तुरंत हस्तक्षेप कर सकते हैं, इस प्रकार बेहतर उत्पादन सुनिश्चित कर सकते हैं।

सिंचाई के लिए जल संचयन तकनीक 'स्वर'

कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयुक्त समावेशी सिंचाई तकनीक विकसित करना वैज्ञानिकों के लिए किसी भूनीती से कम नहीं है। हैदराबाद स्थित एक स्वयंसेवी समूह सेंटर फॉर एनवायरनमेंट कंसन्सर्स के वैज्ञानिकों ने किसानों के साथ मिलकर एक सिंचाई तकनीक विकसित की है जो पीधे की जड़ों को सीधे नपी प्रदान करती है। प्रारंभिक परीक्षणों में दो बड़े लाभ दिखाई दिए हैं। इसमें ड्रिप सिंचाई के लिए आवश्यक पानी का लगभग पांचवा हिस्सा

उपयोग होता है और यह एक स्वरथ मुद्रा पारिस्थितिकी-तत्त्व में बेहतर कार्य करती है। इस प्रभावी तकनीक में खास बात यह है कि इसमें पानी मिट्टी में एकदम से सांझता का भार नहीं ढालता बल्कि मिट्टी को धीरे-धीरे नम करता है। यह न केवल जल संरक्षित करता है बल्कि इससे पीधों के लिए पानी को अवशोषित करना आसान हो जाता है। यह मिट्टी और पीधों को एक सूखे जलवायु प्रदान करता है जो मिट्टी में सूखम जैविक गतिविधि को प्रोत्त्वाद्वारा करता है।

स्वर सिंचाई प्रणाली के डिजाइन में पीधों में पानी की आवश्यकता को निर्धारित करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि जल बर्बाद न हो और केवल नपी के रूप में पीधे के जड़ क्षेत्र में पानी की पहुंच बनाई जाए। पूर्ण रूप से स्वचालित और बोर विजली के संचालित इस प्रणाली में पहले मॉडल का विकास और परीक्षण किया गया जिसमें मूल रिस्ट्रांट था— जड़ क्षेत्र में पानी की पहुंच। कई वर्षों के वैज्ञानिक अध्ययन के बाद इस प्रणाली को राष्ट्रीय रोजगार योजना के तहत 'फलों के वृक्षारोपण पर 'सिस्टम ऑफ वॉटर फॉर एग्रीकल्चर रेजुवेनेशन' (स्वर) के नाम से लागू किया गया।

स्वर प्रणाली में जल की उपलब्धता वर्षा जल निकायों वा स्थानीय अन्य जल निकायों के माध्यम से होती है। यह पानी फिर एक पैडल पंप का उपयोग करके एक ओवरहेड टैंक में ढाला जाता है। टैंक आउटलेट से बड़े व्यास के पाइप खेत में पानी पहुंचाते हैं। इस पाइप से छोटे, परावैगनी अवरोध के साथ प्रतिरोधी पार्श्व पाइप द्वारा पीधों की पंचितयों में पानी पहुंचाया जाता है। प्रत्येक पीधे के पास विशेष रूप से पक्के हुए मिट्टी के बर्तन में एक पाइप के माध्यम से मापी गई जल बूंदों के रूप में जलापूर्ति की जाती है।

मिट्टी के बर्तन (पॉट) को पीधे की जड़ क्षेत्र के बगल में मिट्टी की सतह से लगभग 30 सेमी नीचे दबाया जाता है। प्रत्येक पॉट से दो गाइक्रो ट्रॉफ और एक सैलियंग से माध्यम से, धीरे-धीरे पानी को मिट्टी में मिलाते हैं। कुछ समय बाद बर्तन में नपी के रूप में पानी बाहर आने लगता है। यह मिट्टी और पीधों की जड़ों की सब्सिन अभ्यता पर आवश्यक होता है। बर्तनों में पानी की आपूर्ति नियंत्रण लीवर के माध्यम से नियंत्रित की जाती है ताकि सभी पीधों तक पानी गुरुत्वाकरण प्रवाह के साथ पहुंचाया जा सके। सूखे जैविक विकास और नपी के प्रसार की सुधिधा के लिए, रोगानुरोधी सूखा पोषक तत्त्वों को साइट पर तैयार किया जाता है।



स्वर प्रणाली में प्रत्येक पीधे के पास विशेष रूप से पक्के हुए मिट्टी के बर्तन में एक पाइप के माध्यम से गापी गई जल बूंदों के रूप में जलापूर्ति की जाती है।



Digital India

NIC

Gov

टीम सेतु का हिस्सा बनिए



आरोग्य सेतु एप में बग
दूरिर का इसमें सुधार हेतु
सुझाव दीजिए

और पुरस्कार जीतिए
कुल ₹ 4,00,000

Visit: Innovate.MyGov.In

स्वर प्रणाली के परिणाम अत्यधिक आशाजनक हैं। उत्साहजनक तथ्य यह है कि इसमें पानी की आवश्यकताएं टपक सिंचाई के लिए निर्धारित पानी से पांचवा हिस्सा है। शोध के परिणामों के अनुसार बहुत कम पानी के उपयोग के बायजूद, सभी पौधे तभा, पत्रक संख्या और आकार में अच्छी तरह से विकसित हुए। सिंचाई के बाद एक सप्ताह तक भिट्ठी की नभी बनी रही। मृदा सतह पर पानी नहीं होने के कारण कोई खारपतनावर नहीं था और, संभवतः भिट्ठी में ऑक्सीजन और नमी को राहम करने के परिणामस्वरूप भिट्ठी के सूखे जीवों में अच्छी तरह से वृद्धि हुई। स्वर सिंचाई प्रणाली मविष्य में सिंचाई और जल प्रबंधन में एक उत्कृष्ट तकनीक साधित हो सकती है।

जल प्रबंधन और छिड़काव सिंचाई के लिए 'ई-परिक्षक' पंजाब के एल. पी. विश्वविद्यालय के स्फूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों और शिक्षकों ने स्मार्ट खेती के लिए एआई (कृत्रिम मेघ) और आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) आधारित प्रणाली 'ई-परिक्षक' का निर्माण किया है। इस उपकरण को किसी कृषि क्षेत्र की निगरानी और रिमोट कंट्रोल सिंचाई करने के महेनजर बनाया गया है, जिसके माध्यम से जगीन में पानी के स्तर की जानकारी रखने के साथ-साथ पंप, ब्लोअर और छिड़काव सिंचाई (स्प्रिंकल) को दूर बैठकर भी नियंत्रित किया जा सकेगा। यह उपकरण तापमान, आर्द्धता, गिरी की पीएच स्तर, भिट्ठी की नमी और जल-स्तर की निगरानी कर सकता है। इसके माध्यम से फिलान छिड़काव, सिंचाई और गंप जैसे जमीनी उपकरणों पर नियंत्रण रख सकेंगे और दूर गैटे-वैटे इन्हें खोल या बंद कर सकेंगे। जल-प्रबंधन और उत्पादकता बढ़ाने में सहायक ई-परिक्षक एक पूर्ण कृषि सूचना और क्षेत्र विकास



आरोग्य सेतु ऐप

- योगेन्द्र चाहरा का संक्रमण प्रक्रिये के विविध या आकृति करता है।
- उन लोगों पर नजर रखा है जो COVID-19 रोगिया हैं।
- जारी और उपयोगकारी के अनुकूल है।
- अत्याधिक तारीख का उपयोग करके विनियत किया गया है।
- ऐप का डिजाइन गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखता है।
- 11 भाषाओं में उपलब्ध है।
- COVID-19 मामलों पर अपडेट
- प्रातिक्रिया स्वास्थ्य संतोष
- सरकार को COVID-19 के प्रशार के जोश्योग्राम या जाकर्तन करके समय पर कदम उठाने में मदद करता है।

प्रणाली है। इस यंत्र द्वारा एकदम किए गए डाटा को भविष्य के किसी भी विश्लेषण के लिए क्लाउड में संयुक्त किया जाता है। ई-परिक्षक में कई सेंसर नोड्स लगे होते हैं। इन्हें फील्ड में लैनात किया जा सकता है और एलसीडी स्क्रीन के माध्यम से खेत के बारे में तमाम जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। यह प्रणाली उन्नत 'मशीन लर्निंग एल्गोरिदम' के माध्यम से क्षेत्र से एकदम किए गए ऑक्डों का विश्लेषण करती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस क्षेत्र में किस फसल की खेती सबसे उपयुक्त होगी। यही नहीं, यह उपकरण फसल में किसी भी तीमारी या संक्रमण का भी पता लगाता है। इस यंत्र को इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और रस्तार टोपोलॉजी या स्टार नेटवर्क व्यवस्था के साथ यह 10 किमी की सीमा के भीतर काम करता है। आवश्यक हो तो नेटवर्किंग व्यवस्था में बदलाव कर इसकी सीमा भी बढ़ाई जा सकती है।

सिंचाई की आधुनिक तकनीकों ने देश की कृषि व्यवस्था को स्मार्ट एप्लीकेशन की ओर प्रेरित किया है। वेब-आधारित सिंचाई सूखे सिंचाई प्रणालियां और टपक सिंचाई प्रणाली में जल के मानक प्रयोग से जल संरक्षण को भी एक नई दिशा भित्तें। आज आवश्यकता है कि इन आधुनिक सिंचाई प्रणालियों की पहुंच कृषि विज्ञान कंप्रेंडों और अन्य विस्तार माध्यमों के ज़रिए देश के सुदूर क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सुनिश्चित जी जाए ताकि किसानों को इनका भीष्म लाभ मिल सके।

(लेखक विज्ञान प्रसार (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार) गृह विज्ञानिक 'ई' के द्वारा प्रार्थित हैं एवं लोकप्रिय विज्ञान प्रकाशन, विज्ञान फिल्म चलचित्र और विज्ञान समाचार कार्पोरेशनों के सम्बन्धित हैं।)

ईमेल: nkapoor@vignyanprasar.gov.in

भारत में वर्षा जल संग्रहण

—डॉ. बीरेन्द्र कुमार

वर्षनकी परिदृश्य में ग्रामीणों की होते का पानी खेत में लौस गांव का पानी गांव में संरक्षित करने का सक्—
उमा वाहिए। जल संग्रहण के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। इस दिशा में ग्रामों के शुरू प्रयासरत है। हमें भी
आपने कहा था कि जल बनाने की जिम्मेदारी सरकारी होनी। हमारे शे कदम बनाने वालों पीड़ियों के लिए मददगार साधित होगा।

देश की लगभग 65 प्रतिशत खेती आज भी मानसून की वारिश पर निर्भर है। सामान्यतः मई के अंत या जून के शुरू में मानसून भारत पहुंचता है। अगर इस दौरान वर्षा अच्छी होती है, तो पूरी अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए एक बेहतर संकेत जाता है। पिछले तीन वर्षों से मानसून के दौरान हुई अच्छी वर्षा के कारण देश में अनाज, दालों और तिलहनों का अपर उत्पादन हुआ है जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है।

यदि देश के भीगोलिक क्षेत्रफल को देखा जाए तो भारत में 329 मिलियन हेक्टेयर में 292 मिलियन हेक्टेयर मीटर वर्षा होती है। इसमें से 75 प्रतिशत जल की प्राप्ति दक्षिण-पश्चिमी मानसून (जून-सितंबर तक) से होती है। बाकी जल की प्राप्ति शेष आठ महीनों में होती है। इस जल का एक बड़ा भाग (215 मिलियन हेक्टेयर मीटर) जमीन में सोखा जाता है जबकि 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर का वायीकरण हो जाता है।

भारत में एक अनुमान के आधार पर शुष्क तथा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में कुल वर्षा का 70 प्रतिशत जबकि आर्द्ध क्षेत्रों में 50 प्रतिशत ही प्रमावकारी होता है। बदलते परिदृश्य में किसानों व ग्रामीणों को खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में संरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए। जल संरक्षण के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। इस दिशा में विश्व के सारे देश प्रयासरत हैं। हमें भी अपने त्तर पर जल बचाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। हमारे ये कदम

आने वाली पीड़ियों के लिए मददगार साधित होंगे।

आज जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पानी का संकट गहराता जा रहा है। इससे जीवीपी समेत व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, रोजगार, स्वास्थ्य और विश्व-नाते तक बुरी तरह प्रभावित होने लगते हैं। अतः यह प्रयास करना चाहिए कि वर्षा जल की बर्बादी को रोका जा सके और आने वाले कल को सुरक्षित किया जा सके। भारत के लिए थोड़ी वर्षा और प्राकृतिक संसाधन उपहार है। देश में कृषि योग्य भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र सूखाग्रस्त है जो कुल उत्पादन का लगभग 44 प्रतिशत योगदान करता है। इसके साथ-साथ 40 प्रतिशत मानव एवं 60 प्रतिशत पशुपालन में देश की जनसंख्या के लिए सहयोग करता है।

देश की बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्षा जल संरक्षण कर शुष्क क्षेत्रों को खेती योग्य बनाने की नितान्त आवश्यकता है। इन भूमियों को फसलोत्पादन के अंतर्गत लाने से जहां एक ओर अतिरिक्त खाद्य य खाद्य पदार्थों की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ, वर्षा जल संग्रहण से गांवों में अनुकूल परिस्थितियों के निर्माण के फलस्वरूप बेहतर ग्रामीण आजीविका और रोजगार प्रदान किया जा सकता है। वर्षा के पानी का संरक्षण और उसे जमा करना बारानी खेती की सफलता का मूल आधार है। इन क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण की तकनीकें और



कुशगांव तालाब, रागगढ़ किला, महाराष्ट्र

उन्नत सास्य विधियों अपनाकर कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है। अतः रासाधन संरचना और पर्यावरण के सदर्म में वर्षा जल संग्रहण एक महत्वपूर्ण कदम है।

वर्षा जलसंग्रहण

1. जल संकट की समस्या को कम करने के लिए
2. निचले क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या को कम करने में
3. वारानी क्षेत्रों में वेहसर फसलोत्पादन हेतु
4. भूजल-स्तर में सुधार हेतु
5. मृदा कटाव को रोकने में
6. गैहतर ग्रामीण जीवनशैली व रोजगार हेतु

वर्षा जल संग्रहण से तात्पर्य

वर्षा के पानी को एकत्र करके बाद में कृषि उत्पादन में इस्तेमाल करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। आज अच्छी गुणवत्ता वाले पानी की कमी एक गंभीर समस्या है वर्षोंकिं किसानों की लापरवाही से अच्छी गुणवत्ता वाला वर्षा जल शीघ्र ही यहकर नष्ट हो जाता है। जिन क्षेत्रों में पानी का अन्य कोई स्रोत न हो, वहाँ पर वर्षा जल को एकत्रित कर खेती के कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। शुष्क क्षेत्रों में फसलोत्पादन बढ़ाने हेतु वर्षा जल संग्रहण पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

अत्यधिक वर्षा के दुष्प्रभाव

अत्यधिक एवं तीव्र बैग से वर्षा होने पर पानी के भूमि के अंदर प्रवेश की गति धीमी हो जाती है। परिणामस्वरूप पानी भूमि की ऊपरी सतह पर तेजी से बहने लगता है। वर्षा होने के कारण नदियों के प्रवाह मार्ग में अधिक जल समा नहीं पाता, जल का बाहर की ओर फैलना आरंभ हो जाता है तथा बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण खेतों, सड़कों, रेल लाइनों एवं वरितियों में पानी फैल जाता है। इसके अलावा, बाढ़ से खेती फसल दूख जाती है। सड़कें, बांध, पुल एवं रेल लाइनें दूट जाती हैं। भयकर बाढ़ से मनुष्यों एवं पशुओं का जीवन संकटमय हो जाता है तथा अनेक प्रकार की विमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति में कमी के साथ-साथ मृदाकरण भी होता है।

बंदल रहा वर्षा का ट्रैंड

विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर जनवरी से मार्च के दौरान सबसे अधिक बारिश फरवरी में होती है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस ट्रैंड में बदलाव देखने को मिल रहा है। मार्च में ओले भी गिरने का ट्रैंड दो साल के दौरान ही बढ़ा है। बारिश ने इस बार मार्च महीने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किसानों को लिए यह किसी सामरया से कम नहीं है। इससे गेहूँ आलू, मटर, टमाटर, सब्जियाँ, कलदार पीसी व अन्य रसी फसलों को काढ़ी नुकसान पहुंचा है। फसलों में ओलाकृष्टि और पेंगोसम वर्षों का पानी इष्कठा हो गया। इसके अलावा, भारी बारिश से वर्षत बहुत की फसलों की खुवाई भी प्रभावित हुई है।

वर्षा-जाघातित होतों में बदला कृषि उत्पादन

देश में अधिकांश फसलें वर्षों के भरोसे होती हैं। इसलिए

किसान वर्षा वर्षी बेराबी रो पानसून का इताजार करते रहते हैं। वारानी क्षेत्र प्रायः उत्पादन युक्त पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण और फसलों की बद्यार इस बात पर निर्भर करती है कि उस खेत का फलान किस किसम का है। तथा इस क्षेत्र में उत्पादक पृष्ठा किस गहराई तक है। देश में दाली का उत्पादन बदाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुव्यवस्था विभाग के तहत अधिग्रान बलाया गया। इसके अतर्गत शुष्क क्षेत्रों या कम वर्षा वाले उलाको में दालों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ बलाई गईं। यहाँ वर्ष 2014-15 से दालों का उत्पादन 16.2 मिलियन टन था, वह 2018-19 में बढ़कर 25 मिलियन टन तक पहुंच गया। इस तरह, आज हमारा देश दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। जब भी रथानीय बाजार में दालों की कमी होती है और इसके दाम में बढ़ोत्तरी होती है तो बफर स्टॉक से भरपाई की जाती है। इसके अलावा, प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की काढ़ी खेती होती थी। परन्तु एक ऐसी अवधि आई जिसमें गेहूँ एवं धान की फसलों के कारण मोटे अनाज कुछ पीछे हो गए। लेकिन वर्तमान समय में एक बार फिर लांग मोटे अनाजों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। गमोंवस्था के दौरान मां एवं शिशु में कुपोषण की समस्या को दूर करने में मोटे अनाजों की बड़ी भूमिका रही है। कोटा, कुटकी, सांपा, काकुन, जबा, जौहरी जैसे मोटे अनाज रेशायुक्त होते हैं। जो पौष्टिक ही ही, साथ ही इनकी खेती भी अपेक्षाकृत आसान है। इनमें पानी संधित कर लेने का मुण है। इसलिए ज्यादा सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। यह कम पानी वाली कमज़ोर जमीन ने भी आजानी से उगाई जा सकती है। इस कारण ये पर्यावरण के लिए ज्यादा बहतर होती है। देश में लगभग 95 प्रतिशत ज्यादा व बाजार तथा 90 प्रतिशत मोटे अनाजों का उत्पादन वर्षा-जाघातित क्षेत्रों से ही आता है। इसके अलावा, 91 प्रतिशत दालों और 77 प्रतिशत तिलहनों की पैदावार भी वारानी क्षेत्रों में होती है।

राजकारी प्रयोग और योजनाएँ

केंद्रीय बजार 2020-21 में जल संकट से सबसे ज्यादा ग्रस्त 100 जिलों की पहचान का लहय रखा गया है। इन जिलों में भूजल-स्तर बढ़ाने, जल संरक्षण और वर्षा जल संग्रहण के उपायों पर जोर दिया जाएगा। जब भी देश में जल संकट की घब्बो होती है, तो उसमें ज्यादातर फोकस धीने के पानी पर ही होता है। लेकिन दुमधायवश आज पूरे देश में जल संकट के कारण कृषि सबसे गमीर मुश्किल से गुजर रही है। यह संकट तीन प्रकार का है— प्रथम, जहाँ भूजल 500 फीट से ज्यादा नीचे चला गया है और आने वाले 5 या 10 साल में पूरी तरह सूखने वाला है। दूसरा, जहाँ पानी है, लेकिन खारा होने की पज़ह से खेती में प्रयोग नहीं किया जा सकता और तीसरा, जहाँ रासायनिक उर्ध्वरक्षी और भारी-भरकम कृषि गंत्रों के अत्यधिक प्रयोग के कारण मिट्टी की ऊपरी सतह के नीचे एक ठोस रासायनिक परत बन गई है जिसके कारण वर्षों का पानी भूजल में नहीं मिल पाता और इधर-उधर बहकर नाट हो जाता है। साथ ही, अपने साथ बहुमूल्य उपजाऊ मृदा को भी



तालाब पे तालाब

भहा ले जाता है या फिर माड़ औरी रिवरिया पैदा करता है। इस रामलया के समाधान छेत्र जल संकट का समाप्त कर रहे 100 जिलों के लिए व्यापक योजना बनाई जाएगी। इसी प्रकार भूजल-स्तर पढ़ने के लिए 25 दिसंबर, 2019 को अटल भूजल योजना की शुरूआत की गई। इसके तहत पानी के प्रभावी उपयोग, जल सुखा और उपचारों जल बजट पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा वाणी-आधारित औरी में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। औरी बजट प्राकृतिक खेतों पर भी जोर दिया जाएगा।

वाणी जल इन प्रणालियों का अभिन्न भंग है। विस्तारों को वित्तीय लीट जल सुखा प्रदान करने के उद्देश से कुशुग्म यानी किसान ऊजां सूखा एवं उत्थान योजना योजना शुरू की गई है। गोट राजकार ने हर खेत को पानी के लक्ष्य के साथ प्रणाली कृषि रिंगाई योजना की शुरूआत की है। इसके तहत देश के हर जिले में समस्त खेतों तक रिंगाई के लिए पानी पहुंचाने की योजना है। पीएगकोएसा योजना या उद्देश्य सिंचाई के समाधान विकासित करने के साथ-साथ वाणी के पानी का ओटे-स्तर पर जल रामबान करना तथा जल वाणि प्रितरण करना है। इसके अलावा, गवर्नरों के तहत विस्तारों के खेतों पर तालाब निर्माण किए जा रहे हैं। सौर ऊज्ज्वल चालित पंच संस्कृती पर किरानों को उपलब्ध बनाए जा रहे हैं।

वाणी जल संयुक्त के लिए गेझबंडी

शुक्र न गर्वी-शुल्क औरी में वाणी जल संग्रहण के लिए संयुक्त खेतों को अचूकी तरह सागतल कर लेते हैं। इसके लिए खेटों या सेजर लैड सेवलर का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि के अन्तर्गत खेतों को ओटे-ओटे दुकड़ों में गाटकर मेलबंडी कर लेते हैं ताकि वाणी का पानी इधर-उधर पहकर न न हो। मेलबंडी करने से मृदा में पानी का अवशोषण तो घटता ही है। राथ ही, पृदाहरण न जाल वाणी का अपव्यय को रोकने में भी गदद गिलती है। मेलबंडी का काम वाणी जातुं से पूँ कर सेवा चाहिए।

वाणी पीड़ का निर्माण

पानी की ओरी में वाणी जल को खेतों के आसापास तालाब बनाकर एकजूट कर लेना चाहिए। इससे पराल भोज पानी की कमी के दौरान

उपयोग में लाभ जा सकता है। साथ ही आसापास के औरी में भू-जल स्तर भी बढ़ जाता है। बाद द्वारा सुने वाले मिट्टी कटाव के नुकसान से भी बचा जा सकता है। परिणामस्वरूप फसल की जल में जूँड़ी और पैदावार में रक्षणात्मक आता है। आज उत्तर-पश्चिम राजस्व के बहुत सारे इलाके डार्क जून की श्रेणी में भूज गए हैं। वहां भूजल का भड़ार या तो रामापांड हो गया है या इतना भीत्रे खेत माया है कि वहां से पानी निकाला नहीं जा सकता। इसके लिए ही परापरागत जल खेतों के संरक्षण पर जोर देना होगा। तालाब या जल के संरक्षण के लिए येहद जरूरी है। तालाबों के जारी ही डम भूजल-स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। दूसरा, तालाबों के ढारा ही बरसात के पानी यो संरक्षित किया जा सकता है। आज देश के अनेक गांगों में तालाबों की स्थिति बदलते होती जा रही है। तालाबों की जगीन घर अपैथ कब्जे किए जा रहे हैं जिससे उनके आकार और जलसंग्रह की क्षमता कम होती जा रही है। आज इन तालाबों नो पुनर्जीवित करने और आम लोगों को तालाबों के महत्व के प्रति जागरूक करने की निरांत आपश्यकता है। अनेक पर्यावरणविदों और यात्रियों के प्रयारों के बाबजूद देश के तालाबों और जलाशयों नी हालत में सुधार नजर आ रहा है। अगर आकड़ों की बत्ती जाए तो देश में सबसे ज्यादा तालाब दक्षिण भारत में है। तालाब यिनी किसी रखरखाव पर देखारेख के सूखते जा रहे हैं। यदि इन तालाबों के रखरखाव पर उचित ध्यान दिया जाए तो देश में जल राक्षट की समस्या को काफी हृद तक ठीक किया जा सकता है। फार्म पीड़ का निर्माण खेत के सबसे निचले हिस्से में करना चाहिए जिससे वर्षा जल आसानी से एकजूट किया जा सके।

ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई

खेतों की मई-जून के महीने में 20 से 30 की महसूस है तक जुताई करने के खुला छोड़ दें। ऐसा करने से उनमें हवा व पानी का आवागमन अच्छी तरह से होता है। यही फारलों की कटाई के पश्चात अधिकांश खेत खाली हो जाते हैं। यह समय ग्रीष्मकालीन जुताई के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। वर्षा जल के अधिकतम अवशोषण के लिए मई के महीने में खेतों की 2-3 बार महरी जुताई करें। इससे न केवल मृदा उर्वरता घटती है, बल्कि मृदा की जल-पारण क्षमता में भी सुधार होता है। गर्भियों में गहरी जुताई करने से मूलाजनित रोगों व विरश्यायी-खरपत्तवारों के वानस्पतिक गांगों व मीजों के अलावा निमेटोड को भी नष्ट किया जा सकता है। इससे भूमि के अंदर वायु संचार में भी सहायता मिलती है जिससे पीड़ी की गृहिणी व विकास के साथ-साथ मृदा में उपरितत्त्व अनेक उपशोधी सूक्ष्म जीवों की किंवाशीलता पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यह विधि उन क्षेत्रों में अपनानी चाहिए, जिनका जल-स्तर नीचा हो। जिन गृदाओं की निचली सतहों में कठोर परत होती है। वहां पर इस विधि वाणी नहीं अपनाना चाहिए।

खाई खोपकर

इस विधि ने राष्ट्रीय खेत के एक किमारे पर धाल यो दिया में 2 फुट चौड़ी और 2 से 3 फीट गहरी खाई खोदती है। इससे

चर्चा जल्दी में खेत का अतिरिक्त पानी इन खाड़ियों में भर जाता है। इससे एक ओर तो मृदा कटाव का बचाव होता है। दूसरी तरफ, इससे गूजल-रस्तर बढ़ाने में मदद मिलती है। खाई की मिट्टी को मेहु के रूप में खेत के बारी और जल देते हैं जिससे वर्षा जल का अधिकांश भाग खेतों में ही आवश्यक हो सके। जहाँ पर मजदूर सरखे व आसानी से उपलब्ध हों, उन क्षेत्रों में यह विधि अपनानी चाहिए।

आधिकारिकों की कठोर परतों का तोड़ना

कभी-कभी एक ही तरह के कृषि यंत्रों एवं एक ही गहराई पर बार-बार जुताई करने के कारण अधीभूमि में हल को नीचे कठोर परतों का निमोन हो जाता है। परिणामस्वरूप मृदा में वायु और नमी के आवागमन में बाधा पहुंचती है। साथ ही, पौधों की जड़ों का विकास भी ठीक तरह से नहीं हो पाता है। जिन भूमियों में बहुत ही कम गहराई पर सख्त परते हों तो वहाँ पर आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे डिस्क लौ व सब-सॉयलर की मदद से परतों को तोड़कर अधिकांश वर्षा जल का अवशोषण खेतों में बढ़ाया जा सकता है। यह कार्य मई-जून के महीने में करना उत्तम रहता है। खेतों की जुताई अलग-अलग गहराई पर करनी चाहिए। इसके लिए आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे डिस्क लौ, सब-सॉयलर या धीजल हल का प्रयोग 2-3 बर्फों में एक बार अवश्य करें। जिसके परिणामस्वरूप मृदा में वर्षा जल के अवशोषण में आसानी रहती है। साथ ही, पौधों की जड़ों का विकास व वृद्धि भी ठीक तरह से हो जाती है।

लेजर विधि द्वारा खेतों का समतलीकरण

चर्चा जल व सरकारी संरक्षण संबंधी तकनीकी के लिए समस्ये जल्दी बात यह है कि खेत पूरी तरह से समतल होना चाहिए। अन्यथा खाद व पानी भी सभी पौधों को समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। वास्तव में वर्षा जल संरक्षण संबंधी तकनीक की सफलता खेत के समतल होने पर निर्भर करती है। लेजर विधि एक नई वैज्ञानिक तकनीक है, जिसमें एक विशेष उपकरण द्वारा खेत की गिरी को पूरी तरह समतल किया जाता है। समतल भूमि पर फसल उगाने का सबसे बड़ा फायदा पानी की लब्धत व अधिक फसल उत्पादकता का है। वर्षा का पानी खेत के हर हिस्से में एक समान मात्रा में और सारे खेत में कम समय में पौल जाता है। आजकल किसानों द्वारा इस तकनीक में बहुत ज्यादा रुचि दिखाई जा रही है। इस मशीन की लोकप्रियता दिनोदिन बढ़ती जा रही है। किसानों के बीच यह मशीन 'कम्प्यूटर' के नाम से प्रचलित है। ये मशीनों का फायदा गहरी है। परंतु छोटे व सीमांत किसानों की जलस्रतों को पूरा करने के लिए यह आसानी से किराए पर उपलब्ध है।

बहु-उद्देशीय नदी धारी परियोजनाएं

बहु-उद्देशीय नदी धारी परियोजनाओं का कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। नदियों की धारियों पर बहु-उद्देशीय यनकर बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करने की योजना को बहु-उद्देशीय नदी धारी परियोजना कहा जाता है। इस समय देश में लगभग 5176 बांध हैं। यांगल का शोक

कहीं जाने वाली दागीदर नदी तथा विहार जल 'शोक' कोरी नहीं इन परियोजनाओं के कारण बरदान संवित हुई। इनसे रिंचाई के अलावा पैखजल, विद्युत उत्पादन, जलीय कृषि, गत्तरा पालन जैसी आर्थिक वित्तियों का भी संचालन किया जा सकता है। इनसे नहरों का जाल बिछाया गया। बहाने क्षेत्र में पानी को संधित किया जा सकता है। इसके लिए बांध बनाए जा सकते हैं ताकि यह पानी रामुद में न जा सके।

वाटरशोड प्रबंधन

देश में लगभग 143 मिलियन हेक्टेयर पर खीरी की जाती है। जबकि लगभग 117 मिलियन हेक्टेयर परती एवं बंजर भूमि है। इस प्रकार की भूमियों को जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों को अपना कर खेती योग्य बनाया जा सकता है। इसके लिए पानी की एक-एक बूँद को बचाने के लिए वाटरशोड प्रबंधन की तकनीकों को अपनाना होगा ताकि वर्षा जल का अधिकतम प्रयोग फसलोत्पादन में किया जा सके। जिन क्षेत्रों में वर्षा जल्दी में भारी वर्षा होती है, वरसात के दिनों में वर्षा जल को संरक्षित कर भूजल-रस्तर बढ़ाने तथा वरसात के बीचमे के बाद इस पानी को फसलोत्पादन में जल की कमी के समय जीवन-रक्षक रिंचाई के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही, वहाँ पर जल संरक्षण का पर्याप्त प्रबंध नहीं होता है। ऐसे क्षेत्रों में वर्षा जल इधर-उधर बह कर नष्ट हो जाता है। इसके अलावा, इससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ के रूप में बड़े पैमाने पर जन-धन की हानि होती है। इतना ही नहीं वर्षा जल्दी के बाद इस क्षेत्र में जल संकट उत्पन्न हो जाता है। वर्षा जल के तीव्र बहाव के कारण बड़े पैमाने पर मृदा कटाव होता है। परिणामस्वरूप भूमि की उर्वराशमिति का हास तो होता ही है अंतत फसलोत्पादन और स्थानीय लोगों की आजीविका पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, यह तथा पर्यावरण की विधि भी प्रभावित होती है।

अतः उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वाटरशोड प्रबंधन की धारणा विकसित की गई। जिसका प्रमुख उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण एवं मृदा सुरक्षा हेतु वर्षा के जल के बहाव की गति को कम कर जल द्वारा होने वाले मृदा कटाव को कम करना तथा वर्षा के पानी को संरक्षित करना रहा ताकि भूजल-रस्तर बढ़ाने के साथ-साथ बाढ़ में इसका प्रयोग सिंचाई, पशुपालन, गृषि वानिकी व अन्य कृषि कार्यों में किया जा सके। इस तरह सूखा प्रभावित चमलस्थलीय क्षेत्रों में वाटरशोड प्रबंधन द्वारा फसलोत्पादन, चारागाहों एवं पशुपालन पर सूखे के प्रभाव को कमाफी हड़ तक कम किया जा सकता है। साथ ही, जल संरक्षण द्वारा पारिस्थितिकी सुतुलन बनाकर शुष्क क्षेत्रों में भूरस्थलीकरण की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। साथ ही, देश की बढ़ती जनसंख्या की जलस्रतों को पूरा करने के लिए आदिचासी, पहाड़ी व शुष्क क्षेत्रों में वाटरशोड प्रबंधन द्वारा बंजर व अनुपजाऊ भूमियों को खेती योग्य बना कर खुशहाली व रामुदि नाई जा सकती है।

वाटरशोड का वर्णकरण

1. भेजो वाटरशोड— 50,000 रु. ज्यादा क्षेत्र



जल संरक्षण की परामर्शमत्र गढ़ति

2. सब वाटरशेड— 10,000–50,000 हेक्टेयर क्षेत्र
3. मिली वाटरशेड— 1,000–10,000 हेक्टेयर क्षेत्र
4. माइक्रो वाटरशेड— 100–1000 हेक्टेयर क्षेत्र
5. मिनी वाटरशेड— 1 से 100 हेक्टेयर क्षेत्र

वर्षा जल संग्रहण की समाचनाएं

टिकाऊ खेती में वर्षा जल संग्रहण अहम भूमिका निभा सकता है जैसाकि अभी हाल के कुछ वर्षों में हुए अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि सिंचित क्षेत्रों में सतही व भूमिगत जल के अनुचित व अत्यधिक दोहन के कारण भूजल—स्तर निरंतर नीचे गिरता जा रहा है जिसका भूमि के उपजाऊपन, मृदा रवास्थ्य व फसलों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। फसलों में अंधाधूध सिंचाई व सिंचाई सख्त बढ़ाने से न केवल जल का अपव्यय होता है, बल्कि उत्पादन लागत भी बढ़ती है। वर्तमान परिवेश में सघन फसल प्रणाली व मशीनीकरण की वजह से भूजल पर दबाव इतना बढ़ गया है कि भूमिगत जल—स्तर दिनोंदिन नीचे गिरता जा रहा है। खेती में पारंपरिक सिंचाई प्रणाली उपयोग में लाइ जा रही है जिसमें खेतों में सिंचाई जल लगालय भर दिया जाता है। इससे काफी सारा पानी इधर—उधर बहकर या जमीन में रिसकर नष्ट हो जाता है। इसके अलावा, हमारे देश में गत कई वर्षों से उपज में आई स्थिरता चिंता का विषय बनी हुई है। इसके लिए सिंचाई जल की कमी व दोषपूर्ण कृषि प्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है।

मानव और जलवायु परिवर्तन संबंधी कारक कृषि उत्पादन के टिकाऊपन को और अधिक कम करते हैं। वर्ष 2050 तक वैश्विक जनसंख्या के 9 विलियन तक पहुंचने की समाचना है जिसके भरण—पोषण के लिए कृषि उपज में 70–100 प्रतिशत बढ़ोतारी करने की आवश्यकता है। जबकि महत्वपूर्ण संसाधन जैसे मृदा, उर्वरक और जल लगातार घटते जा रहे हैं। अधिक खाद्यान्न उत्पादन को सुनिश्चित करने के उपायों में से एक वर्षा—आद्यारित क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण कर फसल उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यारानी क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण की उन्नत तकनीकों अपनाकर उत्पादन बढ़ाने की काफी समावनाएं हैं।

मृदा की उपरी सतह यहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है। इस सतह में पीड़ी को उगने में मदद मिलती है। वर्षा त्रैतु में

अनियन्त्रित पानी लाखों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि को काट—काटकर बंजर बना रहा है। वर्षा जल के साथ हर वर्ष कई सौ विलियन टन मिट्टी वहकर नष्ट हो जाती है। जिसके कलास्यरूप मृदा उवंता व उपजाऊपन घटता जा रहा है। दूसरी तरफ, कृषि उत्पादन का महत्वपूर्ण घटक सिंचाई जल यहकर नष्ट हो जाता है। किसानों की जरा—सौ लापरवाही से खेतों में रैकड़ों सालों में जमा उपजाऊ मिट्टी बारिश के साथ वह जाती है। एक कृषि प्रधान देश के लिए उपजाऊ कृषि भूमि का ऐसा तिरस्कार उचित नहीं है। अतः ऐसी परिरिधियों में, विशेषकर उत्पादन बढ़ाने, भूजल—स्तर में गुधार करने एवं पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करने में वर्षा जल संग्रहण ही एक अच्छा विकला है। इसलिए निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि वर्षा जल संग्रहण अपनाने की अत्यत आवश्यकता ही नहीं बल्कि भविष्य में इसकी अच्छी समावनाएं भी हैं।

जन—जागरूकता अग्रिमान

वैज्ञानिकों को वर्षा जल संग्रहण व अनुसधान में नएने पर जोर देने व विकसित तकनीक को लैव टू सेड प्रोग्राम के तहत आम जनता व किसानों तक पहुंचाने के लिए जोर देना चाहिए। विभिन्न प्रशिक्षण और सूचना साहित्य के वितरण द्वारा उपरोक्त तकनीकों को किसानों के बीच लोकप्रिय बनाने की नितांत आवश्यकता है जिससे इन तकनीकों का प्रयोग कर वर्षा जल का बेहतर प्रबंधन किया जा सके। किसानों व ग्रामीणों को जल संकट के दुष्परिणामों से भी अवगत कराया जाना चाहिए। इसके लिए किसान सम्मेलन, किसान संगोष्ठी, जल दिवस एवं किसान खेती से अधिक उत्पादन लेने हेतु जल संसाधनों का सोच—समझ कर प्रयोग करें। इसके लिए पूर्ण प्रधार एवं प्रसार की आवश्यकता है ताकि किसानों का रुझान वर्षा जल की बर्बादी जैसी गमीर समस्या की ओर किया जा सके।

रासांश

यदि समय रहते हगने वर्षा जल संग्रहण पर विशेष जोर नहीं दिया तो भविष्य में गमीर खाद्य समस्या, पैदलजल संकट व विभिन्न आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः वर्षा जल संग्रहण के लिए असरदार कार्य व्यापक तौर पर करने की आवश्यकता है। भविष्य में हमें खेती में वर्षा जल का अधिकतम व विशेष पूर्ण उपयोग करना होगा जिससे जल संकट जैसी गमीर समस्याओं से मुक्ति मिल सके। हम वर्षा जल को प्रकृति की ओर से दिया गया निशुल्क उपहार मान कर ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे यह यहुमूल्य पानी इधर—उधर बहकर बर्याद हो जाता है। इस पानी को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए आवश्यक है कि जन भागीदारी और सामूहिक प्रयासों से इस समस्या से निपटा जाए चूंकि सामूहिकता में यहुत शक्ति होती है। अतः किसान भाई पानी की कमी बाले क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण की उन्नत तकनीकों का उपयोग कर संसाधन संरक्षण के साथ—साथ खेती से बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं।

(लेखक जल प्रौद्योगिकी केंद्र, गारठीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
नई दिल्ली में कार्यरत हैं।)

इ—भेल : v.kumardham@gmail.com

भारत में जल संरक्षण एवं कृषि सिंचाई प्रबंधन

—गिरिजंग मिहू महग
प्रतिभा चौशी

हरिताकांक्षि तथा आधुनिक तकनीकों ने भारत को अन्न पर्याप्ति देश तो बना दिया किन्तु प्राकृतिक रासाधनों के अनियंत्रित निपटने के लिए हमें गुखारः दो गोचों पर काम करना होगा। पहला, उपलब्ध जल रासाधनों का मित्तल्ययिता से उपयोग। दूसरा, पर्यावरण का संवर्धन। तीसान में उग वारिश का रिफ़ 8 फीरादी जल संचित कर पा रहे हैं, अगर हम वारिश के पानी को जगदा से जगदा रांचित करें तो गुजल-रत्तर भी नढ़ेगा और पानी के संकट से बचा जा सकेगा। साथ ही, हमें इचाइल के सामान रूप सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) आधारित खेती को बढ़ावा देना होगा।

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कृषि क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 18 प्रतिशत का योगदान करता है तथा देश के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को रोजगार भी देता है। आज भारत फल एवं सब्जियों में, दूध, मसाले एवं जूट में नैशिक-रत्तर पर रावरो बड़ा उत्पादक है। धान एवं गेहू में भारत विश्व का दूसरा रावरो बड़ा उत्पादक एवं वैशिक-रत्तर पर भारत 80 प्रतिशत से अधिक फसलों के रावरो बड़े उत्पादकों में से एक है। हरिताकांक्षि तथा आधुनिक तकनीकों ने भारत को अन्न पर्याप्ति देश तो बना दिया किन्तु प्राकृतिक रासाधनों के अनियंत्रित दोहन ने कई चुनौतियों देश के समक्ष खड़ी कर दी हैं जिनमें जल प्रबंधन रावरो बड़ी चुनौती है।

भारत में ओरता यार्मिक जल उपलब्धता 1869 मिलियन क्यूबिक मीटर (बी.सी.एम) है, हालांकि उपयोग योग्य पानी लगभग 1123 बी.सी.एम है, जिसमें रो 690 बी.सी.एम सतह का पानी तथा 433 बी.सी.एम गुजल है। कृषि क्षेत्र जल का रावरो अधिक उपयोग

करने वाला क्षेत्र है जिसके अंतर्गत फसलों की सिंचाई हेतु पानी के कुल उपयोग की 80 प्रतिशत खपत होती है। विश्व वैक के अनुसार भारत में सिंचित कृषि क्षेत्र का 60 प्रतिशत भूजल से आता है तथा सिंचित कृषि क्षेत्र का 40 प्रतिशत सतह जल से पूर्ण होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि सिंचाई अत्यधिक भूजल पर निर्भर है जिस कारण भूजल का अति-निष्कर्षण हो रहा है।

यदि हम भारत के प्रमुख सिंचाई स्रोत के उपयोग पर नज़र डालें तो आंकड़े बताते हैं कि 1960 से 2015 तक, नहर सिंचाई का क्षेत्र 10.37 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 16.8 मिलियन हेक्टेयर हो गया तथा ट्यूबवेल सिंचाई का क्षेत्र 0.13 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 31.60 मिलियन हेक्टेयर हो गया। कुल मिलाकर कृषि सिंचित क्षेत्र 24.66 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 68.38 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। कृषि सिंचित क्षेत्र में बृद्धि तथा सिंचाई हेतु सतही जल की अपेक्षा भूजल पर बढ़ती निर्भरता ने उपलब्ध भूजल रासाधनों पर कुप्रभाव डाला है।



भारत सरकार के नीति आयोग ने मिट्टी की उर्वरता की हानि, जल संसाधनों की विगड़ती रिथति, भूजल का प्रदूषण और भूजल में लवणता की वृद्धि को जल प्रबंधन के रामदा रागरो बड़ी चुनौती बताया है। भारत में बढ़ती जनसंख्या तथा भोजन की वृद्धि मांग के कारण लगभग 60 करोड़ भारतीय अत्यधिक जल तानाव की रिथति का सामना कर रहे हैं। साथ ही, दिल्ली, वैंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद सहित नीस शहर 2020 तक भूजल से बाहर हो जाएंगे, जिससे 10 करोड़ लोग प्रभावित होंगे जिसमें एक बड़ा हिस्सा किसानों का होगा। कृषि सिंचाई तथा अन्य उद्योगों में जल की कमी के कारण 2050 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6 प्रतिशत का नुकसान होगा (नीति आयोग, 2019)।

तालिका-1 दर्शाती है कि भूजल उपलब्धता, सिंचाई जल उपलब्धता, कृषि जल उपयोग, पीने योग्य जल उपलब्धता तथा जल नीतियों के आधार पर देश के 60 प्रतिशत राज्यों को 'निम्न प्रदर्शन' के रूप में चिह्नित किया गया है जो स्पष्ट करता है कि उधित जल संरक्षण एवं कृषि सिंचाई प्रबंधन की अत्यंत आवश्यकता है। यह चिता और गंभीर हो जाती है क्योंकि इन 60 प्रतिशत राज्यों में मुख्यतः वो राज्य शामिल हैं जो कृषि उत्पादन में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं, इसीलिए भारत के राष्ट्रीय जल मिशन, 2008 के लक्ष्य 4 का मुख्य उद्देश्य घरेलू औद्योगिक, कृषि और वाणिज्यिक सहित सभी क्षेत्रों में कम से कम 20 प्रतिशत जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है।

जल संरक्षण एवं कृषि सिंचाई क्षेत्र में भारत सरकार की नवीन योजनाएं

भारत में 140 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है जिसका लगभग 48.8 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है, याकी 51.2 प्रतिशत क्षेत्र की खेती वर्षा पर निर्भर करती है। देश में लगभग 4,000 विलियन क्यूबिक मीटर की वार्षिक वर्षा (वर्फारी सहित) होती है, किन्तु इस जल उपलब्धता 1951 में 5,177 क्यूबिक मीटर से घटकर 2014 तक 1,508 क्यूबिक मीटर हो गई है तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता का 2025 तक मात्र 1,465 क्यूबिक मीटर तक कम होने का अनुमान है (विज्ञन 2030, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)। सिंचाई पर आधारित अनुसंधान यह दर्शाते हैं कि भूजल सिंचाई प्रणाली की वर्तमान दक्षता (35–40 प्रतिशत) को लगभग 50–60 प्रतिशत तक और भूजल की वर्तमान उपलब्धता (65–70 प्रतिशत) को 72–75 प्रतिशत तक सुधारा जा सकता है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत सरकार ने कृषि सिंचाई में निम्नलिखित योजना का निर्माण एवं कार्यान्वयन किया है

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

मानसून पर खेती की निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सरकार ने 'हर खेत को पानी' पहुंचाने के लिए वर्ष 2015–16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्वीकृत की थी। इस योजना में

तीन मंत्रालयों— जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुत्थान मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विभिन्न जल संरक्षण, संचयन एवं भूमिजल संवर्धन तथा जल वितरण संबंधित कार्यों को समेकित किया गया है। राज्यों द्वारा धनराशि के प्रयोग तथा उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस योजना हेतु पांच वर्षों के लिए 50000 करोड़ रुपये आवंति किए गए हैं जिससे कि 'हर खेत को पानी' तथा 'प्रति वर्ष, अधिक फसल' उत्पादन के साथ-साथ पूरे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपजिला/जिला-स्तर तथा राज्य-स्तर पर सिंचाई योजना तैयार कर, खेतों तक जल पहुंचाना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन, जलाशय पुनर्भरण, सतत जल संरक्षण प्रणाली प्रचलनों के साथ-साथ भूमि जल सूजन, पानी के बहाव को रोककर सफाया में लाना तथा जल उपलब्धि के अनुसार फसलों का चयन एवं आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप एवं स्प्रिकलर कार्यक्रम को लान करना है।

गोजना के चार कार्यक्रम घटक

- त्वरित सिंचाई लाग कार्यक्रम: इसका उद्देश्य राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित चल रहे मुख्य और मध्य सिंचाई कार्यक्रमों को तेजी से पूर्ण करना है।
- हर खेत को पानी: इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं—
 - लघु सिंचाई (सतही और भूजल दोनों) के माध्यम से नए जलस्रोतों का निर्माण करना;
 - जलनिकायों की मरम्मत, बहाली और नवीनीकरण, पारंपरिक जलस्रोतों, संचयन संरचनाओं का निर्माण कर जलसंचय की क्षमता को बढ़ाव देने के साथ-साथ कमांड क्षेत्र का

तालिका 1: भारत के विभिन्न राज्यों का समग्र जल सूचकान्क स्कोर (2017–18)

क्र. सं.	प्रदर्शन श्रेणी	राज्य
1	उच्च प्रदर्शन (अंक 365)	हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश
2	मध्यम प्रदर्शन (50–65)	पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु
3	निम्न प्रदर्शन (अंक 350)	उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, सिंधियम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नगालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, कोरल

चोत : नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संरथन) भारत सरकार (2019)

संधेय: भूजल उपलब्धता, सिंचाई जल उपलब्धता, कृषि जल उपयोग, पीने गोने जल उपलब्धता, जल नीतियाँ

विकास, स्रोत से खेत तक वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और निर्माण का कार्य करना है।

- भूजल विकास, ताकि बारिश के भौतिक में याकूबी को संग्रहित करके सिक्का किया जा सके।
- उपलब्ध स्रोतों का लाभ उठाने के लिए जल निकायों के लिए जल प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार करना जिसके अंतर्गत कम से कम 10 प्रतिशत कमांड क्षेत्र को सूखे सिंचाई प्रणाली के तहत कवर किया जाना है।
- आसपास के पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए अधिक पानी वाले स्थानों के स्रोत से पानी का डायर्जन;
- पारंपरिक जल भंडारण प्रणालियों का निर्माण और कायाकल्प जिसमें मुख्यतः जल मंदिर (गुजरात), खत्ती, कुहल (हिमाघल प्रदेश); जावो (नगालैड); एरी, ओरानिस (तमिलनाडु), डोग्स (असम), कटास, बांधा (ओडिशा) शामिल हैं।

(iii) प्रति बूंद अधिक फराल: इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- कुशल पानी संचार और सटीक जल अनुप्रयोग उपकरणों को बढ़ाया देना (ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ऐप्रिकलर्स, रेनगन इत्यादि);
- स्रोत निर्माण गतिविधियों जैसे नलकूपों और कुओं के निर्माण हेतु सूखे सिंचाई संरचनाओं का निर्माण;
- उपलब्ध पानी के भंडारण के लिए नहर प्रणाली सहित द्वितीयक भंडारण संरचनाओं का निर्माण;
- पानी उठाने वाले उपकरण जैसे डीजल/इलेक्ट्रिक/सौलर पप सेट, वॉटर कैरिज पाइप, भूमिगत पाइपिंग सिस्टम का विस्तार।
- किसानों के वीच वैज्ञानिक सिंचाई पद्धतियों के अभियान हेतु कृषि प्रसार गतिविधियों तथा विस्तार के लिए कार्यकर्ताओं को प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों का प्रसार करने के लिए सशक्त बनाना;
- धमता निर्माण, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम जिसमें कम लागत के प्रकाशन, पिको प्रोजेक्टर और सामुदायिक सिंचाई सहित तकनीकियों का विस्तार शामिल है।

(iv) वाटरशेड विकास: इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- अप्रवाह जल का प्रभावी प्रबंधन और बेहतर भिट्ठी और नमी संरक्षण गतिविधियों जैसे किरिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन उपचार, वर्षा जल संचयन, इन-सीटू नमी संरक्षण और वाटरशेड आवारित अन्य गतिविधियाँ;
- युने हुए पिछड़े वर्षा जल ब्लॉकों में पूर्ण क्षमता के लिए पारंपरिक जल निकायों का नवीकरण तथा नए जलस्रोत का निर्माण।

इस योजना के तहत 87 प्रतिशत धन उन राज्यों में आवंटित किया गया जहां अनुमानित सूखे सिंचाई क्षमता 80 प्रतिशत से अधिक है जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान शामिल हैं। प्रधानमंत्री कृषि

सिंचाई योजना के अंतर्गत 99 प्राथमिकता परियोजनाओं में से, 31 प्राथमिकता वाली परियोजनाएं जून 2018 तक पूरी हो चुकी हैं। वर्ष 2018–19 में इस योजना के अंतर्गत 5.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई तथा 5.83 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऐप्रिकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ाया गया। वर्ष 2018–19 में 1.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षित सिंचाई क्षमता को भी बढ़ाया गया। यदि 2015–16 से 2019 तक के प्रदर्शन पर नजर ढाले तो आकड़े यहांसे हैं कि कुल 15,83,157 हेक्टेयर क्षेत्र ड्रिप सिंचाई तथा 14,65,398 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऐप्रिकलर सिंचाई पद्धति को बढ़ाया गया। साथ ही, वर्ष 2015–16 से 2019 तक 3,33,392 किसानों तथा प्रसार कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण दिए गए तथा कुल 4,08,051 हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षित सिंचाई क्षमता को भी बढ़ाया गया (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)।

भारत में वैशिक ताजे जलस्रोत का मात्र 4 प्रतिशत नीजूद है जिससे वैशिक जनसंख्या के 18 प्रतिशत (भारतीय आवादी) हिस्से को जल उपलब्ध कराना होता है। नीति आयोग के अनुसार लगभग 330 मिलियन लोग (देश की एक चौथाई आवादी) गंभीर सूखे के कारण प्रभावित हुए हैं तथा देश के लगभग 21 प्रमुख शहर (दिल्ली, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य) वर्ष 2020 तक शून्य गूजल–स्तर तक पहुंच जाएंगे एवं इसके कारण लगभग 10 करोड़ अन्य लोग प्रभावित होंगे। यहांमान जलस्कर्ट को देखते हुए भारत सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास, गंगा कायाकल्प एवं पेयजल और रवच्छता मंत्रालय का विलय करके जल शपित मंत्रालय का गठन किया जिसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है—

जल शपित अभियान

जल शपित मंत्रालय द्वारा यह अभियान दो चरण में चलाया गया। पहला चरण 1 जुलाई, 2019 से 15 सितंबर, 2019 तथा दूसरा चरण 1 अक्टूबर, 2019 से 30 नवंबर, 2019 को पूर्ण किया गया। इस अभियान के अंतर्गत भारत के 256 जिले के 1692 जल–तनावग्रस्त ब्लॉक में निम्नलिखित कार्यों को सम्पन्न किया गया;

- जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन;
- पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैकों का नयीनीकरण;
- योरवेल सिंचाई संरचनाएं एवं वाटरशेड विकास;
- महन बनीकरण;
- ब्लॉक और जिला जल संरक्षण हेतु सिंचाई के लिए कुशल जल उपयोग;
- कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए फसलों के बेहतर विकल्पों का निर्माण।

इस अभियान के तहत 3.5 लाख से अधिक जल संरक्षण कार्य गिए गए जिसमें 1.54 लाख कारी जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन, 20000 पारंपरिक जल निकायों के कायाकल्प, 65000

रो अधिक पुनः उपयोग और पुनर्भरण रास्थाना ए तथा 1.23 लाख बाटरोड विकास परियोजनाओं के कार्य समिलित हैं। इस अभियान के अंतर्गत 2.64 करोड़ स्तोगों की सहायागिता से 4.25 करोड़ पौधे गी लगाए गए।

राष्ट्रीय जल मिशन

भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत आठ राष्ट्रीय मिशनों में से एक के रूप में राष्ट्रीय जल मिशन की स्थापना की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने (6 अप्रैल, 2011 को) राष्ट्रीय जल मिशन की मंजूरी दी थी जो आज भी कार्यान्वित है। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत राष्ट्रीय जल मिशन निम्नलिखित पांच लक्षणों की परिकल्पना करता है:

लक्ष्य 1: सार्वजनिक डॉमेन में व्यापक जल ढाटा घेस और चल-संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन,

लक्ष्य 2: जल संरक्षण, वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्यों को बढ़ावा देना

लक्ष्य 3: अति-शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना

लक्ष्य 4: पानी की उपयोग क्षमता 20 प्रतिशत बढ़ाना

लक्ष्य 5: येसिन-स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत पूरे देश में जल संरक्षण के कार्य तथा प्रशिक्षण कार्य किए गए। इसके अंतर्गत 'जल संसाधन सूचना सिस्टम' का विकास किया गया जिससे सार्वजनिक रूप से भारत के जल संसाधनों का निरंतर ढाटा और जानकारी डॉमेन और पानी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। इस मिशन के तहत देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार की कुल 11 मिलियन कृत्रिम रिचार्ज संरचनाओं

का निर्माण किया जाना है। साथ ही, 16.30 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कमांड एरिया डेवलपमेंट एवं जल प्रबंधन हेतु 150 परियोजनाओं को बलाया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत लगभग 10,000 जल निकायों की बहाली, 6,235 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सम्पत्ति को बहाल करने, 10,000 जल निकायों को (9000 ग्रामीण क्षेत्रों ने तथा 1000 शहरी क्षेत्रों में) संतुलित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय परिषेक्ष्य योजना (एनपीी) के साथ मिलकर विभिन्न नियमों को जोड़कर 35 मिलियन हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का निर्माण और 34,000 मेगावाट विजली उत्पादन के लक्ष्य इस मिशन को खास बनाते हैं।

जल जीवन मिशन

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यह मिशन 2019 में शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य 2024 तक सभी घरों में नल-जल देना है। भारत में कुल 18.5 करोड़ घर हैं किन्तु केवल 3.5 करोड़ भारतीय ग्रामीण परिवारों को कार्यालक नल-जल प्राप्त है इसीलिए भारत सरकार ने यह मिशन शुरू किया है। इस मिशन के अंतर्गत पुनर्भरण और पुनः उपयोग, ग्रें वॉटर मैनेजमेंट, जल संरक्षण, वर्षाजल संचयन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जल जीवन मिशन पानी के लिए एक सामुदायिक दृष्टिकोण पर आधारित होगा और इसमें मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल होंगे। राज्यों को वार्षिक धनराशि की पहली किस्त लगभग 4,000 करोड़ रुपये कार्य को आरंभ करने हेतु दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय-स्तर पर चल रही योजनाओं के साथ-साथ कई राज्यों ने भी राज्य-स्तरीय योजनाओं का कार्यान्वयन किया है, इनमें मुख्य निम्नलिखित हैं—

मुख्य जल स्वाच्छन्त्र अभियान (राजस्थान): वर्ष 2016 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य भागीदारी जल प्रबंधन





दृष्टिकोण के माध्यम से गांवों को पानी में आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम के पहले 2 वर्षों में, राजस्थान के 7742 गांव 2.3 लाख जल संरक्षण गतिविधियों से लाभान्वित हुए तथा दूसरे वर्ष में, 4213 गांवों में 1.35 लाख जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गईं। 50,000 अतिरिक्त हेक्टेयर भूमि को खेती हेतु उपयुक्त बनाया गया तथा 64 प्रतिशत हाथ पंपों को बहाल किया गया। कुल मिलाकर 33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए, करीब 93 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया।

नील चेन्नू कार्यक्रम (आंध्र प्रदेश): इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश को सूखे से बचाना तथा वेहतर जल संरक्षण और प्रवर्धन प्रथाओं के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को कम करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 7,000 खेत तालाबों, 22,000 चैक डैम की मरम्मत की गई तथा 102 लिपट सिंचाई योजनाओं को पुनर्जीवित किया गया। साथ ही, इस कार्यक्रम से राज्य में लगभग 2,10,000 एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है।

जलयुक्त शिवहर अभियान (महाराष्ट्र): हर साल 5000 गांवों को पानी की कमी से मुक्त करने के उद्देश्य से 2015–16 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत भूजल-स्तर में 1.5 से 2 मीटर की वृद्धि तथा 11,000 गांवों को सूखामुक्त घोषित किया गया है। साथ ही, कृषि उत्पादकता में 30 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई है।

मिशन ककातीय कार्यक्रम (तेलंगाना): यह कार्यक्रम 2014 में शुरू किया गया तथा इसके अंतर्गत मार्च 2018 तक 22,500 से अधिक टैक बहाल किए गए हैं तथा सिंचित सफल क्षेत्र में 51.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सीता राम सिंचाई परियोजना (तेलंगाना): वर्ष 2019 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य गोदावरी नदी के जल को डाइवर्ट करके तेलंगाना के भाद्रादारी कोठामुदेम, खम्मम तथा महबूबाबाद जिले के 2.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना है। गोदावरी नदी के जल को अनिकट बोर्ड से डाइवर्ट किया जाएगा। इस परियोजना के तहत दुम्मुगुदं अनिकट में गोदावरी नदी पर हेड रेगुलेटर का निर्माण किया जाएगा।

तथा 372 किलोमीटर लम्बी नहरों का निर्माण भी किया जाएगा। इस परियोजना से गांवों व ग्रामों की सिंचाई आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकेगा।

रुचलाग सुचलाग योजना (गुजरात): यह योजना गुजरात सरकार द्वारा मई 2018 में शुरू की गई जल संरक्षण योजना है। इसके अंतर्गत 13,000 झीलों, घंकड़ेम और जलाशयों के गहरीकरण के माध्यम से जल भंडारण क्षमता को 11,000 लाख क्यूबिक फीट तक बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है।

पानी बचाओ पैसो कराओ (पंजाब): यिजली विभाग हासा जालंधर और होशियारपुर ज़िलों में पायलट आधार पर शुरू की गई यह योजना किसानों को कुशलतापूर्वक संसाधनों का उपयोग हेतु प्रोत्साहित करके यिजली और पानी की बर्बादी की व्यापक समस्या का एक अनूठा समाधान प्रस्तुत करती है। इसके अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीवीटी) के माध्यम से यचाई गई यिजली की प्रत्येक इकाई के लिए निर्धारित यिजली कोटा और 4 रुपये प्रति किलोयाँट प्रदान किया जाता है।

निष्कर्ष

वातावरण में जल की कमी नहीं है किन्तु वारिश का 90 प्रतिशत जल वह जाता है जिसका बढ़ा भाग हम संरक्षित नहीं कर पाते। 70 साल से लगातार जल का ढोहन ही हो रहा है जिसे ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने जल संरक्षण के लिए देश की 450 नदियों को जोड़ने तथा सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। हम वारिश का सिंक 8 फीसदी जल ही संचित कर पा रहे हैं, अगर हम वारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा संचित करें तो भूजल-स्तर भी बढ़ेगा और पानी के संकट से बचा जा सकेगा। साथ ही, हमें इसाइल के समान सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) आधारित खेती को बढ़ावा देना होगा। जिसके लिए कार्यान्वयित योजनाओं को जामीनी-स्तर पर सफल बनाना अति आवश्यक है।

(गिरिजेश मिशन मध्य गारीबी कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के कूपि प्रशासन और प्रतिभा जोशी कृषि प्रौद्योगिकी आकलन एवं रथानांतरण कॉर्प में वातावरणीकरण कार्यरत हैं।)

ई-मेल : girireshmaitra22@gmail.com

भारतीय अर्थव्यवस्था की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में व्यवसायों को राहत और ऋण सहायता हेतु उपाय

13 मई, 2020 को नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय कहा जानिवार्य रूप से लद्य एक 'आत्मनिर्भर भारत' का निर्माण करना है। यही कारण है कि आधिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान नाम दिया गया है। श्रीमती सीतारमण ने उन स्वभावों का हवाला दिया जिन पर आत्मनिर्भर भारत की इमारत खड़ी होगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा फोकस भूमि, अम, तरलता (स्थिरिकिटी) और कानून पर होगा।

वित्तमंत्री ने उन उपायों की घोषणा की जिनका उद्देश्य कारोबारी गतिविधिया फिर से शुल करना है अथात् कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं, व्यवसायों, विशेषकर सूहम, लघु एवं बड़म उद्यमों (एमएसएमई) को फिर से उत्पादन कार्य में संलग्न करना और कामगारों को फिर से लाभकारी रोजगारों से जोड़ना है। गैर-वैफिंग वित्तीय कंपनियों (एनटीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी), नाइको फाइनेंस सेक्टर और विद्युत सेक्टर को नज़्म देने के प्रयासों के बारे में भी बताया गया। इसके अलावा, कारोबारियों को कर राहत, सार्वजनिक खरीद में ठेकेदारों को अनुबंध की प्रतिबद्धताओं से राहत और रियल एस्टेट सेक्टर को अनुपालन राहत भी दी गई है।

13 मई, 2020 को घोषित किए गए उपाय

1. एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन कार्यशील पूँजी दी गयी। व्यवसायों को सहत देने के लिए 29 फरवरी, 2020 तक यात्रा व्रत के 20 प्रतिशत की अतिरिक्त कार्यशील पूँजी दी गयी। यह राहत 25 करोड़ रुपये तक के बकाया ऋण और 100 करोड़ रुपये तक के टन्नोंपर यात्री उन इकाइयों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके खाते मानक हैं। इन इकाइयों को अपनी ओर से कोई भी गारंटी या जमानत नहीं देनी होगी। इस राशि पर 100 प्रतिशत गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी जो 45 लाख से भी अधिक एमएसएमई को 3.0 लाख करोड़ रुपये की बुल तरलता (स्थिरिकिटी) प्रदान करेगी।

2. कर्ज बोझ से दबे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अप्रधान ऋण।

उन दो लाख एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ के अप्रधान ऋण का प्राप्तान किया गया है जो एनपीए से जूँ रहे हैं या कर्ज बोझ से दबे हुए हैं। सरकार सूहम और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

को 4,000 करोड़ रुपये देकर उन्हे आत्मनिर्भर सहयोग देगी। यैको रो अपेक्षा की जाती है कि वे इस तरह के एमएसएमई के प्रवर्तीकरण को अप्रधान ऋण प्रदान करेंगे, जो इकाई में उनकी गैजूदा हिस्सेदारी के 15 प्रतिशत के बराबर होगा। यह ऋण अधिकतम 75 लाख रुपये होगा। यैको रो अपेक्षा की जाती है कि वे इस तरह के एमएसएमई के प्रवर्तीकरण को अप्रधान ऋण प्रदान करेंगे, जो इकाई में उनकी गैजूदा हिस्सेदारी के 15 प्रतिशत के बराबर होगा। यह ऋण अधिकतम 75 लाख रुपये होगा।

4. एमएसएमई फैल ऑफ फँड्स को भार्या 50,000 करोड़ रुपये की इकिवटी सुलगा कराई जाएगी।

सरकार 10,000 करोड़ रुपये के क्षेत्र के साथ एक फैल ऑफ फँड्स की रथापाना करेगी जो एमएसएमई को इकिवटी फँडिंग सहायता प्रदान करेगा। फैल ऑफ फँड्स का संचालन एक समय फैल और कुछ सहायता कंडों के भाव्यम से होगा। यह उम्मीद की जाती है कि सहायता कंडों के स्तर पर 1:4 के लाग या प्रगाव की बदौलत फैल ऑफ फँड्स लगभग 60,000 करोड़ रुपये की इकिवटी जुटा सकेगा।

5. एमएसएमई की नई परिमाण।

निवेश की सीमा बढ़ाकर एमएसएमई की परिमाणा को संशोधित किया जाएगा। टन्नोंपर या एक अविरिक्त मानदंड भी शामिल किया जा रहा है। धिनिमाण और सेवा हेतु (सर्विस सेक्टर) के शीब के अंतर को भी समाप्त किया जाएगा।

6. एमएसएमई के लिए अन्य उपाय।

एमएसएमई के लिए ई-मार्केट लिंकेज को बढ़ावा दिया जाएगा, जो यात्रा भेलों और प्रदर्शनियों को प्रतिरक्षण के रूप में काम करेगा। सरकार और शीबीएसई की ओर से एमएसएमई के प्राप्त 45 दिनों से जारी किए जाएंगे।

आत्मनिर्भर भारत आगे की राह

आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तरों



आत्मनिर्भर भारत अभियान

इ-20 लाख करोड़ का भूमि, खेत, तरलता परिक्रमा, नियम वर्तन, कृषि चलोगी, और जागूत परिवर्तन। एमएसएमई और उद्यमों की राहत, जो उनको उत्तराधिकारी वित्तीय कंपनियों को देती है।

राहस्यक सुधार-वक्तव्य की गांग

कर्ज बोझ से दबे उद्यमों की राहस्यक सुधार-वक्तव्य

आत्मनिर्भर भवन
प्रकाशन

आत्मनिर्भर
उद्योग
कानून

आत्मनिर्भर
वित्तीय
कंपनियों
का दृष्टि

आत्मनिर्भार भारत घोषित उपायों का सारांश

- एनवीएफसी/एमएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना
- एनवीएफसी/एमएफआई की देनवारियों के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक त्रट्टण गारंटी योजना 2.0 डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये की तरलता सुलभ योजना जाएगी
- ईपीएसी और रियायत लाभदाताओं से जुड़े इमिशो लिविंग अनुबंधात्मक योजनाओं को पूरा करने के लिए 3 माह तक का समय विताया देकर देंकेदारों को राहत दी गई
- विवेत एस्टेट परियोजनाओं से राहत, रानी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए खंडीलग और पूर्ण होने की तारीख को छह माह तक बढ़ाया जाएगा
- व्यवसाय के लिए कर राहत, धर्मांश ट्रस्टों और गैर-कौरपोरेट व्यवसायों एवं पेशी यों लिपित आयकर रिफैड तुरंत योजना के लिए जाएगा
- वित्त वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए योजना पर कर कटौती और स्रोत पर संग्रहित कर की दरों में 25 प्रतिशत की कटौती कर संरक्षित विभिन्न अनुपालनों के लिए अंतिम लिपियों बदलाई गई



आत्मनिर्भार भारत घोषित उपायों का सारांश

- एमएसएमई सहित व्यवसायों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की आवारकतातीन नियमीत पूर्णी शुल्किया
- कर्ज बोझ से दबे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का अनुदान देता
- एनएसएमई फॉड ऑफ फ़ैश्स के व्यवसाय से 50,000 करोड़ रुपये की इविटी सुलभ कराई जाएगी
- एमएसएमई की नई परियोजना और एनएसएमई के लिए अन्य उपाय
- 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी नियिदाओं के लिए घोड़े विशेष नियिदानी
- जून, जुलाई एवं अगस्त 2020 के बेतन महीनों के लिए व्यावसायिक और संगठित लाभगार्हों के लिए कर्मचारी भविष्य नियि संरक्षित सहायता 3 माह और बढ़ाई गई
- ईपीएफसी द्वारा करवर किए जाने वाले सभी प्रतिक्षानों के नियोजनाओं और रूमवारियों के लिए ईपीएफ अंशदान को उगले 3 महीनों के लिए 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जाएगा



कर्मचारी दोनों की ही ओर से वेतन में 12-12 प्रतिशत का योगदान करती है, को जून, जुलाई और अगस्त 2020 के वेतन महीनों के लिए 3 माह तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाहर लगभग 2500 करोड़ रुपये का युल लाभ 72.22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा।

9. ईपीएफ अंशदान को नियोजित करने और कर्मचारियों के लिए 3 माह तक बढ़ाया जाएगा।

ईपीएफसी द्वारा करवर किए जाने वाले सभी प्रतिक्षानों के नियोजक्ता और कर्मचारी, दोनों में से प्रत्येक के अनिवार्य ईपीएफ अंशदान को 3 माह तक मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे प्रति माह लगभग 2,250 करोड़ रुपये की तरलता मिलेगी।

10. एनवीएफसी/एचएफसी/एमएफआई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना

सरकार 30,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता योजना शुरू करेगी, तरलता आरबीआई द्वारा प्रदान की जा रही है। एनवीएफसी, एचएफसी और एमएफआई के नियेश योग्य डेट पेपर में प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में होने वाले लेन-देन में नियेश किया जाएगा। इस पर भारत सरकार की ओर से 100 प्रतिशत गारंटी होगी।

11. एनवीएफसी/एमएफआई की देनदारियों के लिए 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक त्रट्टण गारंटी योजना 2.0

मौजूदा आंशिक त्रट्टण गारंटी योजना को संशोधित किया जा रहा है और अब कम रेटिंग वाली एनवीएफसी, एचएफसी और अन्य माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एमएफआई) की उधारियों को भी कवर करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। भारत सरकार सार्केनिक बैंकों को 20 प्रतिशत के प्रथम नुकसान की संप्रभु गारंटी प्रदान करेगी।

12. डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपये की तरलता सुलभ कराई जाएगी

पौंदिर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के तहत डिस्कॉम में दो समान किश्तों में 90,000 करोड़ रुपये तक की तरलता सुलभ कराई जाएगी। इस राशि का उपयोग डिस्कॉम द्वारा पारेक्षण और उत्पादक कपनियों को उनके बकाये का भुगतान करने में किया जाएगा। इसके अलावा, सीपीएसई की उत्पादक कपनियों इस तरह पर डिस्कॉम को छूट देंगी कि यह रियायत अंतिम उपायोगताओं

को उनके निर्दिष्ट शुल्क की अद्यायगी में राहत के रूप में मिल जाए।

13. देंकेदारों को राहत

रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भवालय और सीपीडब्ल्यूडी जैसी सभी कोट्रीय एजेंसियों ईपीएसी और रियायत समझौतों से जुड़े दायित्वों सहित अनुबंधात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए छह माह तक का अतिरिक्त समय देंगी।

14. रियल एस्टेट परियोजनाओं को राहत

राज्य सरकारों को यह सलाह दी जा रही है कि वे 'रेसा' के तहत अप्रत्याशित परिस्थिति या आपदा अनुच्छेद का उपयोग करें। सभी पंजीकृत परियोजनाओं के लिए पंजीकरण एवं पूर्णता तिथि 6 माह तक बढ़ाई जाएगी तथा राज्य की परिस्थिति के आधार पर इसे 3 माह और बढ़ाया जा सकता है। 'रेसा' के तहत विभिन्न पैमानिक अनुपालनों को भी एक साथ बढ़ाया जाएगा।

15. व्यावसाय के लिए कर राहत

धर्मांश ट्रस्टों एवं गैर-कौरपोरेट व्यवसायों और प्रोपराइटरिप्रिय, साडोदारी एवं एलएलपी सहित पेशों तथा सहकारी समितियों को लियित आयकर रिफैड तुरंत जारी किए जाएंगे।

16. कर संवर्ती उमाय

- 'स्रोत पर कर कटौती' और 'स्रोत पर संग्रहित कर' की दरों में कटौती - निवारियों को होने वाले सभी गैर-वेतनभानी भुगतान के लिए टीडीएस दरों और स्रोत पर संग्रहित कर की दर में विच वर्ष 2020-21 की शेष अवधि के लिए निर्दिष्ट दरों में 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। इससे 50,000 करोड़ रुपये की तरलता सुलभ होगी।
- आकलन वर्ष 2020-21 के लिए सभी आयकर रिटन की अंतिम तारीख को 30 नवम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह टीएस ऑफिल की अंतिम तिथि को 31 अक्टूबर, 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा।
- विवाद से विश्वास योजना के तहत असिरिक्त राशि के बिना ही भुगतान करने की तारीख को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ा दिया जाएगा।

स्रोत : पीआईवी

कृषि, मत्त्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए कृषि अवसंरचना लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने एवं क्षमता निर्माण, गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधार के लिए उपाय

के द्वीप वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 13 मई, 2020 को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि, मत्त्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए कृषि अवसंरचना लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने, क्षमता निर्माण, गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों के लिए अहम उपायों के तीसरे भाग की घोषणा की।

पिछले 2 महीनों में सरकार ने जो-जो कदम उठाए हैं, उनका लेखा-जोखा देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि लॉफडाउन की अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद 74,300 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि की हुई; पीएम किसान फंड में तोहत 18,700 करोड़ रुपये का हस्तातरण हुआ और पीएम फसल योजना के तहत 6,400 करोड़ रुपये के दावों का मुगातान किया गया है।

तुशी सीतारमण ने कहा कि इन घोषणाओं से किसानी, मधुआरा की जिंदगी और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर दीर्घकालिक और स्थायी असर होगा।

वित्त मंत्री ने कृषि, मत्त्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के लिए आधारभूत ढांचा लॉजिस्टिक्स को मजबूत बनाने और क्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की:-

- किसानों के लिए कृषि ड्राइव (फार्म-गेट) आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष फार्म-गेट और एकत्रीकरण विद्वाओं (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप आदि) पर मौजूद कृषि आधारभूत ढांचा परियोजनाओं को विस्तोपण के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये की वित्तीय वित्तीय उपलब्ध कराई जाएगी।
- सूक्ष्म खाद्य उपकरणों (एमएफई) के औपचारिकरण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना।

#AatmanirbharBharatAbhiyanPackage | भाग-3

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर विशेष व्यायाम (1/2)

इकाइस्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए कदम

1. कृषि-मूल्यांकी वैयक्ति के लिए एची इकाइस्ट्रक्चर फंड: 1 लाख करोड़ रुपये
2. सूक्ष्म खाद्य उपकरणों का औपचारिकरण: 10,000 करोड़ रुपये
3. भ्रायांपकी बत्त्य समर्थन योजना: 20,000 करोड़ रुपये
4. राष्ट्रीय पशु और फसल विभवण कार्यक्रम: 13,342 करोड़ रुपये
5. व्यापारित आवास विकास योजना: 15,000 करोड़ रुपये
6. हर्बेट वॉटरी को बढ़ावा: 4,000 करोड़ रुपये
7. मधुआरा की पालन के लिए 500 करोड़ रुपये
8. औपचारिक योजना को टाकावर, यात्रा और जातू से राष्ट्रीय फलों और सम्बन्धों तक बढ़ावा जाएगा।



#AatmanirbharBharatAbhiyanPackage | भाग-3

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर विशेष व्यायाम (2/2)

क्षासन और प्रशासनिक सुधार

आवश्यक बस्तु अभियान ने संस्थानों

- कृषि व्यायाम नामकीने करने का लक्ष्य, ज्ञान विद्या, व्यायाम के लिए एकेस्ट्रेट किया जाएगा
- बलापाराम परिवर्तनीयों वे ही स्टोक विद्या जारी होनी चाही
- गोवेसर ए मूल वृक्षों उत्तिविनियों पर दैर्घ्य कोई स्टोक विद्या जारी होनी चाही

कृषि विप्रवान सुधार

एक बड़ी बदलाव उद्यान विद्या जारी होगी:-

- विद्यालय कर्मी चारों बाल्कर्स तुल्य पर देख रखें
- विद्यालय-मूल चारों बाल्कर्स व्यायाम
- कृषि व्यवस्था के दैर्घ्यविकास के लिए स्टोक विद्या



मौजूदा, एकीनेटर, बड़े रिटेलर्स, एसलोटर्स आदि के लाभ लुप्तने के लिए नुस्खावाल कानूनी राज

किसानों के लिए व्यायाम विद्या, नुस्खावाल रिटेलर्स और तुल्यवाल व्यायामकरण

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को जारी बढ़ाने वाली योजना।

2 लाख एमएफई की सहायता के लिए वैदिक पहुंच के साथ बोकल फॉर लॉफल का सुभारंभ किया जाएगा। इससे ऐसे उद्यमियों को फायदा होगा, जिन्हें एफएसएसएसआई खाद्य नानकों को हासिल करने, ब्रांड स्थापित करने और विपणन के लिए तकनीक उन्नयन की जरूरत है। वर्तमान खाद्य उद्यमियों किसान उत्पादक संगठनों, स्वयंसहायता समूहों और सहकारी समितियों को भी समर्थन दिया गया है। इससे नहिलाओं और अनुज्ञापित जाति/जनजाति के स्थानिक वाली इकाइयों और आकांक्षी जिलों पर व्यायाम कंट्रिट किया जाएगा तथा बलस्टर-जाधारित रणनीति (जैसे उत्तर प्रदेश में आम, कर्नाटक में टमाटर, ओडी प्रदेश में मिर्च, महाराष्ट्र में सतरा आदि) को अपनाया जाएगा।

- प्रधानमंत्री भवत्य संघटा योजना (पीएमएससाधा) के माध्यम से मधुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपये संसद्यार समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय (इनस्टेंड) भछत्ती यात्रन के लिए पीएसएसएसआई की एकीकृत करेंगी। समुद्री, अंतर्राष्ट्रीय नदियों पालन और एव्याकृद्यर से शुरूआत करेंगी। समुद्री, अंतर्राष्ट्रीय नदियों पालन और एव्याकृद्यर से शुरूआत करेंगी। समुद्री, अंतर्राष्ट्रीय नदियों पालन और एव्याकृद्यर से शुरूआत करेंगी। नदियों की वित्तीय विधियों के लिए 11,000 करोड़ रुपये तथा भारतीय नदियों की वित्तीय विधियों के लिए 9,000 करोड़ रुपये हार्डस, शीतमंडार, बाजार आदि के लिए 9,000 करोड़ रुपये ली ग्रन्तीदाता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत केज फलवर, समुद्री शीबाल की खेती, सजावटी नदियों के साथ नए नदियों दगड़ने के जहाज, ट्रेसेमिलिटी (पता लगाने), प्रयोगशाला नेटवर्क आदि की व्यायाम दिया जाएगा। मधुआरों की दैन पीरियड (जिस ज़मीन में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं होती है) संपोर्ट व्यक्तिगत और नोका बैन

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

1.78 लाख मीटिंग टन	19.350 करोड़ रुपये का समान वित्तीय बजेट
1.35 करोड़ वित्तीय बजेट	9.87 करोड़ वित्तीय बजेट

के प्रावधान किए जाएंगे। इससे 5 वर्ष में 70 लाख टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होगा, 55 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और नियोत दोगुना रोकर 1.00,000 करोड़ रुपये के साथ पर पहुंच जाएगा। इसमें अतर्देशीय, हिंगाली राज्यों, पूर्वोत्तर और आकांक्षी जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- **राष्ट्रीय पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम**

खुरपका मुहूर्पका रोग (एफएमडी) और बुरोलोसिसा के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियन्त्रण कार्यक्रम 13,343 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ शुरू किया गया। यह कार्यक्रम खुरपका मुहूर्पका रोग और बुरोलोसिसा के लिए भवेशी, भैंस, भेड़, बकरी और गुअर की आवादी (युल 53 करोड़ पशुओं) का 100 प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। अब तक, 1.5 करोड़ गायों और भैंसों को टैग किया गया है और उन्हें टीके लगाए जा चुके हैं।

- **पशुपालन चुनियादी ढांचा विकास कांप— 15,000 करोड़ रुपये**

डेशी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और पशु चारा बुनियादी ढांचे में निजी नियेश का समर्थन करने के उद्देश्य से 15,000 करोड़ रुपये का पशुपालन चुनियादी ढांचा विकास कांप रथापित किया जाएगा। विशिष्ट उत्पादों के नियोत हेतु संयंत्र रथापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा।

- **ओपढ़ीय या हर्नल खेती को प्रोत्साहन : 4000 करोड़ रुपये का परिव्यय**

राष्ट्रीय ओपढ़ीय पादप बोर्ड (एनएमपीबी) ने 2.25 लाख हेक्टेयर

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

₹ 19.350 करोड़ रुपये का वित्तीय बजेट	9.87 करोड़ वित्तीय बजेट
---	----------------------------

#AatmaNirbharApnaBharat

रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये का आवंटन



मनरेगा के सहत अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये का आवंटन

- कुल करीब 300 करोड़ व्यक्तियों का सृजन
- बापिस लीट रहे प्रधानमंत्री मजदूर भी और मानवत के दीरान भी कार्य कर सकते हैं।
- जल रसायण सहित चड़ी रसाया में टिकाऊ और आवासिक परिसमायियों का निर्माण
- उच्च उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रदाना

20 ₹ 20 LAKH CRONE / 01.05.2020 / ONEDAY 17 MAY 2020



क्षेत्र में ओपढ़ीय पौधों की खेती को सहायता प्रदान की है। अगले दो वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से हर्वल खेती के तहत 10,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपये की आमदानी होती है। ओपढ़ीय पौधों के लिए क्षेत्रीय नियोतों का नेटवर्क होगा। एनएमपीबी गमा के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में गलियारा विकसित कर औपढ़ीय पौधे लगाएगा।

- (टमाटर, प्याज और आलू) 'टॉप' से 'टोटल' (सम्पूर्ण) तक— 500 करोड़ रुपये

ग्रामीण संस्करण उद्योग मत्रालय द्वारा संचालित 'ओपरेशन प्रीस' को टमाटर, प्याज और आलू से लेकर सभी फलों और सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा। यह योजना कोल्ड स्टोरेज सहित सरप्लस से घाटे चाले बाजारों में परिवहन पर 50 प्रतिशत संविठडी, भंडारण पर 50 प्रतिशत संविठडी प्रदान करेगी और इसे अगले 6 महीनों के लिए प्रायोगिक रूप से लॉन्च किया जाएगा तथा इसे बढ़ाया और विस्तारित किया जाएगा। इससे किसानों को तेहतर कीमत की प्राप्ति होती, बर्यादी में कमी आएगी तथा उपभोक्ताओं को किफायती उत्पाद मिलेगे।

प्रधानमंत्री गत्स्या सम्बद्ध योजना

#AatmaNirbharApnaBharatAbhiyan

आत्मनिर्भर भारत

किसानों की आय में बढ़ि हेतु मधुमक्खी पालन को बढ़ावा

- किसानों की आय के प्रतिशित स्तरों के रूप में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना चलायी जाएगी, जिसके लिए 500 करोड़ रु. का प्रावधान किया जाएगा।
- एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, विषयन और भेड़ापालन केंद्र, पोस्ट हाउस और मूल्यवर्धन गुडियाओं आदि से संबंधित जलारोपनाओं का विकास किया जाएगा।
- मधुमक्खीवाक्यों के रूप में महिलाओं पर विशेष पोषकास करते हुए कलापा विकास को गमी प्रदान की जाएगी।
- मधुमक्खीनालीक स्टील और मधुमक्खी प्रजनकों के विकास को बढ़ावा दिलेगा, 2 लाख मधुमक्खी-पालकों की आय में बढ़ि होनी और उपयोगात्मीयों के मुद्रावस्थापूर्ण बदल मिलेगा।

प्रधानमंत्री गत्स्या

अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का नियेश

मछली उत्पादन को 220 एलएमटी तक बढ़ाने के लिए

मछुआरों और मछली पालन की आय बढ़ानी और रोजगार सृजन

तटीय मछुआरे गांवों में 3,477 सायर मिर्च पंजीकृत होंगे।

ई-नाम प्लेटफॉर्म की 1000 मंडियों तक हुई पहुंच

15 मई, 2020 को 38 और नई मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप नियोजित लक्ष्य के अनुसार 415 मंडियों की एक और उपलब्धि हासिल हुई। 38 मंडियों मध्य प्रदेश (19), तेलंगाना (10), महाराष्ट्र (4) और (1) गुजरात, हरियाणा, पंजाब, करेल और जम्मू-कश्मीर से एकीकृत है। पहले चरण में 585 मंडियों की समग्र सफलता के साथ दूसरे चरण में 415 नई मंडियों को एकीकृत करने के लिए ई-नाम का और विस्तार किया गया। ई-नाम प्लेटफॉर्म में अब 18 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों की 1000 मंडियों हैं।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल, 2016 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म के रूप में मोजूदा मंडियों की नेटवर्किंग करने के उद्देश्य से किया गया था जिससे भारत में कृषि जिसों के लिए ऐसे राष्ट्र एक बाजार का निर्माण हो सके। भारत सरकार की यह डिजिटल पहल, सभी एपीएमसी संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए एक खिड़की सेवा प्रदान करती है जिसमें कृषि जिसों का आगमन, गुणवत्ता परख, प्रतिस्पर्धी बोली प्रस्ताव और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवा किसानों के खातों में पहुंचाना शामिल है। यह ऑनलाइन डिजिटल बाजार लेन-देन की लागत को कम करने, सूचना विषमता को दूर करने एवं किसानों और अन्य हितधारकों के लिए बाजार पहुंच के विस्तार में योगदान करने हेतु है।

पिछले 4 वर्षों में ई-नाम ने 1.66 करोड़ किसानों, 1.31 लाख व्यापारियों, 73151 कर्मीशन एजेंटों और 1012 एफपीओ का उपयोगकर्ता आधार पर पंजीकृत किया है। 14 मई, 2020 तक, कुल 3.43 करोड़ मीट्रिक टन और 38.16 लाख नंबरों (वाल और नारियल) की कुल मात्रा ने सामूहिक रूप से ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 1 लाख करोड़ रुपये के उल्लेखनीय कारोबार को पार कर दिया है। वर्तमान में, खाद्यान्तरिक सिलहन, रेशे, सब्जियों और फलों सहित 150 वर्षतुओं का व्यापार ई-नाम पर किया जाता है।

कौविड-19 लॉकडाउन संकट के कारण किसानों को होने वाली खटिनाइयों का समाधान करने के लिए 2 अप्रैल, 2020 को कौविड कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तांमर ने ई-नाम के 3 नए मॉड्यूल लांच किए।

1. **ई-नाम पर एफपीओ मॉड्यूल :** यह मॉड्यूल एफपीओ को अपने संग्रह केंद्रों, जो "डीम्ड मार्केट" या "सब बार्केट यार्ड" के नाम में घोषित हैं, जनसे कृषि जिसों के व्यापार का संचालन करने में सक्षम बनाता है। अब तक ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 1012 एफपीओ पंजीकृत हैं, और 8.11 करोड़ रुपये मूल्य की 3053 मीट्रिक टन कृषि उपज का कारोबार किया गया है। इनमें हाल ही में शुरू किए गए एफपीओ मॉड्यूल की माध्यम से 42 एफपीओ ने अपने स्वयं के संग्रह केंद्र से कारोबार किया।
2. **वेयरहाउस आधारित - (इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएशन वेयरहाउस रसीदें - eNWR) ट्रेडिंग :** वेयरहाउस आधारित ट्रेडिंग के लिए आंश प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों ने डब्ल्यूडीआरए रजिस्टर्ड क्रमशः 23 एवं 14 केंद्रीय भंडारण निगम के गोदानों को एक समूह बाजार घोषित किया है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 138 राज्य सरकार और सहकारी गोदानों को उप-बाजार यार्ड घोषित किया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पंजाब ने गोदाम-आधारित व्यापार को सुविधाजनक ढानान के लिए अपने संबंधित एपीएमसी आधिनियम में सशोधन शुरू किया है।
3. **लॉजिस्टिक मॉड्यूल :** यह कृषि जिसों को खेत से मंडियों और मंडियों से गोदाम/उपभोग केंद्रों तक ले जाने की तुलिया प्रदान करता है। 2.3 लाख ट्रांसपोर्टर्स और 11.37 लाख बाहनों से जुड़े नौ लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर/एग्री�ेटर ई-नाम प्लेटफॉर्म के जुड़ गए हैं।

1 मई, 2020 को, आरईएमएस- यूएमपी (यूनिफाइड मार्केट पोर्टल) और ई-नाम पोर्टल के बीच अंतर-संचालन शुरू किया गया था। इस नए मॉड्यूल में कर्नाटक के आरईएमएस- यूएमपी और ई-नाम प्लेटफॉर्म पर किसान और व्यापारी ईटर-प्लेटफॉर्म ट्रेड/व्यापार के सकते हैं। अंतर-परिचालन सुविधाओं और इसके विपरीत का उपयोग करके व्यापार के लिए और अधिक बाजारी तक पहुंच देने के लिए यह पहल भद्र बारेगी।

ई-नाम के ये आवित्तिकारी कदम निश्चित रूप से किसानों, व्यापारियों और मंडियों को सामूहिक रूप से एकजुट होकर एक इकाई के रूप में कार्य करने एवं साप्त्र को ऑनलाइन प्रिकी और कृषि खरीद की दिशा में ई-नाम पोर्टल के माध्यम से आगे से जाने ने निर्दर्शन साधित होंगे और इसे 'एक बाजार' लक्ष्य की दिशा में और मजबूत करेंगे।



कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा

1 मई, 2020 को कृषि भवन में 177 नई ई-नाम मंडियों की शुरूआत करते हुए।

कोविड-19 से निपटने हेतु भारत की रणनीति

-उच्चारा प्रमाण

कोविड-19 आने वाले कुछ समय तक हमारे जीवन का एक हिस्सा रहेगा और हमें इसके साथ रहना रीखना होगा। इसके लिए हमें सो प्रत्येक को सावधानिक स्थानों पर चैहे को ढंकने और हाथ की स्वच्छता पर प्यान केंद्रित करने के साथ-साथ सामाजिक दूरी के मानदंडों का धालन करना जारी रखना होगा।

कृष्ण महीनों की अवधि में विश्व भर में लगभग 64,30 लाख करोड़ से अधिक संक्रमण के मामलों और 3.85 लाख से अधिक मौतों के साथ, कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य प्रणालियों और अर्थव्यवस्थाओं को रामान रूप से तबाह कर दिया है। और इनमें कुछ सबसे विकसित देश भी शामिल हैं। 4 जून, 2020 भारत में करीब 2,17,000 कोविड मामलों की पुष्टि की गई; 1,06,737 का इलाज चल रहा है और 1,04,107 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक भारत में 42,42,718 संग्रह देस्ट किए जा चुके हैं और 5 हजार से अधिक लोगों ने इस रोग के कारण दम तोड़ दिया। सीमान्ध से, भारत में इस रोग से उबरने की दर निरंतर सुधर रही है और अब तक ऐसे रोगियों में से, जिनमें इसकी पुष्टि हुई थी, लगभग 47.99 प्रतिशत रक्षण हो चुके हैं। भारत में मृत्यु दर घटकर 2.80 प्रतिशत हो गई है।

हवाई अड्डों पर यात्रियों की स्तीर्णिंग, सावधानिक स्थानों पर बढ़े सामारोहों पर रोक लगाने और सामाजिक दूरी के मानदंडों को लागू करने जैसे कई उपाय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा घरणों में शुरू किए गए थे, वही 25 मार्च, 2020 को भारत में देशव्यापी तालाबंदी आरंभ हुई, जब कोविड के मामले और मृत्यु दर बहुत कम थी। यास्तव में, ऑक्सफोर्ड के कोविड-19 गवर्नमेंट रिसर्चस लिंग्जेंसी इंडेप्स के अनुसार भारत का लॉकडाउन स्ट्राइक रफॉर 100 था जब हमारे यहाँ कोविड-19 के प्रति दस लाख आवादी पर सिर्फ 0.04 दिनिक मामले थे। इसके विपरीत, जब तक इटली का लॉकडाउन स्ट्रिंजेंसी रफॉर 90 से अधिक हुआ तब तक देश में पहले से ही कोविड-19 के प्रति दस लाख जनसंख्या में

79.21 दिनिक मामले और कोविड-19 से प्रति दस लाख पर 12.29 लोगों की हर दिन मृत्यु हो रही थी। उसी समय पर राष्ट्रव्यापी तालाबंदी लागू करके, भारत ने एक दृढ़ संकेत दिया कि जीवन को बदाना उसकी प्राथमिकता है।

तालाबंदी को संक्रमण के प्रसार को धीमा करने के साथ-साथ कई रसों पर गीमारी से निपटने के लिए

स्वास्थ्य प्रणाली को तैयार करने के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान, देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे और नानव संसाधन कमता को बढ़ाने के प्रयास किए गए।

भारत में निगरानी, परीक्षण और संपर्क ट्रैसिंग कमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कई पहल की गई है। बिसाल के तौर पर एटीबॉडी परीक्षणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों, प्रयोगशालाओं और निजी संस्थानों को एकजुट करने के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक्स कंसोर्टियम (सीएग्जारडी) की स्थापना की गई जो हमें बेहतर ढंग से ये समझने में मदद कर सकता कि यह संक्रमण किस सीमा तक भारतीय आवादी को प्रभावित कर सकता है। इस कंसोर्टियम का उद्देश्य लगभग 100 लाख रैपिड एटीबॉडी परीक्षणों के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करना है जो त्वरित परिणाम दे सकते हैं।

प्रभावी संपर्क ट्रैसिंग को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने आरोग्य सेतु एप्लिकेशन शुरू किया है जो लोगों को अपने स्थान और अन्य लोगों के साथ, जो कोविड संक्रमित या जिनमें इसकी आशका अधिक होती है, से मिलने-जुलने के आधार पर संक्रमण के जायिन का आकलन करने की सुविधा प्रदान करता है। यह एप्लिकेशन अत्याधुनिक ल्यूट्रूश तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करता है। लॉन्च के बाद से 1 जून, 2020 तक 12 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके थे। कोरोना वायरस से लड़ने में ये एप काफी मददगार साबित हो रहा है।

अनलॉक 1 में प्रवेश कर चुके हैं,
हमें आगे भी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है

आजने कार्यालय वापिस जाना एक सुखद विचार है
एक नई जीवन की शुरूआत
जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए



गार्डन तो लिए
प्रक्रियात गाहन का
प्राप्त करें।



सुहित अम-वीर
नहीं है इनका
होमे री वर्ष।



बर मार बाथ
थोए



unlocked for every child

इसने लाखो रुपयोगकर्ताओं को कोविड सक्रियता के साथ निकटता के कारण स्कूल से ग्रस्त होने के समावित जोखिम के बारे में सत्तर्क किया है। परिसर्जना को बढ़ाने के संपाद्यों के बारे में ज्ञानसूक्ष्मा पैदा करने के लिए आयुष और इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के सहयोगी प्रयासों से आयुष संजीवनी नीबाहल एक्सिकेशन लॉन्च किया गया है। इस एक्सिकेशन को कम से कम 50 लाख लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

इसके अलावा, कोविड-19 के लिए प्रभावी और सुरक्षित टीके के साथ-साथ उपचार खोजने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक प्रयास शुरू किए गए हैं। उदाहरण के लिए, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उच्ची अनुसंधान सहायता परिषद ने टीके, डायनोस्टिक्स और चिकित्सा विज्ञान के विकास के लिए प्राप्त आशाजनक आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया है जो कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में सहायता कर सकते हैं। प्रभावी वैद्यकीय विकसित करने और उत्पादन करने के लिए, जो हमारे लोगों को इस बीमारी से बचा सकते हैं, भारतीय ईशानिक समुदायों, स्टार्टअप और उद्योग की सहायता करने के लिए पीएम केयर्स फंड से 100 करोड़ रुपये भी आवंटित किए गए हैं। रोगनिरोध (प्रोफिलेक्सस) और कोविड को नियन्त्रित देखरेख के पूरक के रूप में आयुर्वेद के प्रयासों पर एक सहयोगी नैदानिक अनुसंधान अध्ययन अतिरिक्त रूप से शुरू किया गया है।

महानारों और तालाबदी से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए, माननीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की

आरोग्य सेतु ऐप के लिए गोपनीयता प्रमुख है

1 शहर-जन कर्त्ता ही हर युवराज ये एक रेडन आईडी उपलब्ध कराए जाती है, दो लिंगिस के बीच या लिंगिस और सर्वर के बीच, सभी बातें जो कोविड-19 के बीच जारी होने के समय से किया जाता है, किसी भी बातें जो कोविड-19 में नियन्त्रित जाना जाता है।

2 किसी भी दूसरे लिंगिस के नजदीक जाने पर ही वह ऐप इकाइटेक हस्ताक्षर को स्टोर करता है और तब वह जानकारी को सर्वर पर नहीं जाता जाता जब तक कोविड-19 गोपनीयता नहीं हो।

3 आपकी जानकारियों का प्रत्येक लेनदेन कोविड-19 के सेवनमें सहायता के लिए लिंगा जाएगा जो कि किसी भी उत्तर उत्तरण के लिए

ऐप डाउनलोड करें।

वया आप जानते हैं?



Aarogya Setu

जानेपाल जेतु ऐप आपकी जानकारियों को किसी के ऊपर साझा नहीं करता है, कोविड-19 के बीचों की जानकारी में साझा नहीं करता।

4.

किंवद्दन में की गई जानकारी का डेटा केवल 30 दिनों के लिए स्टोर किया जाएगा। जिससे आप प्रत्यार की समाजना कम है। उनका जाता तारीख से 45 दिनों में हटा दिया जाएगा और कोविड-19 से ठीक हुए गोपनीयों का डेटा 60 दिन में शर्वर से हटा दिया जाएगा।

5.

आपके स्टोकरन से संबंधित डेटा का प्रयोग किया जाएगा, आपका जान संबंधित हुए हो सके हैं। प्रत्यार को लोकने के लिए, जन जनको लोक लोनेटाइल करते हैं लिए और सोशल हेल्पर्स के लिए जिनको आप नियन्त्रित हो, आपके पिछले 14 दिनों के आपावरण को भी लें किया जाएगा।

6.

धोपणा की है। पैकेज में प्रवासी श्रमिकों, रेहडी-पटरी यात्रों, गहरीबों, छोटे घरसायों और पेतनगामोगी कर्मियों जैसे समाज के विभिन्न वर्गों परामर्शदाता की जाने वाली कठिनाइयों को दूर करने के अनेक उपाय शामिल हैं।

प्रवासी श्रमिकों के लिए, केंद्र सरकार दो महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करेगी। प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को भले ही वे अपने राज्य में हों या नहीं, भारत में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ प्राप्त करने में सहाय बनाने के लिए 'एक राज्य एक राशन कार्ड' योजना भी शुरू की जा रही है। इसके अलावा, देश भर में विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवासी कर्मशारी तालाबदी के समय अपने गांव तक सुरक्षित पहुंच सकें। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए पीएम केयर्स फंड से 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये धनराहिर राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को सवितरित की जाएगी जो इतने जिलाधीशों और नगरपालिका आयुक्तों को प्रदान करेंगे जिससे गरीबों और प्रवासी श्रमिकों को भोजन, चिकित्सा सहायता और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के उनके प्रयासों में मदद मिलेगी।

समग्र पैकेज के भाग के रूप में, शहरी गरीब और प्रवासी श्रमिकों के लिए किफायती किराए के आवासीय परिसरों को विकसित करने की योजना भी प्रस्तावित की गई है। यह पहले उनके जीवन जीने को सुगम बनाने के साथ-साथ उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा। अतिरिक्त उपायों में मुद्रा-शिशु कर्जदारों को 12 महीनों के लिए 2 प्रतिशत ब्याज की वित्तीय सहायता, रेहडी-पटरी यात्रों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ ऋण सहायता और नायाँ के माध्यम से किसानों के लिए पूरक आपातकालीन वर्गीशील पूँजी के रूप में 30,000 करोड़ रुपये शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान मध्यम, लघु और सूझ उद्यमों (एमएसएमई) पर काफी हद तक निर्भर करता है। एमएसएमई की परिभाषा का विस्तार करके उसमें नियेश सीमाओं को बढ़ा दिया गया है और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। इनमें 3 लाख करोड़ आपातकालीन ऋण शामिल हैं जो 45 लाख इकाइयों को कार्यशील पूँजी, व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने और नीकरियों को सुरक्षित रखने में सक्षम करेगा। माननीय वित्तमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि केंद्र सरकार 2 लाख संकटग्रस्त एमएसएमई या जिन्हें गैर-निष्पादित संपत्तियों समझा गया है, उन्हें 20000 करोड़ रुपये का सबोडेनेट ऋण प्रदान करेगी। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स नियंत्रित का प्रस्ताव किया गया है जिसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये

का शिविरी इवान्यूजन होगा। परामर्शदाता को गहरा प्रदान करने वाले पांडिको-फाइंस संस्थानों और पर-प्राइवेट वित्त मुद्रणियों की सहायता के लिए केवल 10,000 करोड़ रुपये की विस्तृत आर्थिक जटिल पारंपरी योजना के बाबा 30,000 करोड़ रुपये की विस्तृत योजना शुरू की जाएगी।

प्रैतरापौरी कर्मियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम 2019-20 वित्तीय कार्य के लिए आश्वासन रिपोर्ट विभिन्न कारने की साथ-साथा को समाप्त हो। विवर सार्विक को अग्र उन्नति, 2020 एक बड़ा दिन गया है। योग पर कर गतीय (टीचीएस) की दूर और योग पर कर साहू (टीर्पीएस) की दूर को भी अग्रवालों को लिए 25 प्रतिशत प्रदान किया गया है, जबकि अग्रवाल तीन महीने तक कर्मचारी और विवेकानंद योजने का भी वैधानिक भविष्य विधि (लीएफ) 12 प्रतिशत से प्राप्तकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

वह भी राजनीति सम्बन्धी है कि सरकार ने विभिन्न कुछ तरों से कई शीर्षों से खुपार लिए हैं जिन्होंने इसे महामारी का प्रेरित सामना करने से सहम बनाया है और उन्हें ऐसे रांकटों के लिए भी खोया रखा गया है। उदाहरण के लिए, शार्वजनिक स्वारक्ष्य के द्वितीय में, पहली बार, राष्ट्रीय आयुग मिशन को मात्रम से स्वारक्ष्य और कल्याण को सम्भाल देने के लिए रामगुदांचे को शीतर पारंपरिक चिकित्सा को शामिल करने के लिए एक व्यापक प्रयास किया गया था। आयुर्वेद के पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकियों की योग सालगेल बनाने को लिए 2017 में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई विल्ली की तरफ पर पहली बार अधिल पारंपरिक आयुर्वेद संस्थान की शुरुआत की गई। भारतीय प्राधानमंत्री ने रवधान भारत अभियान के माध्यम से रवच्छता और स्वारक्ष्य रक्षा पर बहुत जोर दिया, जिसके द्वारा ग्रामीण भारत में लगानी 100 प्रतिशत घरों को अब शीघ्रालय की सुविधा प्राप्त है, जो 2005-06 में केवल 29। प्रतिशत थी।

इसके अलावा, एक मजबूत ग्रामीण स्वारक्ष्य प्रणाली के निर्माण के लिए, सरकार ने आयुर्विज्ञान भारत महल को तहत 2018 से 2022 तक 150,000 स्वारक्ष्य एवं कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूपी) स्थापित करने की प्रोग्राम की। यर्तमान में देश भर में कार्यस्त एचडब्ल्यूपी गैर-संचारी रोगों के रोगियों को आवश्यक दवाओं के वितरण के साथ-साथ दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों को ऐसी रामगुदा में टेलीमेडिसिन के उपयोग के माध्यम से मुक्तिपूर्ण चिकित्सा सालाह प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जब सामाजिक दूरी के मानदंडों ने लोगों को स्वारक्ष्य रोग प्रदाताओं के साथ व्यक्तिगत परामर्श करना मुश्किल बना दिया है। आयुर्विज्ञान भारत का दूरसंचार रूपगत प्राधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पी-एम-जीएस) है, जिसे देश के 10 करोड़ सबसे गरीब और सर्वसं कमज़ोर परिवारों ने अस्पताल में भर्ती रोगों की सर्वित्त सर्वों के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का नार्सिक कवर प्रदान करने के लिए भी लाभ किया गया था। पी-एम-जीएस के तहत जाई स्वारक्ष्य वीमा योजनाओं को राष्ट्रीयता करके, सरकार ने 'एक सामूह एक

- प्राप्तियों को वे गहरा तक पुरात बनाया
- प्रौद्योगिकी प्राप्तियों का सम्पादन कर गहरा सुनिश्चित विचार जाएगा जिस प्रवारी अधिक पात्र 2021 तक देशभर में उन्हें पूजा की जिमी भी दूनका योजना (पी-डीएस) प्राप्त कर सकें—एक सामूहिक साधन बनवाये।
- प्राप्तियों और उक्तीयों के लिए एक विभिन्न योजना शुरू की जाएगी
- शिशु पुढ़ा के तहत कई लोगों वालों के लिए 12 वार तक 2 प्रतिशत की व्याज संधियाँ—1500 करोड़ रुपये की राहत।
- रेलवे-पट्टी यात्रों (स्ट्रीट बैडर) के लिए 5000 करोड़ रुपये की अपन सुनिश्चित।
- पीएमएवाई (शहरी) के तहत एमआईजी के लिए ज्यादा संवद्ध संविधानी योजना को विस्तार के जरिए आवास रोडटर और मध्यम आय की को 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन।
- कैमा फैड का उपयोग कर रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपये।
- जावाई के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूँजी।
- किसान फ्रैंडिट कार्ड योजना के तहत 25 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये के विवाहतों ज्यादा का प्रोत्साहन।

'योजना' की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जिससे यह सुनिश्चित हो कि अंततः राजी नागरिक, चाहे वे यिस राज्य में रहें, द्वितीयक और तृतीयक स्वारक्ष्य रोगों के एक रामान पैकेज का उपयोग कर सकें। कोविड-19 के लिए परीक्षण और उपचार प्रदान करना भी पीएम-जीएस के तहत लाया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने अप्रत्यालों और रोगियों के द्वीप अवरोधों को कम करने के लिए टेलीहेल्प, मोबाइल हेल्प और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे साधनों में निवेश किया है, जिससे चिकित्सीय देखरेख तक पहुंच में सुधार हुआ है, खासकर टियर-2 और टियर-3 शहरों में। एआई साधनों से ऐसे डॉक्टरों से संपर्क हो सकता है जो निदान, उपचार के विकल्प, सामाजिक जोखियों और अनुमानित परिणामों पर निष्पक्ष रूप से वैकल्पिक राय प्रदान कर सकते हैं। समय के बहुद दबाव में काम कर रहे डॉक्टरों के लिए एआई रोगियों की परीक्षण रिपोर्ट, उनके गेडिकल रिकॉर्ड का अध्ययन करने और उपचार में सुझाव देने में एक महत्वपूर्ण सहायक साधन सावित हो सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि एआई स्वारक्ष्य सेवाकर्मियों को वीमारियों के सुन्दर संकेतों का पता लगाने में सहाय कर सकता है, जिससे प्रारंभिक अवरक्ष्य में रोकथाम या उपचार सुनिश्चित हो सकेगा।

डिजिटल स्वारक्ष्य के क्षेत्र में, जीति आगों द्वारा 2018 में प्रस्तावित नेशनल हेल्प स्टैंक एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें उन्नत प्रौद्योगिकियों का एक संग्रह डिजाइन किया गया है जिसे भारत में रामगुदा डिजिटल स्वारक्ष्य कार्यालयमें शामिल किया जा सकता है। इस 'लग-इन' मॉड्यूल भी उपलब्धता स्वारक्ष्य सुविधाओं और स्वारक्ष्यदाताओं में डिजिटल स्वारक्ष्य को लागू करने की प्रगति को बढ़ाव देनाएंगी और उनमें घेजो लाएंगी। यह देशभर में व्यापक

रसोई में कीटाणुओं के हॉट स्पॉट्स



visit [the Green](#)

प्राचीन विद्यालयों के अधिकारी ने इसका गवाही और शास्त्रीयता का एक उद्घाटन किया।

ג'נ'ז

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਖ ਜਾਂ ਮਹਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨੈਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗੂੰ
ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

खाल संपर्क संस्कृत

जब भी आप दूसरे (लिंग वाले) का नाम की ज़रूरत बढ़ती है, तो उन्हें दूसरा नाम दें। यह अपनी जड़ का दूसरा नाम है। जब उनकी जड़ दो लोग, एक दूसरे और, जाति-जाति की अंतर के लिए बदलती है।

શાસ્ત્ર પાર્ટી વિને પાર્ટી પણ

प्राचीन विद्या के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

四

બાબુ ને કંપણી વિના કરી નાની ગુલાબીની રજીએ કર્યાની હતીની એ
અને એ જીવિતની એ એ એ એ (અનુભૂતાની)

हम साथ गिलकर COVID- 19 से लड़ सकते हैं।



रखारख्य सेवा संबंधी आंकड़ों के सामग्रह की सुविधा भी प्रदान करेगा। इसके द्वारा किए जाने वाले वर्तम से नीति निर्माताओं को नीतियों के साथ प्रयोग करने, रखारख्य शीर्ष में धोखाधड़ी का पता लगाने, परिणामों को पापने और बेहतर नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, 2019 में, सरकार द्वारा नेशनल हेल्थ डिजिटल ब्लूप्रिंट जारी किया गया था। ब्लूप्रिंट की प्रमुख विशेषताओं में एक ऐकीकृत सरकारा, संसदना से संबंधित सिक्कांत, पाच-रत्तीय संरचनात्मक इकाई, यूनिक हेल्थ आईडी, नियन्ता संथा राहमति प्रबंधन, राष्ट्रीय पोर्टफोलियो और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स शामिल है। इस ब्लूप्रिंट को अब प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य भिन्न को गांधीजी से कियान्वित किया जा सकता है। मार्च 2020 के अंत में, सरकार ने टेलीमेडिसिन के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए जो पूरे देश में इस कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाने और देश को सभी हिस्सों में लोगों को डिपिटरी और विशेषज्ञों के साथ जोड़ने में सफल रिझ़ул्ट होगा।

गानधी पिकास रूचकाल में सामाजिक न्याय प्राप्त करने और देश की ईकिंग में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने देश में अपि महत्वान्वाकी आकांक्षी जिला कार्यक्रम आरना किया है जिसका उद्देश्य 112 जिलों का सुधार है जो पिशिट पिकास भाषणों में थीं। इनमें से कई जिले कोड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में अद्वितीय हैं। महामारी के समय इन जिलों से सामने आने वाली कुछ सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों में पश्चिम सिंहभूम में कोनकुथ परीक्षण,

खुटी में सैनीटाइजिंग टंगल, चित्रकूट में टेलीमेडिसिन सेवाओं के साथ—साथ नूह में सामुदायिक रेडियो के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने शामिल है। कई आकाशी जिलों ने स्थानीय—स्तर पर फेस मार्क और सेनिटाइजर का निर्माण किया है और साथ ही, कोविड के लिए अल्ट्राधुनिक गोवाइल परीक्षण पैन का उपयोग किया है। यह उल्लेखनीय है कि भारत की लगभग 20 प्रतिशत आबादी बासे 112 आकाशी जिलों में देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों के 2 प्रतिशत से कम है।

इसके अलावा, अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप प्रदान करने के लिए सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान अपनाने को बढ़ाया देने को लिए कई कदम उठाए हैं। यूपीआई के ताद्य सरकार ने एक ऐसा सार्वजनिक ढांचा निर्मित किया है, जिस पर निजी होत्र लगातार नई खोज कर रहा है। डिजिटल लेन-देन के लिए व्यापारी छूट दर पर भी सब्सिडी दी गई जिससे इसे व्यापक रूप से अपनाया जा सके। डिजिटल भुगतान ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जब स्वास्थ्य कारणों के चलते भी भौतिक नकद लेन-देन को हटौत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, सरकार ने बड़े पैमाने पर जेएम तिकड़ी—प्रधाननंद्री जन-धन योजना, आधार और मोबाइल टेलीफोनी का भी लान उठाया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धनराशि एक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे।

अब जबकि भारत लॉकडाउन से अनलॉक-1 में प्रवेश कर चुका है, सरकार की रणनीति सार्वजनिक स्वास्थ्य और जार्थिक अनियायताओं को संतुलित करने पर केंद्रित है। जैसाकि माननीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को दिए आपने हाल के स्वोधनों में कहा, कोविड-19 आने वाले कुछ समय तक हमारे जीवन का एक हिस्सा रहेगा और हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। इसके लिए हमने रो प्रतोक को सार्वजनिक रथानों पर धेहरे को ढकने और हाथ की स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करना जारी रखना होगा।

अतीत में दुनिया को प्रभावित करने वाली कुछ बायर्स महामारियों के विपरीत, कोविड-19 संक्रमण की एक असामान्य विशेषता यह है कि यह अधिकांश लोगों में विना लक्षण के या केवल हल्के लक्षण वाला रहता है। इसलिए यह अपने प्रसार को रोकना बुनीदीपूर्ण बनाता है क्योंकि लोग इससे संक्रमित होने के बारे में जानते भी नहीं हैं। इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है।

अब तक कोविड-19 पूरे भारत में समान रूप से नहीं फैला है। अतः सटीक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यनीतियों को सूझ-साथ पर धिक्कारित गर्ने की आवश्यकता है जिसमें संक्रमण के प्रतारों में गौजूदा हॉटस्पॉटों में सीमित किया जा रहा है। साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी सुधिचारित ढंग से केंद्र द्वारा नियंत्रित देश-निर्देशों के आधार पर फिर से शारू किया जा रहा है।

(सेखिया नीति आयोग में पर्यावरणी संस्थानिक हैं।)

कृ-ग्रन्थ : अद्वाशि-प्रसादि-प्रिया

मानव जीवन का कायाकल्प करता योग

-४८- विद्या विद्या


गोमांचल, खाली, प्राणांगन वौरे प्रकृति के साथ गोम एवं रसायन के लिए कई प्रकार से जानप्रद होते हैं। निशेह वौरे से बोनियं वालायांसे को भीय इन पर ज्ञान देता और जल्दी ही गया है जबकि इनसे परिचेष्टक दणदण बढ़ती है एवं ज्ञानात् वौरे निकलते हैं। जास्त उत्तम आनुवैद के साथ-साथ गोम को गी बढ़ावा दे रही है।

महामारी पर अकृत के लिए भारत में स्थित लोकसंघन के कारण योग याकौरी बोताहों को भाग नहीं मुला बढ़ गई है। इसने कि योग व्याधाय भर जाती है यहिं रखने लोकोंहोंनी भी है, जिसमें यात्रा यात्रियों हैं उपर जिसका पर्याय निष्पत्ति भरा आत्म-साक्षात्कार है। आपामुख्य परंपरागति ने योग के आठ अंग यात्रा, नियम, आराम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान और चापाति (अवधारणा) भराए थे। योग प्रथाली बदले पहले यात्रा और आधारिक अनुशासन के जरिए ड्यूरे नियम एवं दृष्टियों को नियंत्रित करती है। (अ) यह का बाई आत्म-नियंत्रण अथवा नीतिक नियम है, जिसमें अहिंसा, रात्य, अस्तेय, ब्राह्मणों और अपरिकृद का पालन किया जाता है और (आ) नियम का अर्थ है शुद्धता के लिए शौच, रातोप (लोकतार करने की क्षमता), शपथ, रात्रायाय (आत्म रात्यात्कार, तेजों का अव्ययन) और फूस्तर प्राणी धान (ईश्वर का रमरण और उसके प्रति सामेण) का पालन। नियन आगु वर्ग के लोग व्याधियों से मुक्त होने के लिए नियन आराम कर राखते हैं। यात्रा एवं वृत्तियों पर नियंत्रण देख और यित्त के शुद्धीकरण तथा जीवन शांति के संहुलन के लिए जापयाका है, जिसके बाद ध्यान किया जाता है। ध्यानी नियेकाननद, परमार्थों योगाननद जैसे अंतक पूरजों ने योग की शिक्षा का भारत के बाहर भी प्रसार किया।

प्राचीन हठयोग में आराम, मुद्रा एवं प्रणायाम का बहुत महत्व है। रखापी शिवानंद एवं उनकी सिद्धी तथा अध्युग्रिक योग के जनक कहलाने वाले श्री तिरुमलार्ह गुण्डायाचार्य के प्रणासों से यह 20वीं शताब्दी में बहुत प्रचलित हुआ। पश्चिमी देशों ने द्वितीय विद्यालय एवं शास्त्रात्मक लिया। किंतु इसका विस्तार ये बर्णन करने वाले ग्रंथ 11वीं शताब्दी से आए। उन सीर अथवा प्राण कुञ्जी का प्रतीक है और उन चार अथवा पाँचसिंक ऊजी का प्रतीक है। हठ योग अन्ता है कि दोनों का संतुलन शुद्धम ऊजी के प्रबाह के साथ भरी को रवरथ पर्याप्त है और अथवा एवं उच्च घंटाया यी ओर ले जाता है। 2014 में मंगुकल राष्ट्र पठारसंग में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामधन के बाद 2015 से हठ

गणे 21 जून को अमरिकाईया गोप दिवस मनाया जाता है, जिसके गोप का और भी महाका भैला। आगुवेट, गोप, प्राकृतिक विभिन्नता, गुणानी, सिव एवं छोपियोपियी को प्रोल्पाडित वर्णों के सिए भारत में ऐसा समय आगुप गंडालय की स्थापना भी जी ताकि प्राचीन भारतीय ज्ञान विशेषज्ञर गोप (जिसों पर पश्चिम का और ज्यानदात्र अवैतिक का चर्चा है) की प्रतिष्ठा फिर स्थापित की जा सके।

ध्यान के साथ योग हमारे शरीर और मरिताक के लिए गोजन और गौपयितों से बहुत नहीं है क्योंकि यह प्रतिकूल प्रभाव दाले वहीर पहल्लपूर्ण अंगों के कामकाज, पैशियों और अंडिलगों को प्राकृतिक रूप से बाजबूल कर रखता है। श्वसन एवं लसीणा (लिम्फ) दंतों को वेहतर बना सकता है, केंद्रीय तंत्रिका ऊंचे को राखिया कर सकता है, अतः याची ऊंचे को वाधिक राखिया बनाकर हॉमोन अराटुलन खला करने में मदद कर सकता है। शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा यद्या साकृता है और उक्त साकृतण एवं औश्योजन आपूर्ति में सुधार कर सकता है। योग नन अर्थे शरीर, मरिताक एवं आत्मा का मानव जीवन सुधारने काली शक्ति से निलन है। रोग से बचाने काली, यह



यद्याने वाली एवं उपचार करने वाली पद्धति के लिए योग का महत्व समझने के लिए वर्ष 2020 सबसे अच्छा समय है।

आरान: प्रकार एवं उनका महत्व

'रिधरसुखासनम्' (पठजलि योग सूत्र, सूत्र 46)

उपरोक्त सूत्र में पठजलि ने बताया है कि आसन का अर्थ ऐसी मुद्रा है, जिसमें लंबे समय तक आराम से एवं स्थिर होकर रहा जा सकता है। आगे चलकर बताया गया है कि "पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दंडासन, रोपाश्रय, पर्यक, कंच निष्पदन, हरित निष्पदन, उष्ट्र निष्पदन एवं सम संस्थान" आसनों में पैदले समय रीढ़, गर्वन एवं सिर को शीघ्र रखा जाता है। ये आसन योगासन तभी बनते हैं, जब इन्हें आराम से एवं हिल-हुले बग्रेर (पीड़ा में तथा हिल-हुलकर नहीं) किया जाए।

माना जाता है कि आदियोगी भगवान् शिव ने 84 आसनों का रहस्य उजागर किया था, जिनका उल्लेख हठयोग के यथोऽशिवसहिता एवं गोरक्षा पद्धति में दिया गया था। गोरक्षा में 84 लाख योनियों के आधार पर आसनों के रूप दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक आसन 1 लाख योनियों के लिए है। इस प्रकार सिद्धासन एवं कमल आसन को विशेष बताया गया है। हठयोग प्रदीपिका (15वीं शताब्दी) ने 4 आसनों को अधिक उचित बताया है— सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन एवं सिंहासन। 84 आसनों (जिनमें वे आसन भी हैं, जो बैठे बैठे फिर जाते हैं) की सूची हठ रत्नावली यथा (17वीं शताब्दी) में दी गई है। घेरंड सहिता के अनुसार शिव ने प्रत्येक योनि के लिए एक आसन के हिसाब से 84 लाख आसन सिखाए, जिनमें 84 को महत्वपूर्ण आसन माना गया। इसमें मानव जाति की सफलता के लिए 32 आसनों की व्याख्या की गई है: सिद्ध, पद्म, भद्र, मुक्त, वज, स्वस्तिक, सिंह, गोमुख, वीर एवं धनुर; मृत, गुप्त, गत्य, नत्येद, गोरक्ष, पश्चिमोत्तान, उत्कट एवं संकट; मध्यूर, कुपकुट, कुर्म, उत्तानकूमंक, उत्तानमञ्जूक, वृक्ष, मंडूक, गरुड़ एवं वृष; शलभ, मकर, उष्ट्र, भुजंग एवं योग। योग के आधुनिक रूप में भी अधिकतर हठयोग आसन ही है। इस खंड में विभिन्न श्रेणियों के अनुसार इन आसनों तथा अन्य आसनों के बारे में बताया गया है:

बैठकर किए जाने वाले आसनों में व्यान के गुण होते हैं, जिससे हम अंतःचेतना में प्रवृत्ति कर पाते हैं और अस्थिर चित्त को शात करने, श्वास को नियमित करने एवं पेशियों के विकास तथा बेहतर मुद्रा के साथ रीढ़ को मजबूत करने के लिए लंबी अवधि तक इनका अभ्यास किया जाता है। जैसे सुखासन (कूल्हों का तनाव दूर करने, तंत्रिका, हॉमॉन एवं हृदयवाहिनी अर्थात् कार्डियोवैरस्कुलर तंत्रों को मजबूत करने में उपयोगी), पद्मासन (उपरोक्त लाभों के साथ कुड़लिनी जागरण, जीड़ों/स्नायुओं को लचीला बनाने एवं टखनों को मजबूत करने में उपयोगी), यद्यकोणासन (तनाव दूर करने, जननांगों को सुदृढ़ बनाने, पेढ़ को लचीला बनाने, प्रोस्टेट ग्रंथि, गुद, मूत्राश्रय को सुधार बनाने में उपयोगी)। ये आसन मासिक धर्म, रजोमिवृति एवं गर्भायस्था के दौरान महिलाओं के लिए उपयोगी होते हैं और ग्रीष्मकाल में गर्भी कृच करने में भी

मदद करते हैं। गोमुखासन वैदिकर किया जाता है, जो साइटिक में एवं बांहों, गर्वन, कंधों, कूल्हे को जोड़ो तथा पीठ की पेशियों में जकड़न तथा दर्द दूर करने में लाभकारी होता है। बजासन आमतौर पर गोजन के बाद बेहतर पाचन के लिए किया जाता है, जिससे अम्लाश्रय बेहतर काम करता है, एसिडिटी तथा मूत्र संक्रमण की रामस्या दूर होती है, शरीर के निघले हिस्से में लघीलापन आता है और यीनांग स्वरूप रहते हैं। गलासन से यजन कम होता है, मूलाधार एवं त्वाधिष्ठान चक्र ठीक होते हैं (महिलाओं के लिए लाभकारी) एवं उदरांग को लाग भिलता है। ये आसन कब्जे से मुक्ति दिलाते हैं और पीठ, टखनों एवं पिङ्गलियों की पेशियों को आराम देते हैं।

खड़े रहकर किए जाने वाले आसन सही विद्यास के साथ पावों को मजबूत बनाते हैं, हमें जमीन पर टिकना और संतुलन बनाए रखना सिखाते हैं, उदर क्षेत्र, पीठ, नितन, हाथों, घुटनों आदि की पेशियों को जहारा देते हैं ताकि हम चलते-फिरते रहें: (अ) ताडासन: इसमें सभी पेशियां एवं जोड़ मिलकर तंत्रिका-तंत्र को सक्रिय करते हैं, शरीर की मुद्रा बेहतर करते हैं एवं कद बढ़ाते हैं (महिलाओं के लिए उपयोगी); (आ) वीरभद्रासन ग्रथम, हितीय एवं तृतीय इससे अस्त-व्यस्त दिनभर्यां में आराम मिलता है, फेफड़े स्वरूप होते हैं, स्कंद एवं वक्ष गुहा बढ़ती है, कमर की पेशियों और पांवों में एंठन खात्म होती है, रीढ़ मजबूत बनती है, अंतिरिक्ष वस्त्र हटने से पाचन सुधरता है और बल, संयम एवं एकाग्रता बढ़ती है; (इ) वृक्षासन: इसमें शरीर का भार एक पांव पर रखा जाता है ताकि स्थिरता विकसित हो और हम बर्तमान में जीना सीख सकें। इससे सपाट तलबों पर्याप्त साइटिका की समस्या दूर होती है, कूल्हों की जकड़न दूर होती है, जाघ के अंदरानी हिस्सों एवं पेढ़ आदि की मजबूती मिलती है; (ई) त्रिकोणासन: यह संपूर्ण त्वारूप के लिए यार्म-अप यानी व्यायाम से पूर्व उपयोगी होता है और उपरोक्त लाभों के साथ यह रीढ़ एवं उदर को मजबूत बनाता है।

आगे झुकने वाले आसन पीठ की पेशियों, रीढ़, टांगों, बांहों, घुटनों, जांधों, कंधों, कूल्हे को जोड़ों, पेट और तंत्रिका तंत्र में नमा जीवन फूंकते हैं और विशुद्ध चक्र एवं पाचन तंत्र को ठीक करते हैं। ये आसन हैं: अधोमुखश्वानासन (रक्त एवं ऊंकसीजन को सिर जी और भेजने, बवासीर दूर करने और सिर नीचे झुकाने वाले आसनों के लिए तैयार करने में मदद करता है); गालासन (मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाकर तनाव दूर करता है, गर्दन के दर्द या स्पांडिलाइटिस एवं पेट की समस्याएं ठीक करता है, कूल्हों, छाती, पेट एवं रीढ़ के आसपास की पेशियों को आराम देता है, आँख चक्र को सक्रिय करता है)। इसके बाद शशांकासन (पेट एवं पेढ़ की पेशियां सुग्राहित होती हैं), पादहस्तासन (झुककर किया जाने वाला आसन शरीर से थकान एवं भारीपन दूर करने में मदद करता है, कमर, घुटनों के पीछे की नस और पिङ्गलियों का तनाव दूर करता है, धड़ में रक्तसंचार बढ़ाता है); पाश्वोऽत्तानासन (शरीर के संतुलन के लिए); कूर्मासन (शरीर को लचीला बनाने वाला आसन),

परिवर्तनानासन (कब्ज दूर करने में उदारांगों की प्रयत्न क्षमता है, भोटापा कम करता है, अनिदा एवं आराम में प्रदद करता है, जननांगों में रक्तसंचार बढ़ाकर योग स्थापण बोलार करता है, मासिक धर्म की पीड़ा में राहत देता है); आदि।

धोड़ की ओर झुककर लिए जाने वाले आसन खड़ी हुई भावनाओं को दूर कर अनाहत सङ्क को शिखिया करता है, पेट, पसली, रीढ़, पैरों एवं कूलहे की पेशियों का सामग्र दूर करने एवं उन्हें ताकत तथा लभीलापन प्रदान करने में प्रदद करता है तथा श्वास में सुधार करता है; चक्रासन (मस्तिष्क में रातों संधार बढ़ाता है और तन्त्रिका तंत्र को सहारा देता है, गुरु, श्वासन ग्रन्थ, थायरोइड ग्रंथि एवं बांधापन से जुड़ी समस्याएँ हल करता है), सेतुबंध सर्वांगासन (आमतौर पर छिलाड़ी इसे करते हैं—छाती एवं गर्दन को चौड़ा करता है तथा शपित्तशाली बनाता है, फेफड़ा को साफ कर दमा या अस्थमा में मदद करता है, धमनियों तक रक्त पहुंचाकर दिल की रुकावट दूर करता है, हृदय, पीठ, जाघ, पिंडलियों आदि की पेशियों को आराम पहुंचाता है और पाय का दर्द दूर करता है; कंधों की जकड़न, अनिदा, अवसाद, माहयोन के कारण हुआ सिरदर्द, थकावट तथा बेधेनी दूर करने में मदद करता है, नसों को सूजन से बचाता है, मूलाधार एवं विशुद्ध चक्रों को ठीक करता है); उष्ट्रासन (पीठ के दर्द, रीढ़ में चोट में लाभकारी होता है और छाती, डायफ्राम, फेफड़ों समेत शरीर के आगे के भाग को फैलाता है); पूर्वोत्तानासन (टखनों, बांहों एवं कलाई, पीठ, कंधे को सुदृढ़ बनाता है तथा बल देता है और उदरांगों विशेषकर आतों को ठीक करता है)।

उल्टे होकर किए जाने वाले आसन जटिल होते हैं क्योंकि हम सिर के बल हो जाते हैं, लेकिन शरीर का सतुलन बनाने, भस्त्रिय को अधिक एकमत्ता करने, स्मृति बढ़ाने, नार एवं सकारात्मक विद्यार यागाने, तनाव देने वाले हॉमोनों का साव कम करने में ये बहुत लाभकारी होते हैं। इनसे रक्त का प्रवाह सिर एवं फेफड़ों के ऊपरी भाग की ओर होता है तथा त्वचा एवं शाल स्वस्थ रहते हैं। ये आसन ही शीर्षासन (प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने एवं विषेले तत्त्व दूर करने के लिए लसीका—तंत्र को सक्रिय बनाता है, नेत्रज्योति बढ़ाता है, पांवों में पानी रुकने से बचाता है, बांहों एवं कंधों को ताकतवर बनाता है); सर्वांगासन (रीढ़ लंबी करता है, गर्दन का दर्द एवं बाहसीर दूर करता है, दिल को सहारा देता है); हलासन (किंधों को मजबूत बनाता है, कब्ज से राहत देता है, पाचन दुरुस्त करता है और वजन भी घटाता है तथा मधुमेह एवं रजोनिवृति में उपयोगी होता है)। पिंचमयूरासन और अधोमुख्यवृक्षासन जटिल किंतु अधिक स्वास्थ्यवर्धक आसन हैं।

पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं और पीठ तथा गर्दन का दर्द दूर करते हैं, पाचन बेहतर बनाकर कब्ज से मुक्ति दिलाते हैं, अनाहत चक्र को ठीक करते हैं और वजन भी घटाते हैं जैसे मुर्जांगासन (गुरु, गृहत एवं उदर को अच्छा करता है, गर्दन के दर्द में मदद करता है और बेहतर

पक्ष गांधी के गाय कल्पी प्रदान करता है), शलभासन (रीढ़ में पर्यावरणी तत्रिकाओं को ठीक करता है, छाती और आगे के हिस्सों और गिरने वाले जांघ की पश्चियों को सहारा देता है, सद्विदिका में पदद करता है, आलमगिर्यास बढ़ाता है), धनुरासन (उपरोक्त लानों के साथ द्वया, मधुमेह दूर करता है, कंधों पर्व जांघ के ऊपरी हिस्सों में जबक्कन दूर करता है और एट्रीनल ग्रंथियों को दुरुस्त करता है), अद्वैतकासन (फूलहे या पाय के दर्द से राहत दिलाता है और लंबे सामग्र राक बैठकर काम करने वालों के लिए सुपर्योगी होता है, घण्टे तले या पांव की समस्या दूर करने में मदद करता है और पेशियों को मजबूत कर खुटनों की चोट से बचाता है, जननांगों एवं पौरुष ग्रंथि की दिशा में रक्त संधार बढ़ाता है), चतुरंग दद्दासन (बांहों, कलाई, टखनों, पीठ और रीढ़ को ताकत लेकर बाह्य के संतुलन वाले आसनों में मदद करता है), फलकासन (धड़ और शरीर के निचले भाग के दीव तालमेल बिठाता है)—ये आसन दमखम बढ़ाते हैं, अनिदा दूर करते हैं, अस्थिं ऊतकों को मजबूत बनाते हैं, श्वसन तंत्र बेहतर करते हैं और गर्भी उत्पन्न कर मणिपुर चक्र को सक्रिय बनाते हैं।

सूर्य नमस्कार आसनों का समुच्चय है जिसमें 12 नुदाएँ हैं: प्रणामासन (पहली और 12वीं), हस्तउत्तानासन (दूसरी और 11वीं), पादहस्तासन (तीसरी और दसवीं), अश्वस्त्रालनासन (चौथी और नवीं), दंडासन (पांचवीं), अष्टांग नमस्कार (छठी), मुर्जगात्तन (सातवीं) और पर्वतासन (आठवीं)।

बांहों के संतुलन वाले आसन धड़ यानी शरीर के ऊपरी हिस्से एवं रीढ़ को मजबूत बनाते हैं तथा पूरे शरीर विशेषकर बांहों एवं कलाई, कंधे, पेट, कमर, पांव, खुटने के पीछे कीनस, खुटनों, टखनों, कंधों, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, रीढ़ की हड्डी के इर्द-गिर्द की पेशियों को सुगतिल बनाते हैं, उन्हें जल्लरी लभीलापन प्रदान करते हैं, रक्त संधार में मदद करते हैं और ध्यान धारण करने में मदद करते हैं। इनमें वक्रासन, काकासन (कंप्यूटर के आगे लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए मददगार होता है, शरीर को हल्कापन देता है और मणिपुर चक्र को सक्रिय बनाता है), कुपकुटासन, पिंच नवूचत्तन, फलकासन, विशेषासन (एक बांह पर संतुलन बनाना), मधुरासन (विषेले तत्त्व दूर करता है, प्रजनन—तंत्र को पुष्ट करता है, पायन—तंत्र को मजबूत बनाता है, नाभि में असंतुलन दूर करता है, बवासीर, मधुमेह में लाभकारी होता है) शामिल हैं। उनके बाद कठिन बृशियकात्तन आता है, जिसमें अनाहत चक्र के ऊपर के चक्रों को सक्रिय करने एवं तनाव कम करने के लिए पीछे की ओर झुका जाता है।

शरीर को सरोड़ने वाले गानी टिक्स्ट आसन अधिक आसान होते हैं और उनमें रीढ़ को रीधा रखने, कंधे का दर्द दूर करने एवं कूलहे या खुटनों की समस्या दूर करने, पाचन मजबूत रखने एवं कूलहे या खुटनों के लिए उदरांगों को आराम देने हेतु पांवों, तांहों, पीठ, गर्दन आदि को पुण्याया जाता है। इनमें हमारे पांवों, गर्दन आदि को गोदा जाता है और गक्कारात्मक अवशेषों को दूर किया जाता है, जिससे दीमां, गक्कत, अग्नाशय, गुरु आदि मजबूत होते जाता है, जिससे दीमां, गक्कत, अग्नाशय, गुरु आदि मजबूत होते जाता है।



लोकल कोरोनावायरस शेम (COVID-19)

75 वर्षीय मुश्तुर्ण, जो अटकमा, बायोविटीला
भीठ हाई ड्रॉप प्रेस्ट्राइट की खलित है, COVID-19
के सफाल दलता के बाद घट वापस आए

COVID-19 का सुखारूप ढंगव है

संस्कृत विभाग, भारतीय विभाग

कोरोना वायरस की विवरणीय

कोरोना वायरस की विवरणीय



है। इनके उदाहरण हैं— अधी मत्स्येन्द्रासन (रीढ़ की हड्डी में छोट और साइटिका में लाभकारी होता है) और जठर परिवर्तनासन (भीठ की पेशियों को आराम देता है), सुप्त मत्स्येन्द्रासन (भीतरी अंगों से विधेले तत्त्वों को बाहर करता है और ताजे रक्त का प्रवाह बढ़ाता है) और परिवृत्त सुखासन (कूल्हे और कंधे की जकड़न दूर करता है)।

पीठ के भल लेटकर किए जाने वाले आसन रीढ़ की मजबूत करते हैं और दीनिक गतिविधियों में मदद करते हैं जैसे मत्स्यासन (दना के मरीजों के फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, कधे, कमर, गर्दन की पेशियों को आराम देता है, थायरॉयड, पीयूष ग्रथि और थीनियल ग्रथि को सुधार बनाता है, जिससे मेलाटोनिन होमॉन सावित होता है), नावासन पिट की पेशियों को मजबूत बनाता है, कूल्हे की लघीला बनाता है, पाचन में मदद करता है और इच्छाशिपित बढ़ाता है), पवनगुप्तासन (पिट की बायु निकलता है और पेट फूलने तथा कब्ज से मुक्ति दिलाता है, ऐस बाहर करता है, अंतों तथा कमर को आराम देता है और प्रज्ञन-तंत्र को ठीक करता है, पेंस को सुगठित बनाता है), शवासन (योगाभ्यास के आरम्भ और अंत में ध्यान धारण करने के लिए पिया जाता है, जिससे मरिताक एवं शरीर को विश्राप मिलता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, अनिदा और जीवनशैली से जुड़े रोग दूर होते हैं), सुप्तकजासन (पिट का दर्द दूर करता है, महिलाओं के त्रिश उपयोगी है, आध्यात्मिक पिकास में मदद करता है) और सुप्त धीरासन (शरीर के नियंत्रित हिस्से को खींचता है, कूल्हे की जकड़न दूर करता है और घुटने मोड़ता है, जिससे थकान कम होती है)।

लेकिन आसन करने (आमतौर पर सुख के समय) में मार्ददर्शन की आवश्यकता होती है और उच्च रक्तचाप, माइयैन, मासिक धर्म, सज्जरी, मध्यवरथा, भीठ एवं गर्दन के दर्द, रीढ़/मुटने/टहने में छोट की विधति में साक्षात्कारी बरतनी चाहिए। नीचे झुककर करने वाले अथवा संतुलन वाले आसनों के दौरान कलाई, आंखों और सिर की सुरक्षा करनी चाहिए।

अवसाद: एवं भेवनी से मुक्ति

योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का सकारात्मक प्रभाव होने और उनके अभ्यास से मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूपस्थि में सुधार होने के प्रमाण मौजूद हैं। महामारी के दौरान जब संपूर्ण मानव जाति डर और असुरक्षा (वायरस का तरक रहेगा, इस बात की अनिश्चितता, आधिक मंदी और उसके प्रारण नीकरियों खल्प

होने का डर, सोशल डिस्ट्रेसिंग एवं घर से ही दृष्टिर का काम करने के कारण हो रही ऊब, अवसाद एवं अकोलेप्स) से जूँड़ा रहे हैं तथा योग तकनीकों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।

तनाव के लिए प्राणायाम एवं ध्यान: प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति (हमारी सांस) और आयाम का अर्थ है व्यायाम अथवा विस्तार। इस तरह प्राणायाम का अर्थ है इच्छा का व्यायाम। प्राणायाम तंत्रिका, श्वसन एवं लसीका तत्रों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ध्यान विचार प्रवाह को धीमा करने (एकाग्रता विकसित करने) और हल्कापन महसूस करने का तरीका है। वायरस और अवसाद से लड़ने में ये हमारे हथियार बन सकते हैं।

ध्यान रहे कि सहानुभूतियूण तंत्रिका-तंत्र अवसाद से लड़ने की क्षमता को सक्रिय बनाता है और परानुकूपी तंत्रिका-तंत्र हमें आराम करने तथा पचाने देता है। लेकिन लगातार तनाव से हम सहानुभूति के भाव में चले जाते हैं, जिससे हम ठीक से सोनहीं नहीं पाते। वह प्रतिरोधक क्षमता एवं मरिताक के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, लेकिन सही मार्गदर्शन के अंतर्गत सोग लाभकारी होता है। सरल शब्दों में कहें तो, (अ) अपनी सुविधा के अनुसार विभिन्न प्रकार से ध्यान किया जा सकता है जैसे सांस के आंतरिक एवं बाहरी प्रवाह पर ध्यान लगाया जा सकता है, उन्होंने भी चित्र आज्ञा चाह (जहां अधिकतर तंत्रिकाओं के सिरे जुँड़ते हैं) पर ध्यान किया जा सकता है, शोत बैठकर निर्णय पर पहुंचे वर्गर विचारों को देखा जा सकता है, उचित पद्धति का प्रयोग कर परम चेतना अथवा इंश्वर से जुड़ा जा सकता है और योगमिदा का अन्यासा भी किया जा सकता है। (आ) हमें रोज़ (कम से कम कुछ अधृति) प्राणायाम करना चाहिए ताकि अपने शरीर की नाड़ियों अर्थात् ऊर्जा मार्गों के जरिए प्राण को प्रवाहित किया जा सके। प्राणायाम के अग हैं भरित्वका, जिसमें नासाछिद्वों से गहरी सांस लेकर और छोड़कर मरिताक को शात रखा जाता है और समुद्धित रक्त संचार सुनिश्चित किया जाता है; कपालभाति, जिसमें ऊर्जे से सांस छोड़कर विशेष तत्त्व समाप्त किए जाते हैं और शरीर में आवश्यक गर्मी उत्पन्न कर पायन तेज़ किया जाता है। इसके गाद नाईशोधन या अनुलोम-विलोम होता है, जिसमें नासामार्ग यो साफ किया जाता है, नाड़ियों को शुद्ध किया जाता है और हमारे मरिताक से जुड़े याएं एवं दाएं नासाछिद्वों से इच्छा प्रवाह की संतुलित किया जाता है। शीतली या शीतकारी गर्मियों में पित्त दोष और तापमान को कम करता है और आमरी में सांस छोड़ते समय भरे जैसी आवाज निकाली जाती है, जिससे मरिताक में कपन होता है और स्मृति तेज़ होती है। डायाफ्राम के जरिये सांस लेने (सांस लेने समय पेट फूलता है और सांस छोड़ते समय भीतर जाती है) और नाएं नासाछिद्व से सांस लेने पर परानुकूपी भाव उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे रक्तचाप और गधुमेह आदि से बचाव होता है।

प्रकृति के जरिए उपचार: सभी जानवों हैं कि योग/ध्यान आंतरिक चेतना और ब्रह्माण्ड से बेहतर तरीकों से जुड़ने में हमारी

मद्द फरता है। अति भी सभी प्राणी एकत्रित हो जाते हैं, जो योग का सार है। यह जाप ध्यान ऐ तो वह आरात प्राणियों और अन्धितों से प्रेरित है जैसे मल्लयासन, वृक्षासन, पद्मासन आदि। इससे पाता राता है कि गानव प्रकृति के साथ तालमेल मिलाए और जीवित नहीं रह सकता और प्राणी तथा पीथ भी हमें समौला करने आरानी से बुझने या मुझने प्रतिकूल परिस्थितियों में जगकर सड़ रहे, सतुरित एवं रक्षण जीवनशीली आपानों, प्ररान्त रहने और भौतिक विष्य के लोभ में नहीं पड़ने जैसे सबक रिखाते हैं।

यदि बाहर साफ-सुधरी जागह पर योग किया जाए तो अधिक जाम हो सकता है क्योंकि वहाँ हमारे फैफड़ों में ज्यादा ऊंचाईजन पहुँच सकती है और मरितष्ठ रक्षण एवं शात हो सकता है। लोग इसीलिए पहाड़ों पर छुट्टी मनाने जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के कारण शहरों में प्रदूषण या स्तर बहुत कम हो गया है और नोला आकाश, साफ नदियाँ, चिड़ियों की खुशनुमा चहक आरानी से दिखाई और सुनाई दे रही है। इस समय का प्रयोग पृथ्वी और तथ्य को सही करने में किया जाना चाहिए जैसे प्रकृति का धन्यवाद करने, बालकनी में बैठकर जारी और हरियाली देखने या अनुभव करने, खिड़की खोलकर योग करने में तथा यह सोचने में कि किस तरह हवा आपकी त्वचा और शरीर के आगे को छूती है और किस तरह सांस भीतर-बाहर होती है, आदि। इस समय सभी इडियों को सक्रिय कर खिड़ियों की चहचहाहट सुननी चाहिए और हृदयिया ऊपर कर आसान तथा तारों को निहारना चाहिए ताकि उन्होंने हमारे शरीर में बनी रहे। इससे पंच तत्वों अर्थात् वायु, जल, आकाश पृथ्वी और अग्नि से जुड़े रहने में भद्र निलेगी क्योंकि मनव शरीर इन्हीं पांच तत्वों से भिलकर जना है। साथ ही अधिक पनी धीना, रोज नहाना, पौधों में पानी ढालना और गहरी सांस लेना अच्छा रहेगा। धास घर नगे पाव घलने या घर में ही बिट्टी जौ नगे पावों महसूस करने से मूलाधार चक्र ठीक हो सकता है, जो दूर पर दर्द, अतिसार, कब्जा आदि से संबंधित होता है।

योग एवं प्रतिरोध

प्रतिरोध तत्त्व मुख्यतः श्वेत रक्षत कणिकाओं और लिफ्टोसाइट कोशिकाओं से भिलकर बनता है, जो वायरस, वैकटीरिया जैसे पैदोजन के आने पर शरीर की रक्षा करता है। योग कोशिकाओं का कामगाज येहतर करता है और लिंफोटिक प्रणाली को रक्षित करता है तथा प्रतिरोध क्षमता को कम करने याले तनाव एवं भेदभन्नी के साथ कम भी कम करता है। विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों (प्रयोगात्मक विधि से किए गए) से पता रहता है कि योग एवं अतीविद्युत ध्यान से गौर एवं परितष्ठ के बीच तालमेल के जरिए कॉटिट्रोल कम होता है। लॉकडाउन का स्तर एवं प्रतिरोधक प्रतिक्रिया नियन्त्रित होती है, भूत्वा कम होती है, उपापत्त्य की राम्यावरण तथा अंतर्चाही धूमोंन का उत्पादन नियन्त्रित होता है, तगड़ा के लौसम रक्षत परिवर्तन एवं कोशिका प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने रुकती है, मृगोंसा प्रतिरोधक प्रणाली बेज़ होती है, प्रतिरोधक प्रणाली के कमगाज में रक्षकरण कम होती जैसे नेमुरल किलर रोल नीं सक्रियता, गौ-लिंगोसाइट की

रक्षण आदि जौ भड़का मिलता है। कोविड-2019 फैलने के बाद से आगुण गतालग ने भी प्रतिरोधक क्षमता जौ मजबूत करने एवं न्यय को बगारता से बचाने के लिए दिग्निर्देश जारी किए हैं। दिग्निर्देश पहले है कि आयुर्वेद जागरित परेसु धनायों के साथ दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए सक्रिय रूप से योग अथवा ध्यान किया जाना चाहिए।

शारीरिक आरानों के साथ योग रक्षण एवं सात्त्विक भाजन तथा यिचारों पर नियंत्रण की जाता भी रहता है, जो प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने पर दाहायक हो सकते हैं। महामारी के दौरान लगातार घनराने अथवा सबे समय तक नियक्य बैठे रहने की सलाह नहीं दी जाती है। प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाने वाले और कोविड के बाद भी शरीर की रक्षा प्रणाली को दोबारा सहुलित करने वाले कुछ योगासन हैं— सुखासन, अध—मल्लयेद्रासन, मल्लयासन, गुजागासन, त्रिलोकासन, पादहस्तासन, चालासन, उष्टुपासन, रोतुव्यासन, हलासन, धनुरासन, ताङ्गासन, तृक्षासन, अद्योमुख रक्षासन आदि। फैफड़ों को शक्तिशाली बनाने के लिए प्राणायाम जरूरी है। पेट से सास लेने पर आत तथा जटात्र मार्ग मजबूत बनता है, जिससे हमारी 70 प्रतिशत प्रतिरोधक क्षमता होती है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 से पहले और बाद

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 नजदीक है और वह हम इस बार अच्छी तरह तैयार है? लॉकडाउन के दौरान मैंने लोगों को योग संस्थान द्वारा अपलोड किए गए औनलाइन वीडियो का प्रयोग करते हुए अथवा निजी योग कक्षाओं के जरिए अपने घरों में ही आसन एवं ध्यान करते देखा है। यह देखते हुए आयुष मंत्रालय अब अपने कॉम्बम योग प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हुए टीवी चैनलों पर समुद्धित योग सत्र आरंभ कर सकता है, जिसमें सूर्य नमस्कार तथा लंगी अवधि के ध्यान को शामिल किया जा सकता है। (योग दिवस के बाद भी सुबह 6 से 7 और 8 से 9 तक प्रसारण किया जा सकता है)। अधिक प्रचार और प्रशिक्षणों के भाषणों से योगाभ्यास को जल्दी प्रोत्साहन भिल सकता है। वारतव में आयुष पद्धति को बढ़ावा देना पहले ही सरकार की प्राथमिकता है ताकि गायरस के लिए कारगर उपचार ढूँढ़ा जा सके।

लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है और दप्तर तथा फॉलेज खुल सकते हैं। ऐसे में योग को केवल जिम का विकल्प नहीं माना जाए। नीकरी जाने या बेतन करने को जोई नहीं टाल सकता है लैफिन हमें अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत खराब नहीं करनी चाहिए। प्रसरणकृत भोजन के बजाय योगी जीवनशीली के तहत घर में बना भोजन अपनाने से प्रतिरोध क्षमता को बुक्सान पहुँचने से बढ़ाया जा सकता है। उर बना रह सकता है किंतु योग उभीय का प्रयोग कर सकता है और अधिक स्वस्थ तथा पैकल्पिक रास्ते के रूप में ही बना सकता है।

(लैफिन योग विभाग, कृष्ण डॉसर व्ही अधीक्षाली है। जागरन गैरिकली के एक इकोगोविक विक दैक में जारी है।)

ई-मेल : neha@nlti@gmail.com

पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण - एक सिक्के के दो पहलू

- गव्हर्नर शार्प बिश्व

भविष्य में जल संकट का सामग्री हमारी गुवा गीढ़ी को जरना है, जबकि कल वे ही इसके उपयोक्ता होंगे। यदि युवा पीढ़ी में जल के संरक्षण और इसके गठन के प्रति जागरूकता हो तो वह कल किरी गी पद पर जाकर इसका सदृप्योग करेंगे। इसके अलावा, युवाओं में उज्ज्ञान अधिक है तथा वे किरी गी वीज को जल्दी घुण कर लेते हैं। जल संरक्षण को सामाजिक आदानपान के साथ पर ध्वना जाए और इसमें युवाओं की गांगीदारी निश्चित की जाए तभी इस रामरसा का कुछ समाधान निकल सकता है।

20 वी शताब्दी के प्रारंभ में धरती का घेरा 30 प्रतिशत बर्नों से हराया था, लेकिन 21वीं शती में धरती के छहरे से यह हरित पहरी घट कर बोवल 14.4 प्रतिशत रह गई है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर वन घराशाली हो रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप हरित ग्रह गैसों में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी स्पष्ट देखी जा सकती है। ओजोन परत में छेद, बन्ध जीवों की विलुप्त होती तमाम प्रजातियाँ, ग्लोशियर का पिघलना, समुद्रतल का ऊपर उठना कुछ ऐसी चीजें हैं, जो लगातार हमें पर्यावरण की बदसर होती रिति की चेतावनी दे रही है।

जल संकट पर एक सक्षिप्त घेतावनी जनवरी, 1992 में आयरलैंड की राजधानी डब्लिन में जल एवं पर्यावरण विषय पर हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दी गई थी। इसमें कहा गया था, 'मीठे पानी की कमी और दुरुपयोग ने नियंत्रित विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक गमीर और लगातार घटता खतरा पैदा कर दिया है। मानव स्वास्थ्य एवं कल्याण, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास और वह पर्यावरण प्रणाली जिस पर यह सब निर्भर है, सभी खतरे में एड़ जाएंगे यदि जल एवं भूमि संसाधनों का बलमान दशक में अधिक कारगर ढंग से प्रवर्धन नहीं किया गया।' इसमें आगे इस बात पर जोर दिया गया था कि 'वे समस्याएँ काल्पनिक नहीं हैं और न ही हमारे ग्रह को सुदूर भविष्य में प्रभावित करने वाली हैं। वे अब भी विद्यमान हैं और मानव समाज को इस समय भी प्रभावित कर रही हैं। लाखों-करोड़ों लोगों में भवी अस्तित्व के लिए इस समस्या का समाधान सकलालीन और प्रभावी कार्यवाही द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।'

पर्यावरण के मूलता तीन अंग हैं— यायु जल एवं जल पर्यावरण उन सभी मौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की रामपिंगत इकाई है, जो किसी जीवधारी अथवा पर्यावरणीय आवादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके अप, जीवन और जीवित के तथ्य करते हैं। पर्यावरण के जैविक संघटकों में सूखे जीवाणु एवं लेकर कीड़े-मकाड़े, सभी जीवजंतु और पंड-पौध आ जाते हैं और इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जीव क्रियाएँ और प्रक्रियाएँ भी अजैविक संपटकों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएँ आती हैं, जैसे घटाने, पवंत, नदी, हवा और जलयायु के तत्व आदि। यायु जल तथा भूमि निर्जीव घटकों में आते हैं।

प्रकृति ने धरती पर जीवन चक्र के संबोधन एवं जीवन की सुरक्षा के लिए पांच पदार्थ दिए हैं— हवा, पानी, धरती, असंतुलित एवं पशु धन। इनके अधिक दोहन से असंतुलन दिग्भृता है महात्मा गांधी ने इस रिति के लिए कहा है कि धरती भूमि की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, किन्तु उनके लालच के लिए नहीं। पर्यावरण संरक्षण के लिए मानव जाति को पर्यावरण की अपेक्षित जानकारी होनी चाहिए। इस क्रम में औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा से अभिश्राय उस शिक्षा से है, जो ज्ञान दे कि मानव अपनी आवश्यकता एवं सुख-सुविधाओं को नियंत्रित कर कैसे यातावरण की व्याप जनसंख्या विस्तार को कैसे नियंत्रित करे, वार्षिक उत्सर्जन कैसे रोके और पर्यावरण संतुलन के लिए इको-सिस्टम क्या कैसे व्यवस्थित करे। वैश्विक-स्तर पर पर्यावरण शिक्षा को अदोलन जा सके देना होगा। यिक्सित देशों में विभिन्न डॉक्यूमेंट्स हेतु उज्ज्ञान प्राप्त करने के



लिए परमाणुरीय (गांगड़ीय) रिसाइट रांगड़ी प्रयोग का तुला अधिक किए जाते हैं। इन सब प्रयोगों के दौरान अनेक ऐडोप्शनल अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका यहि रामुणित रापान भी हो तो उनसे गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण की रागाना रखती है।

अगर हर व्यक्ति रिसाइलिंग आपना ले तो पर्यावरण बचेगा और करीबों रूपये भी बचेंगे। जिन घीजों को रिसाइलिंग किया जा सकता है वे हैं— सज्जियां, फल, परिचा (23 प्रतिशत), कागज और जड़ोंडे (30 प्रतिशत), अन्न (21 प्रतिशत), कंबंग (10 प्रतिशत), धातुर (9 प्रतिशत), प्लास्टिक (4 प्रतिशत), कपड़े (3 प्रतिशत), अगर देश के 20 करोड़ परिवार अपने घर से निकले रही कागजों को रिसाइलिंग के लिए भेज दें तो एक टन पुराने कागजों को रिसाइकिल करने पर करीब 17 पेड़ बचाए जा सकते हैं। परिवर्ती देशों में नगरीय निकायों ने कचरा बैंक बना रखे हैं। यहां लोग रिसाइकिल होने वाले कचरे (कागज, धातु, प्लास्टिक आदि) को खुद दानों पर बेचते हैं। फेन की बैटरियां, फोन, पुराना टीवी, कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर बेचा जा सकता है। यहां से इन उत्पादों को रिसाइलिंग के लिए भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर एक्सजॉच ऑफर इसी मकासद से दिए जाते हैं।

जल संरक्षण

जल सूचिटि के पंच तत्त्वों में से एक है। जीवन के लिए अनिवार्य तीन पदार्थों में प्राणवायु के बाद पानी का दूसरा स्थान है। हमारे धरातल का लगभग 70 प्रतिशत भाग जलमग्न है। इतना ही नहीं मनुष्य के शरीर में भी कुल 70 प्रतिशत हिस्सा जल का ही है।

पृथ्वी के जलमंडल में कुल 1.46 अरब घन किलोमीटर जल है। इसमें से 97.5 प्रतिशत हिम नदी तथा पर्वत शिखरों को आँखादित करने वाली बर्फ के रूप में जमा है तथा लगभग 01 प्रतिशत जल हमारे दैनिक उपयोग के लिए बचता है। यह जल नदियों, झीलों, तालाओं तथा भूजल के रूप में है। अधिकांश रक्तलीय जीवन जल के इन्हीं स्रोतों पर निर्भर है। लगभग 97 प्रतिशत समुद्रों में पाया जाने वाला जल लकड़ीय है। इसका उपयोग न भीने में किया जा सकता है और न ही सिंचाई या अन्य कार्यों में। शैम 3 प्रतिशत जल का अधिकतर भाग भूमिगत जल तथा कुछ बायुमंडल में वाष्प के प्रृष्ठ में है। केवल 0.6 प्रतिशत जल ही सतही जल स्रोतों के रूप में मिलता है, जिसका उपयोग सुगमतापूर्वक किया जा सकता है।

जल स्रोत

पृथ्वी पर उपरिथित जल स्रोतों को मुख्य रूप से दो वर्गों में प्रभागित किया जा सकता है। सतह के ऊपर के जल स्रोत को पृथ्वी स्रोत कहते हैं। ये जल के सबसे अधिक सुविधाजनक स्रोत हैं। हमारे रामान्य उपयोग का अधिकतर जल इन्हीं से प्राप्त होता है। ये स्रोत हैं— धाराएं, झीलें, ताल, नदियां तथा रावित वर्षा जल आदि। द्वितीय स्रोत है वर्षा का यह जल जो निश्चर कर भूमि की निकली सतहों में जाकर विशिष्ट गौम स्रोतों के रूप में एकत्रित हो जाता है। इस जल को भूमिगत जल कहते हैं। इसके निम्न प्रमुख स्रोत हैं— झरने, अन्तः रूपदन गैलरिया तथा कुएं आदि।

जल का समुद्र देशों में छोटे गांवी वर्षों की दृष्टि से हमारे यहां पानी पानी जाना न हो जाता है लेकिन यहां की भाव यह है कि देश में इस वर्षों जल का 16 प्रतिशत भाग से उपयोग हो पाता है और यह 80 प्रतिशत जल वाले वर्षों की वर्षों का भवान है। इसमें इस प्रक्रिया से बहुत धूमर्षण जल भी राष्ट्रहित है, जिसे आज हम उल्लिखते जा रहे हैं। परेशानी यह है कि इस यज्ञाने वाले एवं पानी ले तो रहे हैं लेकिन उसमें बापत्ता कुछ नहीं आल रहे हैं। वारिश का गौराम उस यज्ञाने में कुछ जगा करने का गौराम होता है। जग वारिश के जारिए हमें अमृतसूखी जल गिलने का गौराम आता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस पानी को बहुत रखकर तारीके से भेज़ा जाए।

ऐतिहासिक ये पुरातात्त्वीय दृष्टिकोण से पहला कुआं करीब 8,000 वर्ष पहले दीरान इजारहल में खोदा गया था। सिंधु धारी सम्यता में भी कुआं के प्रमाण मिलते हैं। भारत में चट्टान को काटकर पहला कुआं संभवता 200 से 400 ईस्ती के मध्य बनाया गया था। देश में लगभग 1 करोड़ 35 लाख कुएं मौजूद हैं। भारत में 16 प्रतिशत कुएं ऐसे हैं, जिनमें हर वर्ष पानी 3.2 फीट नीचे जा रहा है। 50 प्रतिशत कुओं में पानी लगातार कम होता जा रहा है।

विश्व में जितना जल धर्णा से गिरता है, उसका 77 प्रतिशत समुद्र में तथा भारत 23 प्रतिशत भूमि पर गिरता है। उपमहाद्वीपों पर गिरने वाले जल ने से भी 25 प्रतिशत से अधिक जल यह कर गमुद्र में पहुंच जाता है। भूमि पर गिरे जल का 99 प्रतिशत वर्षा से और गाव एक प्रतिशत हिमपाता के रूप में आता है। माध्य दनकर हवा में गिलने वाले जल का 83 प्रतिशत समुद्र से तथा भारत 17 प्रतिशत उपमहाद्वीप से प्राप्त होता है। समुद्र विश्व के सबसे बड़े इको सिस्टम है। लेकिन, मानवों ने इन्हें तहस-नहस कर दिया है।

देश की आजादी के समय 24 लाख तालाब थे। अब वर्ष 2017-18 में तालाबों की संख्या घटकर करीब 5 लाख रह गई है। इसमें से भी 20 प्रतिशत येकार मढ़े हैं लेकिन चार लाख अस्ती हजार जलाशयों का इस्तेमाल फिसी-ग-किसी रूप में हो रहा है। तालाब, पोखर, ताल व तालीय कमोंगेश एक ही जलस्रोत के अलग-अलग नाम हैं। तालाब ग्राम्य जीवन के अभिन्न भाग थे। गरसात के दौसम में यर्षों का जल इनमें संचित होता था। पूरे साल तक जल से लबालम भरे इन जलाशयों से गनुभा तथा पुरा-पवित्रों की प्यास बुझाती थी। आवश्यकता भड़े पर हस जल से खेतों में खड़ी फसलों की सिंचाई की जाती थी। इन जलकुओं से तल में लगातार रिसते जल से भूजल का स्तर ऊँचा होता था। इनमें से अधिकांश जलीय स्रोत गाव जगा हो जाए, खराय रखारखाय, गैर-कानूनी कल्पों आदि के कारण जलसंग्रह योग्य नहीं रह गए हैं।

देश में 2,700 ग्राम्यतिक और 65,000 ग्रामविभिन्न भोटी-दड़ी श्रीलों हैं। श्रीलों, चलापली इलाशों और विशाल तालाओं आदि नम स्रोतों जो विज्ञान की भाषा में 'पेटरीज' कहा जाता है। पेटरीज न



सिफ़े अपने अंदर पानी की विशाल मात्रा को सहेजते हैं, यहिं आवश्यकता पड़ने पर आसपास की सुख लगीन के लिए भी पानी भी छोड़ते हैं। देश में दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, वैश्वल और गोदावरी जैसे शहर तेजी से हुए आवासीय निर्माणों के कारण ऐसी गवा चुके हैं।

चौकोर या आयाताकार ऐसा कुआ, जिसके एक, दो, तीन या चारों तरफ सीढ़ियां बनी हुई ही, यावड़ी कहलाती है। इनका निर्माण गांव, प्रमुख मार्ग, नगरों के अंदर, हवेलियों, बाग-गाड़ीयों, मंदिरों के निकट, कृषि क्षेत्रों आदि स्थानों पर किया जाता था। ये स्वच्छ जल प्रदान करती थी जबोकि तालाबों की भूमि रो छनकर सुख जल इनमें आता था। लेकिन आधुनिक साधनों के आगमन से इनका उपयोग कम हो गया और इनका रखरुप भी बिगड़ा गया। इसमें पानी आने के मार्ग भी मिट्टी व कचरे के भराव पथा अतिक्रमण के कारण अवरुद्ध हो चुके हैं। इस कारण ये अब लुप्तप्राय हो चुकी हैं।

विश्व की जितनी भी सम्यताएं प्रस्फुटित हुई, बिकरित हुई और फली-फूली, सभी नदियों के किनारे ही। नदियां सौकल्यों या हजारों किलोमीटर बहने के बाद सागुद्र या झील में गिरती हैं। औद्योगिकीकरण के कारण नदियां प्रदूषित हो रही हैं। खेतों में अधाधूध प्रयोग हो रहे रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों और कवकनाशियों ने भी नदियों के जल को हानिकारक बना दिया है। नदियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने अपना सहयोग करना होगा। शहरी और औद्योगिक जल प्रबंधन द्वारा नदियों में गंदे नालों को पहुंचने से रोकना होगा।

जल संकट के मुख्य कारण

हमारे देश में जल संकट के निम्नांकित कारण हैं— जनरांख्या में अत्यधिक चृद्धि, वृक्षों की अधाधूध कटाई, बढ़ता औद्योगिकीकरण, गांवों से पलायन और बढ़ता शहरीकरण, जल के प्रति संवेदनशीलता, पारंपरिक जल संग्रहण तकनीकों की उपेक्षा, भूजल पर बढ़ती निर्भरता और अत्यधिक दोहन, कृषि में बढ़ता जल का उपयोग, अनुचित जल प्रबंधन, युक्त वर्ग में जल संरक्षण के ज्ञान का अभाव, सुखा, सिंचाई की बढ़ती मांग, जल की व्यार्थ वर्षादी और गैर-जिम्मेदाराना रवेया, कृषि में रसायनों व कीटनाशियों का अत्यधिक प्रयोग, विजलीघरों और परमाणु संर्यात्रों से निकले अपशिष्ट पदार्थ, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदौहन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति लापरवाही, कानून की शिथिलता आदि।

जल संरक्षण की आवश्यकता

हमारे जीवन का आधार पानी हमारे वीथ से तेजी से गायब होता जा रहा है। वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 5,177 घन मीटर थी, जो घटकर वर्ष 2025 में 1,341 घन मीटर रह जाएगी, ऐसी संभावना है। देश के अधिकतर तालाबों और नुओं का पानी कम होता जा रहा है; जहां जल 15 से 20 फीट पर उपलब्ध था, वह 200 फीट के नीचे जा चुका है। अपने देश में 275 नदियां खतरे की घटी बजा चुकी हैं। उनमें पानी की मात्रा तेजी से खत्म हो रही है।

भारत में जल संरक्षणीय और समर्थन संघीय चर्चागृह परिदृश्य की अनेक विताएं रायगे आई हैं, जिनमें से मुख्य इस प्रकार है— जलसा के बड़े हिस्सों में जल भी कभी ही मुक्ती है। जनरांख्या गृहिं, शहरीकरण और जीवनशीली भी परिवर्तन आने के कारण जल भी गाय में तेजी से बढ़ोत्तरी ही रही है। जल संचालन संघीय गृहों पर भी पश्चात रुप से रायगे नहीं दिया गया है। जल की उपलब्धता में भारी रणनीतिक और कानूनी अवार है। जल संवादी आपदाओं वाले, अधिक भू-कटाव साथा सूखों की यार-यार होने वाली घटनाओं में गृहिं ही रही है।

भूजल छालांगिं जल विद्युतीय चक्र और सामुदायिक रासायन का हिस्सा है लेकिन इसे विवितक रूपान्तर गानकर इराकी निरतरता के विषय में रोचे-राग्ने मिना इराका दोहन दिया जा रहा है और कई दोजों में अंति दोहन के कारण शामस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गौचूका रिचाई अवरांखनाओं में आपावित अनुरक्षण के फलस्वरूप उपलब्ध संरक्षणों की वर्चीयी होती है। प्राकृतिक जल विनायों और जल विकास पार्कों पर अतिक्रमण किया जा रहा है और उन्हें अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है।

अरक्षी के दशक में शीतोरी वैकिंग जल कारोबार फैला तो बोतल चंद पानी का चापार जोर मारने लगा। इसमें 40-50 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी ही रही है। देश में 200 से अधिक बांड का बोतलगंद भानी उपलब्ध है। बृजों और इंडियन रेट्टेल्ड जल से फौजीकृत 6000 नापनियां देश में बोतलबंद पानी के कारोबार से जुड़ी हुई हैं। औसतन हर घंटे एक कंपनी 5,000 लीटर से 20,000 लीटर तक पानी धरती से निकाल रही है। रात्ताना 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे इस उधोग से पानी इस्तेमाल में वर्चीयी की दर करीब 35 प्रतिशत है। बोतलबंद पानी का व्यापार शुरू हुआ तो 5,000 करोड़ रुपये का था अब यह 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का पहुंच गया है। जल संवादी इन्हीं सब परिवर्तियों को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि जल संरक्षण और उद्धित जल प्रबंधन किया जाए।

गैरसोरे पुरस्कार विजेता जल संरक्षणविद् एवं पर्यावरणविद् जल पुरुष, राजेंद्र सिंह का कहना है कि भारत की 70 प्रतिशत से अधिक भूजल पर्वत सूख चुकी है, जिससे संकट इतना गहरा सकता है कि लोग जल प्रचुरता बाले देशों में शरण मांग सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में जल संकट की स्थिति से निष्ठने के लिए समुदाय संचालित विकेंद्रीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को जल उपलब्ध कराने का दायित्व केवल तभी पूरा किया जा सकता है, जब सरकार लोगों के साथ मिलकर जामीनी-स्तर पर काम करे, न कि इस काम को ढेकेदारों को सौंपे जिनका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना होता है।

जल संरक्षण हेतु उपाय

कुड़ का पानी कुड़ में, खेत का पानी खेत में, नाले का पानी नाले में और गांव का पानी गांव में का प्राचीन सिद्धांत अपनाने के अतिरिक्त निम्न बातों पर भी ध्यान रखकर जल को काफी हद तक बचाया जा सकता है— घर के सभी नलों की ठीक से बंद रखे

पर्यावरण और जल संरक्षण की संसोधन में प्राक्तान करने याते गुरुज्ञ लॉटिनेटन डब्ल्यू इलम है। इन्हें फ्रेडरिक लॉटिनेटन 1881, जल (प्रदूषण नियवरण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण नियवरण और फ्रेडरिक, जल अधिनियम, 1974, जल प्रदूषण नियवरण और नियन्त्रण) रुपरार नियमापली, 1978, भारतीय दन अधिनियम, 1927, दन (संरक्षण) लॉटिनेटन, 1961, इन्हें डोड नरसाम लॉटिनेटन, 1972, राजनाय कर्ज अधिनियम, 1962, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 साधीय पर्यावरण लॉटिनेटन, 1995, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 1945, जोटनाराक अधिनियम, 1968, मौद्रिकान अधिनियम, 1988 और लोक दायित्व कोमा अधिनियम, 1991।

मारस में पहली जल नीति वर्ष 1987 में बनी फिर दूसरी और तीसरी नीति का लिटरेन्च वर्ष 2002 और 2012 में किया गया। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में केवल नियोजित भौगोलिकी की बात शामिल थी वही वर्ष 2012 की नीति केवल ने जल के नुस्खे नियंत्रण, जल के लेखा परीक्षण यानी पूर्व-पूर्व पानी का हिसाब रखने और इसके लिए नई संरचाओं को बनाने पर जोर दिया नया। राष्ट्रीय जलनीति के अनुसार जल संरक्षणों का नियोजन, विकास और प्रक्रमन राष्ट्रीय इंस्टिक्यूशन से संचालित किए जाने की जावश्वकता है।

गढ़ि किसी नल से प्रति सेकंड एक मूँद पानी टपकता है तो उससे प्रतिदिन 35 लीटर पानी च्यार्थ नाली में वह जाएगा जो 5 व्यक्तियों की पानी की आपश्यरुता पूरी कर सकता है। कागड़ धोने के बाद ऐसे पानी से फ़र्ज़ी तथा शीतालग साफ़ किए जा सकते हैं।

जल संकट की विविधता तो जल संकट जैसी नहीं है। जल प्रदूषण की समस्या तो मुनियादी रूप से जल संधर्म और वितरण की है तथा जल को प्रदूषण से बचाने की है। जल की शुद्धता की गुणवत्ता परखने के लिए चॉलेजों को विज्ञान प्रयोगशालाओं ने आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। घानी की गंडगी साफ करने के लिए फैडल्स, चलोहिन की गोलियां तथा मुझों के लिए पोटक्कोरिकोशन के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जो लोग जल को चर्चा गंवाते हैं, उन्हें इंडिया मिश्न जाना चाहिए।

शास्त्रव्यापी—स्तर पर रेनबॉर्टर हाईरिंग और कृतिम रिचार्ज कार्बनक्रम को सर्वाधिक प्राप्तमिकाता के आधार पर चलाया जाना चाहिए। जल के समुचित उपयोग को प्रोत्तराहित किया जाना चाहिए। सिचाई, उद्योग, परेलू और रिपिल कारों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जल की समुचित बीमत होनी चाहिए। उत्तरोग्न से निकलने वाले आशोधित प्राघाह जौ गी शोधित करने पीछे व्यवस्था रानीशिवत भी जानी चाहिए।

जल उपलब्धता की सीमाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण आपूर्तियों में अधिक परवर्तन को देखते हुए एक ऐसी कृषि प्रणाली विकसित किया जाए जिससे कि जल आयोग को मिलवायी बनाया जा सके और जल से अधिकतम साम भिल सके, और जल की यांदी शोषने को ऊचा प्राप्तमिकाता दी जाए। इस किसी फसल से ढगानी चाहिए, जिसमें कम पानी इट्टीगाल होता है। सिंचाई के

निए दूषित जल को शुद्ध करके जाम में लाना चाहिए। जैविक फूली भी जल संरक्षण में काफी हद तक सहायक होती है। पुरानी युछ फसलें जैसे— चाजरा, कगनी और ढलानदार जमीनों में मरक्की की तरह ही सकने वाला सूखा धान राहत दे सकता है। जल-संसाधनों को प्रबंधन में किसानों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जल वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करना आवश्यक है, जिससे पानी की जगह दी और प्रदूषण रुक सके। जल स्रोतों को संरक्षण का प्रभावी तरीका जल पिण्डियों (वाटरशेड) का विकास है। इससे पानी को बचाकर रखने की सुविधा तो प्राप्त होती है, साथ ही गृहिणी जल स्रोतों की भरपाई करने, मूमि संरक्षण और नदियों में मिट्टी के अनावश्यक गहाव को रोकने और जलाशयों अथवा अंतर्र समुद्र में मिट्टी को जमाच को कम करने में मदद मिलती है। रामस्या पानी के संकट से अधिक उसको प्रबन्धन को सोकर है।

आस्ट्रेलिया का पूरा सिडनी शहर ही दो पाइय प्रणाली पर सम्पादित किया जा रहा है। इसी प्रकार से चरों में कम जल उपयोग काले उपचरण जैसे रोबर, पाइय, जल नियंत्रक या गुब्बासी आदि का इस्तेमाल फर्के भी 20 से 40 प्रतिशत पानी की बचत हो सकती है। आस्ट्रेलिया, अमरीका आदि देशों में इस दिशा में काफी काम किया गया है। इसमें शाँतर ही इस तरह के होते हैं जो एक गिनट में पांच लीटर पानी की जगह एक या दो लीटर पानी बचाते हैं।

चल संरक्षण - चर्नीहिया एवं शमापना

चत्तेगान में जल संरक्षणों और उनके प्रबंधन संबंधी अनेक युनीटियाँ हैं, जिन पर विजय प्राप्त करनी होगी। आज से 5,000 साल पहले पानी की कमी नहीं थी। किंतु भी अवधिमेट्र से छिपा है

कि नदी, कुएं या तालाब का पानी यदि जुशलता और तापधानीपूर्वक प्रयोग में लाया जाए तो इससे अकाल और पानी की कमी का भय कम होगा।

भविष्य में जल संकट का सामना हमारी युवा पीढ़ी को करना है, क्योंकि कल वे ही इसके उपभोक्ता होंगे। यदि युवा पीढ़ी में जल के संरक्षण और इसके महत्व के प्रति जागरूकता हो तो वह कल किसी भी पद पर जाकर इसका सहुपयोग करेंगे। इसके अलावा, युवाओं में उर्जा अधिक है तथा वे किसी भी चीज को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं। जल संरक्षण को सामाजिक आदोलन के स्तर पर ध्लाया जाए और इसमें युवाओं की मार्गीदारी निश्चित की जाए तभी इस समस्या का कुछ समाधान निकल सकता है।

जल संरक्षण व जल प्रबंध के बारे में हम कुछ पहलुओं पर विचार कर सकते हैं, जो मानव के लिए उपयोगी होंगे, ये हैं— सिवार में प्रत्येक व्यक्ति सृजनारोपण के प्रति प्रेरित होकर जल संरक्षित कर जमीन में जल-स्तर में बढ़ोतरी कर सकते हैं क्योंकि वर्षा का पानी वृक्षों के पत्तों पर गिरकर जमीन में आता है और धीरे-धीरे जमीन के अंदर जाता है और भूजल के स्तर में बढ़ि करता है, भवन निर्माण के समय ही अथवा बाद में प्रत्येक भवन की छत पर या अंगन में वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए जलाशय बनाया जाए, नहरों, पानी की नालियों को पक्षा बनाकर रिसने से होने वाली पानी की वर्षादी को रोका जाए, बनों की अधारुद्ध कटाई रोकने के लिए सरकार सख्ती से अफुश लगाए, जल भंडारण के लिए जल स्रोतों का पुनरुद्धार किया जाए, जल संरक्षण एवं प्रबंधन के संबंध में यन्त्रणाएं गए कानूनों को ईमानदारी से लागू किया जाए, प्रत्येक नागरिक जल की बचत करे, वर्षादी न करे और न ही जल को प्रदूषित करें।

उठाए गए कदम

उपयोग योग्य जल संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से नदियों को परस्पर जोड़ने के जरिए जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल अंतरण द्वारा बाढ़ के अधिशेष जल का उपयोग करने, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण जैसे विभिन्न उपायों की योजना चलाई जा रही है। केंद्र सरकार ने देश में वर्षा जल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय प्रारंभ किए हैं। इनमें मेनुआलों, गाइडों, मॉडल थिल का परिचालन, ताकि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियन्त्रण के लिए उपयुक्त कानून बनाने में सहायता मिले, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद का गठन, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर योजना तैयार करना, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी अध्ययन करना, वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण के संबंध में दावाधारकों के लिए जन-जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन और अति दोहित गंभीर, अर्द्ध-गंभीर क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के लिए डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण का कार्यान्वयन शामिल है।

जल क्रांति अभियान

जल जीवन मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य है वर्ष 2024 तक

हर घर तक पेयजल पहुंचाना। अभी देश के आधे घरों में ही ऐसी सुविधा है। उनमें भी पानी 24 घंटे नहीं, औसतन दो घंटे कमी-कमी तो कुछ मिनट और कुछ स्थानों पर एक दो-दिन छोड़ कर पहुंचता है। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत दस लाख से अधिक की आवादी वाले शहरों में सभी घरों में पाइप ने शुद्ध पेयजल की सुविधा करने की योजना के लिए वर्ष 2020-21 के बजट में 11,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सभी परिवारों को पाइप लाइन के माध्यम से जलापूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से 3.60 लाख करोड़ रुपये की जल जीवन अभियान योजना स्थीकृत की गई।

सरकार ने देश के कई राज्यों में वार्षा जल संचयन को अनिवार्य बना दिया है। नव्यप्रदेश में 140 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल पर निर्मित होने वाले सभी भवनों में वर्षाजल संचयन को अनिवार्य बना दिया है। ऐसा करने वालों को पहले साल संपत्तिकर में 6 प्रतिशत की छूट मिलने का भी ग्रावधान है। राजस्थान में सभी सरकारी भवनों में वर्षाजल संचयन अनिवार्य कर दिया गया है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और आद्यप्रदेश में भी नई इमारतों में कानून, वर्षाजल संचयन को अनिवार्य बना दिया गया है। कर्नाटक में वर्षाजल संचयन करवाने पर संपत्ति कर में 5 वर्ष के लिए 20 प्रतिशत की छूट मिलती है। पंजाब में लुधियाना और जालंधर नगर निगमों ने इसे जलसीरी किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी वर्षाजल संचयन को अनिवार्य कर दिया है। गुजरात में भी यह नियम लागू है।

भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ विलय करके और नदी राष्ट्रण निदेशालय की नए मंत्रालय में स्थानांतरित करके जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। देश में यदृच्छा जल संकट को ध्यान में रखते हुए 5 जून, 2015 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जल क्रांति अभियान देशभर में शुरू किया गया ताकि देश में इसे जनादोलन बनाया जा सके। इस अभियान का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं व सहभागी सिंचाई प्रवंधन को शामिल कर सभी हित्ताधारकों को इससे जोड़ना, जल संसाधन संरक्षण व प्रबंधन के पारपरिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना व ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के माध्यम से आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

संक्षेप में, यदि पृथ्वी पर उपलक्ष्य जल की मात्रा को देखा जाए तो पानी की न तो कमी है और न ही अधिकता है। आवश्यकता इस बात की है कि जल-चक्र को नियन्त्रित किया जाए। हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण एक ही सिक्के के दो पक्के हैं। यदि हम एक का सरकान करेंगे तो निसंदेह वह दूसरे के लिए भी उपयोगी होगा। पर्यावरण और जल संरक्षण की दिशा में अभी नहीं, तो कमी नहीं की दृढ़ मानसिकता के साथ काम करने की आवश्यकता है।

(भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजगांव विभाग से संकेत ०)

ई-मेल rakeshnishith@gmail.com

जल जीवन मिशन से बदलता सामाजिक परिदृश्य

- गंतोप कुमार मिंह, गण मिंह


ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना के बाद सामाजिक पहलू को देखा जाए तो पाइप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति अत्र के अंदर होने से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वच्छता सूचकांक बढ़ा देता है। जलशिला गतिविधि ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का नहन किया है जिसके तहत यह कार्ययोजना है कि आने वाले 4 वर्षों में अधीन 2024 तक 14 करोड़ परिवारों को पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का गठन करके केंद्र सरकार ने आने वाले 3-4 वर्षों में पूरे देश को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की अपनी प्रणिकरण दिखाई देती है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के संतारणीय विकास लक्ष्यों में पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति एवं सभी के लिए शीघ्रान्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 अप्रूव, 2019 से दूरे देशों को सुने में शौचालय घोषित किया। इस अभियान में डिमेन सरकारी, गैर-सरकारी संगठनों एवं समुदायों द्वारा 5 वर्षों के अंदर 10 करोड़ से अधिक परिवारों में शौचालय बनवाए गए। भारत के सामाजिक परिवेश में 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति करने हेतु राष्ट्रीय योजना पेयजल योजना के तहत क्रियान्वयन देशभर में चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना सरकार के द्वारा एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। गांव की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि विभिन्न पर्यावरणीय योजनाओं में पेयजल स्रोत की स्थापना हेतु इनसा से ध्यान दिया गया है।

अध्यक्षों द्वारा यह चात प्रकाश में आई कि 40 से 100 फीट तक तर-तर तक का पेयजल पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।

कुएं की राफ़ाइ भी नियमित नहीं हो पाती जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न वीगारियां जैसे टाइफाइड, डायरिया आदि की सामस्या आम हो गई। इसका प्रमुख कारण सार्वजनिक जल योतों पर गंदगी एवं कुएं के जल के जीवाणु द्वारा संक्रमण था। यही कारण है कि 1970 के दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल लगाने के संघर्ष में प्रगति हुई, पंचवर्षीय योजना तथा विभिन्न वित्त आयोगों में भी सरकारी चापाकल लगाए गए। इन चापाकलों की गहराई 100 फीट से ऊपर रखी गई ताकि पेयजल की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार किया जा सके। यही कारण है कि विभिन्न वित्त आयोगों, सांसद मद, विधायक मद, पंचायतों द्वारा सरकारी चापाकलों की अनुशंसा की गई।

ग्रामीण इलाकों में आबादी वाले स्थानों पर सरकारी जमीन का घोर अभाव था। इसलिए रास्तों से भी लोगों की निजी जमीन पर चापाकल लगाए गए। परंतु इनका सार्वजनिक उपयोग हमेशा विवाद का कारण रहा। जो लोग सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत थे, लगभग सरकारी चापाकल पर उन्हीं का वर्वास रहा। जिसका सबसे अधिक खामियाजा ग्रामीण अनपढ़



गाड़ियाओं को झेलना पड़ा। ग्रामीण परिवेश में घर के लिए पानी लाना, बहन धोना, कपड़े धोना आदि भौहेलाओं का भी मुख्य कार्य होता है जिसमें उन्हें औसतन प्रत्येक दिन 7 से 8 घंटे जल प्रवध करने हेतु विताने पड़ते हैं। प्रत्येक ग्रामीण परिवारों में पानी लाने का कार्य विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है जिससे उन्हें अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे पाइप-लिंकाई के लिए कम समय बितता है। यही इन सार्वजनिक जलस्रोतों पर आए दिन पानी भरने के लिए विवाद को लेकर उनको एक मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है।

राष्ट्रीय पानी पेयजल कार्यक्रम

नीति निर्धारकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आघूर्ति एक चुनौतीपूर्ण कार्य अभी भी बना हुआ था। अध्ययन द्वारा यह तथ्य सामने आया कि पाईप द्वारा सभी के घरों में पेयजल आपूर्ति यदि सुनिश्चित की जाएगी तो पेयजल की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जा सकेगा तथा सभी को पानी विना किसी भेदभाव के मिल सकेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का प्रारंभ 2009 में इसी सोच के तहत हुआ जिसमें मुख्य जोर पीने योग्य पानी की पर्याप्त उपलब्धता, सुविधा, बहन करने की क्षमता तथा साम्पत्ता की दृष्टि से पानी की सतत उपलब्धता (सोल) पर दिया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में निधि बहन की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने और इसे नियायिक, प्रतिरक्षणीय और ग्रामीण लोगों को अच्छी गुणवत्ता पूर्ण जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं पर निर्भरता (कार्यशीलता) पर ज्यादा जोर देते हुए वेहतर निगरानी के साथ जारी रखने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। दौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अवधि 2017-18 से 2019-20 के लिए इस

कार्यक्रम के लिए 23,000 ग्रन्थालय रूपये वाली सार्वजनिक बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता देने वाली ग्रामीण जनरसेक्युरिटी को कवर करेगा। पुनर्वासन रोडोवर्स रोडोवर्स वाहन राज्यों और इससे गतिशील सारांश पाईप के लिए पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत आने वाली योजनाओं को समर्पित पूरा किया जाता है। तथा नए कार्यों का समर्पण रूप से जल जीवन मिशन के तहत राज्यों द्वारा कियान्वन किया जाना है। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन

अभी भी देश में 40 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को पाईप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं मिल पाई है। सरकार द्वारा 14.6 करोड़ घरों के लिए राष्ट्रीय जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकार की योजना उन गांवों तक पाईप लाइन पानी पहुंचाने की है जहां पानी की गुणवत्ता अच्छी है। खराक पानी की गुणवत्ता वाले गांवों में टैक द्वारा जल आपूर्ति प्रणाली की व्यवस्था किए जाने की योजना है। इस योजना का मुख्य विद्यु पुराने जलस्रोतों का जीर्णोद्धार, नव जलस्रोतों का निर्माण और कृषि के लिए वर्षा के पानी के पुनर्उत्पयोग, लघु सिंचाई हेतु टंकियों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण करना होगा। इस अभियान के तहत समुदाय को जल संवर्धन हेतु जागरूक एवं व्यवहार परिवर्तन किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने के पानी की आपूर्ति करने हेतु घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश के 17.87 करोड़



नोवल कोरोनावायरस रोग (COVID-19)


पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल, इनसे है आज, इनसे है कल

निरुद्धार नहीं तिलक करो

Help us to help you



mohfw.gov.in | [mohfw_INDIA](https://www.facebook.com/mohfw_INDIA) | [mohfw_INDIA](https://www.twitter.com/mohfw_INDIA) | [mohfw_INDIA](https://www.instagram.com/mohfw_INDIA/)



ग्रामीणों के घर में पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति

ब्रह्मोम घरों में से, लगभग 14.6 करोड़ में यानी 81.67 प्रतिशत के घर घरनी भी घरेलू पानी के नल कनेक्शन नहीं हैं। जल जीवन मिशन वर कुल परियोजना लागत लगभग 3.60 लाख करोड़ रुपये हैं जो अनुपात है जिसमें केंद्रीय अंशदाता 2.08 लाख करोड़ रुपये होंगा। हिमालयी और पूर्वी उत्तर राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के दौसे अंशदाता 90:10, के अनुपात में तथा राज्यों के लिए 50:50 और उपचालित प्रदेशों के लिए यह 100 प्रतिशत होगा।

जल जीवन मिशन का व्यापक प्रारूप सभी राज्यों / संघ-शासित छोड़ों को सभी विवरण के साथ अपेक्षित कार्रवाई के लिए भेजा गया था। माननीय जलमंत्री की अध्यक्षता में मतियों का एक सद्वीय तर्फ़ाने 26 अगस्त, 2019 को आयोजित किया गया था, जिसमें जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर विस्तार से कथा की गई थी।

पैसाकि सरकार द्वारा तय किया गया था, देश के उत्तर-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में एक-एक करके पांच केंद्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गई, जिनमें पानी की आपूर्ति, राज्य सरकारों, स्वयंसेवी संगठनों, विकास सहयोगियों और सभी वित्तारकों को शामिल किया गया। इसके अलावा, विभाग द्वारा उन मुद्रों की भी समीक्षा की गई जो जल आपूर्ति से जुड़े रहे और जिन्हें लेकर संसद में माननीय सांसदों द्वारा अन्तर संगाल उठाए गए। इसी तरह, स्टैडिंग कमेटी की रिपोर्ट और ऑफिट रिपोर्ट की गई। इसी तरह, स्टैडिंग कमेटी की रिपोर्ट और ऑफिट रिपोर्ट की गई ताकि एनआरडीडब्ल्यूपी की योगान्वयन में होने वाली कमियों की रातीका गी जा सके और उनके समाधान के लिए दिशानिर्देशों में उत्तित व्यवरथा की जा सके।

राज्यों में राष्ट्रीय योजना पेयजल यातीकांग पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के योगदान में राज्यों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण मिशन अंत्योदय के द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना का निर्माण भी जल जीवन में एक अंश है। इन योजनाओं का उपयोग करती है।

संरचनाओं का जीर्णोद्धार, आहर, पह्नून का जीर्णोद्धार, नए तालाबों का निर्माण, वर्षाजल के संरक्षण हेतु रेन रूफ बॉटर हार्डिंग का निर्माण एवं सौख्यता का निर्माण हेतु ग्राम पंचायत के नायाम से विशेष ध्यान दिया गया है।

केंद्र सरकार द्वारा राज्यों ने सूखाग्रस्त 117 ज़िलों को आकांक्षित जिला धोषित किया गया है जिसमें जलशक्ति अभियान के तहत ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ज़िला पदाधिकारी के नेतृत्व में जिला जल एवं स्वस्थता समिति द्वारा सभी प्रकार का तकनीकी नार्गदशन ग्राम पंचायत को दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय-स्तर के भौतीटर नियुक्त किए गए हैं जो समय-समय पर इन ग्राम पंचायतों में धूमकर नवाचार की पद्धतियों को देखते हैं एवं इन्हें बढ़ाया देने हेतु ग्रामीणों के साथ वैठक करके उन्हें प्रेरित करते हैं।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जुलाई से लेकर दिसंबर 2018 तक राज्यों द्वारा पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति कर सर्व करता रहा। इसमें पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति में गोवा सर्वाधिक 96 प्रतिशत, तमिलनाडु 89.3 प्रतिशत, हिमाचल 84.2 प्रतिशत, वही पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उडीसा, विहार, उत्तर प्रदेश में राज्यों में पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति में सरकार को कठिन चुनीती का सामना करना पड़ रहा है जहाँ औसतन 10 प्रतिशत से भी कम घरों में पाईप द्वारा पेयजल की सुविधा है। इन प्रदेशों में औसतन 70 प्रतिशत से अधिक आमादी पेयजल हेतु शापाकाल या ट्यूबवेल पर निर्भर हैं।

केरल, जो मानव विकास सूचकांक में देशभर में अव्वल है, यहाँ भी पाईप द्वारा पेयजल की आपूर्ति के आकड़े उत्ताहजनक नहीं है। यहाँ 77 प्रतिशत आमादी रुप पर निर्भर है एवं उसमें गोटर समाकर जल का उपयोग करती है। इन आकड़ों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय में सुदूर पेयजल की अवधारणा पैकूनिक सीतां पर आवारित नहीं है। समुदाय को व्यापक प्रचार-प्रसार द्वारा जागरूक करने की जाकर्यकला है।



विद्यालय में शौचालय में जल आपूर्ति एवं पेयजल हेतु वाष्णव रक्षण का निर्माण

पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति एवं शौचालय का सामाजिक पहलू

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पेयजल आपूर्ति योजना के अंदर सामाजिक पहलू को ऐसों तो जहाँ एक और खुले गे शौचमुक्त होने की क्षमता से भिन्न होने के आधाराभास की रक्षा हुई है वही पाईप द्वारा शुद्ध पेयजल की आपूर्ति उग्रों घरों के अंदर होने से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वच्छता सूचनाकांक बढ़ा है। जो समय महिलाओं को पानी दूर्जने में और सामुदायिक पानी की सोतों पर विताना पड़ता था, वह समय अब यह कुछ सकारात्मक कारों में लगाने लगी है। फिशोरी बालिकाएं, जो घरों में पानी लाने का कार्य करती थीं, अब उनके घरों में ही पेयजल आपूर्ति हो जाने से उस समय में वह अपनी पठाई और डान्स सकारात्मक कारों कर रही हैं।

हर घर को पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति करना निश्चय ही धुनीरीपूर्ण कार्य है। गरीबी, अशिक्षा, भुखारी, वेशेचागारी जैसी भूलभूत समस्याओं से समाज जूँझ रहा है, ऐसे में घरों तक पेयजल आपूर्ति करना एवं उसकी नियोगी आपूर्ति नवे समय तक सुनिश्चित रखना बहुद धुनीरीपूर्ण कार्य है। इसके लिए याम पंचायतों को शौचालय नियोगी की सरक हर एक याम में कमेटी बनाकर इसका अनुश्रवण कराने की आवश्यकता होगी। रखानीय-स्तर पर रास्लाई चेन मैनेजमेंट को याच नल को बदलने की व्यवस्था करनी होगी। विभिन्न तरह के अल्यिंग कारों के लिए यहुत बड़े मानव चल की आवश्यकता होगी जिसके लिए रखानीय युवकों को प्रशिक्षित करना होगा।

योजना के बारे में जनप्रतिनिधियों ने विचार किया है कि यह विल्कुल लाईय योजना है गह कभी यह होने वाली योजना नहीं है। इसका आशय है कि पानी हमेशा घरों में गहुँवता रहेगा और उसमें गहुँ ना गुह रहेगा रहेगी विस्को निरंतर मरम्मत और देखभाल करने की आवश्यकता है। गमुदाम द्वारा हमने गह देखा कि जिस तरह शूरुआत में तरह-तरह की यात्रा की जाती है गरालन जल आपूर्ति का विल देना पड़ेगा आदि, परंतु जैसे ही शुद्ध पेयजल

सुविधा उनके भर-आगमन और शौचालय तक पहुँचती है तो उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती।

निष्कर्ष

विवरित जलशक्ति मंत्रालय ने पूर्व से चल रही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को नया स्वरूप दिया है। इस योजना से अब तक ग्रामीण इलाके में लगभग 60 प्रतिशत इलाकों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की गई है, परंतु घरों तक पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति का प्रतिशत 23.5 है।

जलशक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का गठन किया है जिसके तहत यह कार्यगोजना है कि आने वाले 3 वर्षों में अर्थात् 2024 तक 14 करोड़ परिवारों को पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जहाँ एक और रवच्छ भारत मिशन के द्वारा देश भर में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को शौचालय की सुविधा मुहैया कराई गई एवं संपूर्ण देश में विभिन्न तरह के जागरूकता अभियान तथा सामुदायिक सहभागिता सबमित गतिविधियों के मियान्यन से एक स्वच्छ यातावरण का निर्माण समर्प हो पाया है; उसी तरह जल शक्ति मंत्रालय ने इसी यातावरण में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। इसमें जहा एक ओर पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति देने की समग्र सोच है, वही दूसरी ओर जल संचयन के विभिन्न पारंपरिक तरीकों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसमें कोई दो मत नहीं है कि जलशक्ति मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों से बहुत सारे परपरागत सोतों का जीणद्वारा राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में किया है एवं पेयजल आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का गठन करके केंद्र सरकार ने जानी प्रतिक्रिया दी है कि वे आने वाले 3-4 वर्षों में पूरे देश को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करा देनी तथा जल संचयन के विभिन्न आयामों का भी जीणद्वारा सुनिश्चित करेंगी।

(राजीव गुप्ता रिहर्सल और प्रस्तुति विकास अधिकारी, भेरपट्टी (पाया) में कार्यरत हैं, रेपु रिहर्सल सामाजिक सेवा, भेरपट्टी (पाया) में कार्यरत हैं) विश्वविद्यालय, (बीमारी) में शोधार्थी हैं।

E-mail : vanto.ac.in@gmail.com

जल संरक्षण की मिसाल बने रुथानीय प्रयास

卷之三

कुछ बातें इतनी बुभियादी होती हैं कि उन्हें गार-गार कहा जाना चाहिए, बिना इस संकेत के कि इस पर नगा आग बढ़ा कहा जाएगा। 'जल' एक ऐसा ही विषय है जिसके संरक्षण पर हमेशा बात करने की आवश्यकता है क्योंकि यह हमारे जीवन का मूल आधार है। चाहे जिंदा रहने मात्र की कलायद हो या फिर कृषि से लेकर उद्योगों के संचालित होने की, बिना जल की उपलब्धता के कुछ भी संभव नहीं। इसलिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जल मानव जीवन का केंद्र है जिसकी सहत से ही हमारा रवास्थ निश्चित होता है।

वर्तमान में जल संरक्षण पर चर्चा का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि एकतरफ जहाँ इसकी गांग लगातार बढ़ती जा रही है वही इसकी उपलब्धता कम होती जा रही है। यह एक खतरनाक असंतुलन की ओर चढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यह असंतुलन हमेशा से रहा है। जल संरक्षण में अपना पूरा जीवन खपा देने वाले 'अनुपम मिश्र' पीड़ा भरे रवर में इस असंतुलन की बजाह बताते हैं कि 'सैकड़ों हजारों तालाब आधानक शून्य से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पीछे एक इकाई थी बनाने वालों की, तो दहाई थी बनाने वालों की। यह इकाई-दहाई मिलकर सैकड़ा-हजार बनती थी। पिछले दो सौ वर्षों में नए किस्म की थोड़ी-सी पढ़ाई पढ़ गए समाज ने उस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की शून्य ही बना दिया।' इस भाव को तालाब के घटने के साथ-साथ जल संसाधन के स्राव के रूप में देख सकते हैं। हालांकि, इन निराशाजनक पहलुओं के बीच जल-संरक्षण के कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जो हमें आशानित भी करते हैं और प्रोत्साहित भी। ऐसे उदाहरण पैयजल से लेकर सिंचाई की ताकनीकों तक विस्तृत हैं। इन उदाहरणों की चर्चा के पूर्व जल की महत्वा से संबंधित तथ्यों को संक्षेप में जान लेना आवश्यक होगा ताकि इनके संरक्षण की गत रूप्त हो सके।

पर देखो तो कुल उपलब्ध जल का मात्र २३ प्रतिशत ही 'जल जल' की श्रेणी में आता है। अब भारत की ओर से तो यहां कुल पैशियक जल का ४ प्रतिशत ही उपलब्ध है जबकि इस विश्व की १८ प्रतिशत जनसंख्या नियास करती है। जाहिर हीर यह एक बुनियादी असमूलन है। साथ ही, लगातार बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकीकरण-जटिलताएँ के कारण जल की सीधी लगातार बढ़ती जा रही है जाहिर उसकी उपलब्धता घटायी गई है। आखिर के रूप में देखो तो जहां वर्ष 1951 में प्रति अड्डे का और्जिक जल उपलब्धता 5177 क्यूबिक मीटर थी, वही 1991 में यह घटकर 2203 क्यूबिक मीटर हो गई तथा 2011 में यह 1557 क्यूबिक मीटर हुआ आ गई। इससे भी खतरनाक प्रात यह है कि 2025 तथा 2050 तक इस उपलब्धता के घटकर क्रमसे 1341 तथा 1140 क्यूबिक मीटर तक हो जाने का अनुमान है। यह मवायह है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 1000 से 1700 क्यूबिक मीटर प्रति वर्षित और्जिक जल उपलब्धता 'जल दबाव' की श्रेणी में आता है तथा 1000 से नीचे आते ही यह जल कमी की श्रेणी में आ जाता है।



जल संरक्षण की आवश्यकता।

यद्यपि अपनी संधृष्टता में जल भी कोई कमी नहीं है लेकिन उपर्योग लापक जल सीमित है। वैश्विक-स्तर

असाधा गर्वी

यानी अगले 30 वर्षों में भारत को गंभीर जल संकट का रामबन करना पड़ेगा।

दूसरी ओर, खपत की दृष्टि से देखो तो अभी एम बीज 18 प्रतिशत ग्रामीण गृहस्थ ताक ही नल के माध्यम से साथ प्रयोगल की उपलब्धता सुनिश्चित कर पाए हैं। इस हिसाब से अभी खपत में सृद्धि का ग्राफ ऊपर ही जाएगा। कृषि, जहां भूमिगत जल का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा खपत होता है, में भी जल की मांग लगातार बढ़ी रहेगी। इसके अतिरिक्त, बंगलुरु तथा शिमला ऐसे शहर जो पानी की कमी से तुरी तरह जूझ रहे हैं, उनको भी इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। कुल गिरफ्तार करने तक आव यह है कि आने वाले समय में मांग-आपूर्ति का संतुलन और विप्रवास चला है। ऐसे में उन चुनिदा 'रास्ताण प्रयारों' पर ध्यान बेंचित करने की आवश्यकता है जो इसे संतुलित करने की कोशिश में जुटे हैं।

नवाचार जिसने नदी की सूखत

जल संकट से जूझ रहे अनेक शेत्रों में गांव, रामुदाय तथा विभिन्न रांगठनों ने आपसी राङड़ोदारी से ऐसे रोधक तरीकों की खोज की जिससे न केवल उस क्षेत्र की समस्या खत्म हुई बल्कि ये प्रेरणा के द्वारा भी बने।

(क) ढलते 'सोते' रिप्रिंग को जगाया

उत्तराखण्ड के घटाडी इलाकों में परेलू उपयोग के लिए जल की उपलब्धता एक कठिन कार्य है। तीव्र पटाड़ी कटाव वाले रास्तों पर धलकर पीने लायक जल लाना पड़ता है। यहां उपयोग लायक जल के सबसे प्रमुख स्रोत ढाई लाख से भी अधिक 'सोते' (रिप्रिंग) हैं जो उत्तराखण्ड की 90 प्रतिशत पेयजल आवश्यकता की पूर्ति करता है। विभिन्न कारणों से ये सोते क्षरित हो रहे थे जिससे पेयजल की समस्या गहराती जा रही थी। इससे निपटने के लिए पिथीरागढ़ जिले के करीब 312 गांवों ने टाटा ट्रस्ट की सहायता से एक प्रोजेक्ट शुरू किया और उन कारणों को खोज लिया जिससे सोतों से जल की मात्रा कम हो रही थी। इस सामूहिक प्रयास का असर यह हुआ कि मात्र डेढ़ वर्षों में ही सोते की जल प्रदायी क्षमता में पांच गुना वृद्धि हो गई।

सिविकम भी इसका एक अच्छा उदाहरण है जहां 'धारा', स्थानीय भाषा में सोते के लिए इस्तोमाल किया जाने वाला शब्द है, के



चेक ड्रेन

पुनर्ज्ञान के बहाव से जल सूखा गृहितों की पहुंच बिल्कुल 80 प्रतिशत परेलू सूखा तो जल के लिए इन मालियों पर निर्भए हैं। यद्दीन जानवरों, अनियमित तरीके प्रयोग, प्रदूषण, निर्नियोक्ता इत्यादि के स्थिरिकों प्रभाव से यहां मालियों का जल-सम्पर्क क्षेत्र लगातार ठिकाड़ा जा रहा था। इसके बाद लगातार ये दूसरी साथी पहचान की तर्जा अपार्टमेंट ग्राम्य की जलायी में एक एक जल-प्रकाश नीति को विचारित किया जिससे मालियों की रोकने की सुधी तथा उपयोग की पूर्ति में भी बदलाव आया।

(म) आगाम वे आवधिक तरक

पूर्व प्रदेश के उत्तराखण्ड पानी का समस्त व्याप्ति आपने लिए जाने वाली में ही जल जाता था जिसके अनियमित वर्षों के कारण लगातार यहां से बढ़ा रहा था। तापाम दूसराम के बाद ये जल इस समस्या का समानान गली बिकला तो गांव यात्री ने अपने यहां इस शैक करने की जानी। यांत्र यात्रे अत्यन्त इस नियाम पर प्रकृते कि यहि परेलू-जल पर ही यहां जल संवर्धन की तकनीक विकसित की जाए और जल का समुदाय वितरण तो यहां समस्या से निपटा जा सकता है। इसके बाद प्रत्येक घर में यांत्र जल संवर्धन की संरचना बनाई गई था तथा यात्री, यात्रा ही बुके यामुदायिक कुओं को भी फिर से तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त, यैकड़ा के नियोग के माध्यम से भी जल संवर्धन की नियतता सुनिश्चित की गई तथा यांत्र के माध्यम के साहरे एक स्थान नियित कर दिया गया जहां रो मिट्टी खोदकर घर और साढ़क नियोग किया जाना था। इससे वहां एक सालाय भी नियंत्रित हो गया। इस प्रकार योग्य जल के मामले में आत्मकार्य हो गया तथा आपने अम का उपयोग अन्य उत्पादक कार्यों में जरने लगा।

(ग) नेटवर प्रमोन, संतुलित जीवन

महाराष्ट्र भारत के ऐसे यांत्रों में से है जिसे सूखे की समस्या से जुड़ाना पड़ता है। यांत्र के कई जिलों की असार सूखे जिले के क्षेत्र में विनियोग किया जाता है। दिलचस्प यात्रा है यि दूसी सूखे जिलों के अंतर्गत आने वाले 'शापेयाडी', फलकेयाडी, गुथालाने, रंदुलानाद, रातीयीगाडी तथा 'शेल्फेगाडी' गांवों ने आपना में विलक्षण ऐसी तकनीक विकसित की कि अपने पहोंस के सूखे गांवों के विपरीत यहां जल की उपलब्धता लगातार बढ़ी रही। इन सभी गांवों ने निलक्षण पहले जल की उपलब्धता और पिर इसकी खपत का एक खाका दैवार किया और तथ विलक्षण कि जल को सामूदायिक संसाधन मानते हुए इसका समावेशी उपयोग किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने रामर-सामर पर विभिन्न जलस्रोतों की गतीयतिरिंग शुरू कर दी तथा जिस जलस्रोत में दूर्त देखा गया, वहां से उसी अनुपात पर जलस्रोत कम कर दी गई। साथ ही, कृषि कारों के लिए फसलों का चुनाव भी योग्य प्रतिरूप के अनुराग नियित किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक घरों में 'वैटर गोटर' तथाया गया ताकि परेलू उपयोग का नियंत्रित किया जा सके। इन सबका रामिलित जरार यह हुआ कि ये गांव सूखे जिले में आने के बावजूद इसके प्रभाव से अछूते रहे।

(ii) वॉटर टैक से जलाशय तक

महाराष्ट्र के यावतमाल क्षेत्र में गणेशवाडी एक ऐसा गांव था जहां सरकार को वॉटर टैक से जलापूर्ति करनी पड़ी क्योंकि वहां ही सभी जल स्रोत भूतप्राय हो गए थे। किंतु फिर सामुदायिक अम, नाकारी योजनाओं तथा गैर-लाभकारी संगठनों के संयुक्त प्रयास से वहां भर के भीतर ही ऐसी स्थिति बन गई है कि किसी भी जल टैक को गांव आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भूजल-स्तर सुधारने के लिए यहां अलग-अलग स्थानों पर छोटे-छोटे पथरों तथा गौली भिट्ठी की सहायता से लगभग चालीस मेंड निर्मित की गई ताकि जलसंग्रह किया जा सके। साथ ही, इनके माध्यम से गांव के सभी जल स्रोत आपस में जुड़ गए तथा जल का प्रबाह निश्चित हो गया। इसके अतिरिक्त, गांव में दो मीटर की गहराई बाला एक जलाशय भी बनाया गया, जिससे अगल-बगल के जल स्रोतों का पनत्व भी बढ़ गया। इन सबका सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि अब वर्षा जल यू ही ढलकर व्यर्थ नहीं होता तथा इसको संग्रहित कर समुचित उपयोग किया जाने लगा।

ऐसी ही एक कहानी 'अकोला देव' गांव की भी है जो पहले वॉटर टैक पर निर्भर थे किंतु औडे से प्रयास से उन्होंने अपने जल-स्रोतों को पुनर्जीवित कर लिया। दरअसल, यहां की मुख्य समस्या जलाशयों में अत्यधिक मात्रा में जमा गांद थी जिनसे इनपी जल-संग्रहण क्षमता भी कम हो गई थी और इससे भूजल-स्तर भी नीचे जा रहा था। यहां सबसे पहले डैम में जमा हो गए इस गांद की सफाई की गई तथा फिर दस प्राकृतिक नए चेकडैम भी निर्मित किए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि वॉटरटैक पर निर्भर इस गांव को इसके ही जलाशयों से खरीफ फसलों की रियाई के लिए जल प्राप्त होने लगा।

महिलाओं ने संवारी सूरत

ऐसे क्षेत्रों में, जहां नलों के माध्यम से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, वहां घरेलू उपयोग के लिए जल जुटाने की जिम्मेदारी महिलाओं ने ली होती है। जाहिर तौर पर जल राफ्ट की स्थिति में राबरों पर ही होती है। जाहिर तौर पर जल राफ्ट की स्थिति में आरम्भ नहीं अधिक परेशानी भी इन्हें ही उठानी पड़ती है, ऐसे में आरम्भ नहीं कि महिलाओं ने अपने यूं कई क्षेत्रों में जल राफ्ट की समस्या को दूर कर दिया।

तमिलनाडु के वेल्लोर ज़िले के लिए 'नागनधी' नदी प्राण तत्व हुआ करती थी। इससे न केवल उस क्षेत्र की कृषि संचालित होती थी बल्कि पीने के जल में कमी नहीं आती थी। इसके सूख जाने से दशक भर में यह क्षेत्र पानी की गमीर समस्या से जूझने लगा तथा यहां से बड़े पैमाने पर प्रवासन शुल्क हो गया। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने खानीय समुदाय को साथ लेकर एक कार्ययोजना प्रारंभ की। वर्स्तु 20,000 महिला जार्यनलों ने इस योजना में भागीदारी की तथा 3500 पुनर्निर्माण कुओं तथा अनेक चेकडैम ज्ञा निर्माण किया ताकि नागनधी नदी को दोबाज अपने रखलप में यहां के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार दराजों से सूखा झेल रहे इस क्षेत्र में जल-राफ्ट की समस्या खत्म हो गई।



महाराष्ट्र का गणेशवाडी गांव

लदाख की विशिष्ट पारिस्थितिकी के कारण वहां भी जल-संकट लगातार गहराता जा रहा है। वर्तुतः वहां अधिकांश जलापूर्ति ग्लोबलर के माध्यम से होती है किंतु हाल के दिनों में इसमें कमी आई है जबकि कृषि कार्यों में जल की खपत लगातार बढ़ रही है। इससे भूमि जल-स्तर गर्भीर असर पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए 'लदाख महिला संगठन' जिसमें आसायस के सी से अधिक गांवों की लगभग 4000 महिला सदस्य हैं, लगातार प्रयासरत है। यह संगठन पहले भी वहां प्लास्टिक को सफलतापूर्वक प्रतिबंधित करा चुका है तथा अब वहां की महिलाओं ने ठार लिया है कि कृषि वाकनीक को दीक फरके जल संकट की समस्या को भी दूर किया जाएगा।

इसी प्रकार गांव प्रदेश के खाड़वा ज़िले के एक गांव में जब जल राफ्ट लगातार गहराता चला गया तो वहां की महिलाओं ने मात्र चालीस दिनों में एक कुएं को तैयार कर लिया। केरल में तो महिलाओं के समूह ने टौकड़ों सुरक्षित कुएं निर्मित कर रापूर्ण ग्रामीण समुदाय की जल समस्या दूर की। वर्तुतः ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां महिलाओं ने जल उपयोग को कहीं अधिक संतुलित बनाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई।

व्यापिसागत प्रयास — सामूहिक लाभ

इस कड़ी में सबसे पहले राजेंद्र सिंह का नाम लेना होगा जो अपने मूल नाम से कम तथा अपने अमनाम 'जल पुरुष' के नाम से अधिक जाने जाते हैं। राजस्थान में जल संकट की समस्या से सभी परिचित थे लेकिन इसका कोई उद्धित समाजान खोज पाना सामय नहीं हो पा रहा था। इन्होंने राजस्थान की पर्याप्ति में ही इसका समाजान कूदा तथा 'जोहड़' वाले जलापूर्ति का प्राप्त बना दिया। जोहड़ दरअसल एक पोखर या तालाब होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से जल को सरक्षित किया जाता है। 20 वर्ष की काठिन मेहनत के बाद उन्होंने कुल 8600 जोहड़ निर्मित किए जिससे आज राजस्थान के हजारों गांव लाभान्वित हो रहे हैं। इन योगदान के लिए उन्हें विश्व प्रतिष्ठित 'स्टोफ़होम बॉटर प्राइज़' भी



उत्तराखण्ड में सोता जीणीद्वारा

मिला। इन्होंने न केवल सज्जस्थान में जल सकट को दूर करने का प्रयास किया बल्कि यह भी कहाया कि पारपरिक तरीकों की अपनाना अधिक श्रेयस्कर है।

पिछार का मार्ग थेट्र जो प्राचीनकाल में उभज की थिए से उर्वर क्षेत्र हुआ करता था, वो आजानी की बाद कमश सूखे क्षेत्र में बदलते गए। रिपोर्ट इनी पिकट से पाइ कि पैरेजल के सभी सोत सूखने लगे तथा गृणि जल-खत 200 फीट तक पहुच गया। सरकार द्वारा लैंफर रेखानीय समुदाय इसी लीक करने में जुटे थे, इसी क्रम में 'रविद्र पाटक' का ध्यान जल सरकार के उन प्रामौल तरीकों की ओर गया जिससे यह क्षेत्र जलापिया की रिक्ति में रहता था। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और पाया कि 'वैन' य 'जहरा' का जीणीद्वार द्वारा एकमात्र रामायन है क्योंकि इसी के गाथ्यम से नदी जल करती पाता है। इसके बाद इन्होंने स्थानीय ग्रामीणों को इसके लिए ग्रोल्लाहित करना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज यहां करीब 250 गांव पैन के माध्यम से रिक्ति कर रहे हैं।

कनौटक ने 'अयप्पा मसीगी' ने दो तरीके से जल सरकार को बढ़ावा दिया। एक, इन्होंने गैर-सिंधु पर आधारित कृषि मॉडल को विकसित किया। सकनीयी क्षेत्र प्राप्त अयप्पा ने सूखे क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक खेती की तथा इस मॉडल को आरपास में प्रोत्त्वाहित भी किया। दूसरा, इन्होंने जल सरकार के लिए जीलों के निर्माण पर बल दिया तथा देशभर में करीब 600 जीलों को बनाया। जाति ही इन्होंने 11 राज्यों में हजारों संरक्षणकारी योजनाओं को गृहीत प्रदान किया।

एक अन्य उदाहरण देखें तो 'अमला लक्ष्या' का नाम लिए जा सकता है जिन्होंने राजस्थान के सैकड़ों गांवों की तस्वीर बदल दी। उनका मुख्य जोर जल सरकार के परस्परागत तरीकों की अपनाने पर रहा ताकि ग्रामीण इसे आरानी से आत्मसात भी कर सके तथा सनका गरेता भी इस पर रहे। इसके अतिरिक्त, उनके द्वारा प्रोत्त्वाहित यैकल्डीग के निर्माण से लाखों ग्रामीणों की आर्थिक उत्पादिता बढ़ी। आज ऐसे सैकड़ों गांव हैं जो सिर्फ़ इन्हीं सदलावों की वजह से उन्नति कर रहे हैं।

और अंत में फिर 'अनुपम मिश्र' की ओर लौटना होगा क्योंकि सनगी चत्ती किए बिना जल सरकार की कोई बात पूरी नहीं हो सकती। जिन्होंने इस गुहिम को एक भाषा दी है और एक ऐप्लिकेशन भेजानी भी कि कैसे रथनीय विशेषताओं पर जागरित जल सरकार के समाज से दूर हो जाने से नागरिक समुदाय आण चूद-चूद पानी को तरसा रहा है। अनुपम मिश्र जल तालाब की बात करते हैं ताकि दरअसल हम सबके अंदर पानी के रहने की बात नहीं है। हम उभीद कर सकते हैं कि अंततः ये पिनती के उदाहरण विस्तार पाएंगे और जल-जीवन परस्पर पूरक हों जाएंगे।

(लेखक उन्नत गवालर के तथा पर्यावरण एवं पारिवर्तनिक परिक्रमाओं के लिए सिखते रहे हैं)

  Help us to help you

नोवल कोरोनावायरस (COVID-19)

कोरोनावायरस से बचाव के उपाय


आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी, सबको सुरक्षा के लिए जरूरी



जल्दी बाहरी सौ बाट-बाट पालन की बातों से बीचे।



साधूर और नाई उपचार न हो तो, जल से कम 60 सेकंड बालों-बालों के लिए देखावाकर बन जानी।



जल्दी कानें, जल्दी बाहर सूख की बुनी तो पालने हुए भी बीचे।



प्रोत्त्वा नियंत्रण की बात करना बहुत जल्दी करना।



दीकों और जानवरों जल्दी नाम और गुंजा भी करना। तिन से बचें।



सामाजिक दूरी करनी और चीज़-चीज़ का नामहीन करना।

जल्दी बाहर, जल्दी या साथ जैसे से बदलती ही जल्दी जल्दी नहीं हो सकता। तो 'जल्दी जल्दी' देखावाकर नेतृत्व से अपनाया यह परिवर्तन जल्दी नहीं हो सकता।

नोवल कोरोनावायरस के लिए जल्दी करना। नोवल कोरोनावायरस के लिए जल्दी करना।

1075 (ट्रोल फ्री) | **011-23978046**

ई-मेल: ncoev2019@gov.in, ncoev2019@gmail.com



प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय

- प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति प्रवासी कामगारों के लिए सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जैव कामगार दो महीनी यानी मई और जून, 2020 के लिए प्रति महीने दोनों कामगार 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलोग्राम यह का नुस्खा आवंटन किया जाएगा। राज्यीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आने वाले या राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बिना राशन काढ़ याले ऐसे प्रवासी कामगार इसके पात्र होंगे, जो क्षेत्रमें फिसी क्षेत्र में फसे हुए हैं। राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों को योजना के तहत संशित वितरण के लिए एक तंत्र विकसित करने का प्रारंभ दिया जाएगा। इसके लिए 8 लाख एमटी खाद्यान्न और 50,000 एमटी चंदे का आवंटन किया जाएगा। इस पर होने वाला कुल 3,500 करोड़ रुपये के ख्यय का फहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।
- प्रवासियों को भारत में किसी भी फेयर प्राइस शॉप (उचित मूल्य वाली दुकान) से पीडीएस (राशन) खरीदने में राशन बनाने के लिए मार्च, 2020 तक प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग होगा—एक राष्ट्रीय एक राशन काढ़।
- राशन काढ़ की पोर्टेफिलिटी की पायलट योजना का 23 राज्यों तक विस्तार किया जाएगा। इससे अगस्त, 2020 तक राशन काढ़ की राष्ट्रीय-स्तर पर पोर्टेफिलिटी के द्वारा 67 करोड़ लाभार्थियों यानी 43 प्रतिशत पीडीएस आवादी को इसके दायरे में लाया जाएगा। 100 अंतिम राष्ट्रीय पोर्टेफिलिटी के लक्ष्य को मार्च, 2021 तक हासिल कर लिया जाएगा। यह पीएम की तकनीक आधारित व्यवस्थागत सुधारों की मुहिम का हिस्सा है। इस योजना से प्रवासी कामगार और उनके परिवार के सदस्य देश की किसी भी फेयर प्राइस शॉप से पीडीएस का लान लेने में सहाय हो जाएंगे।
- प्रवासी शमिकों और धार्हरी गरीबों के लिए सरकारी किराये के आवास परियारों की योजना शुरू की जाएगी। केंद्र सरकार प्रवासी शमिकों और धार्हरी गरीबों के लिए सरकारी किराए पर रहने वाली सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। सरकारी किराए के ये आवासीय परियार प्रवासी शमिकों, धार्हरी गरीबों और छात्रों जादि को सामाजिक सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करेंगे। ऐसा शहरों ने सरकारी किराए के आवासीय परियारों नाव्यन से दीपीपी भोड़ के तहत सरकारी किराए के आवासीय परियारों (एवारएचरसी) में परिवर्तित करके किया जाएगा। इस योजना का गुरु विवरण निम्नान्यता/विवरण द्वारा जारी किया जाएगा।
- शिशु गुदा क्रृषि लेने वालों की 12 महीने के लिए 2 फीसदी व्याज की छूट—1,500 करोड़ रुपये की राशन भारत सरकार नुस्खा शिशु गुदा लेने वालों ने गोदृगुप्तान करने वालों की 12 महीने की अवधि के लिए 2 फीसदी का व्याज प्रदान करेगी, जिनके क्रृषि 50,000 रुपये से कम के हैं। गुदा शिशु क्रृषि का बहुमान पोर्टफोलियो लगान 1.62 लाख करोड़ रुपये का है। शिशु गुदा क्रृषि लेने वालों को इसने लगान 1,000 करोड़ रुपये की राशन दिलेगी।
- स्ट्रीट बैंडरों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की व्याय मुश्किल स्ट्रीट बैंडरों द्वारा लोड्डा बिक्री में सरकार प्रौद्योगिक सुविधा प्रदान है। स्ट्रीट बैंडरों द्वारा लोड्डा बिक्री में 2 लाख करीब लागे वाली अतिक्रम नीति की व्याय। इसके तहत 2.5 करोड़ योजनाएँ पर कारबंक लागें।

- मीठर एक विशेष योजना शुरू की जाएगी ताकि उन्हें अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सहाय बनाया जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक उद्यम के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक बायोंजील पूँजी की बैंक ऋण सुविधा दी जाएगी। यह योजना शहर के साथ-साथ प्रायोगिक क्षेत्रों के विक्रेताओं को भी कारबंक फरंगी जो आसपास के शहरी इलाजों में व्यवसाय करते हैं।
- पीएमएवाई (शहरी) के तहत एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंकड समिक्षियों योजना के विस्तार के माध्यम से आवासन देव और मध्यम आय रानुह को 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्याहन। क्रेडिट लिंकड समिक्षियों योजना को माध्यम आय सनुह के लिए (6 से 18 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय) मार्च 2021 हाल बढ़ावा दिया जाएगा। इससे 2020-21 के दौरान 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लान होगा और आवासन होवे में 70,000 करोड़ रुपये तो अधिक का निवेश होगा। आवास देव को बढ़ावा देकर ऐचडी सल्फ्यू में नीकरिया पैदा करेगा और इसमें, सीमेंट, पर्सिम्हून व अन्य निर्माण सामग्री जैसी मांग को प्रोत्याहित करेगा।
- कैम्बा फैड का उपयोग करते हुए योजनार सृजन के लिए 6000 करोड़ रुपये। शासीपूरक पर्नीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (ईम्पा) द्वारा आगंत लगान 6000 करोड़ रुपये वाली निवेशों का उपयोग शहरी क्षेत्रों सहित कार्यकरण एवं बुधारोपण कार्यों, कृषिम पुनरुत्थान, सहायता प्राप्ति प्राकृतिक पुनरुत्थान, बन प्रयोग, मुदा एवं आईटी संरक्षण जायी, बन संरक्षण, एवं एवं बन्याजीव रासायनी तुनियादी सुविधाओं के विकास, बन्याजीव संरक्षण एवं प्रबंधन जादि में किया जाएगा। भारत सरकार 6000 करोड़ रुपये तक की इन योजनाओं को तत्काल रूपीकृति प्रदान करेगी। इससे शहरी और धार्हरी क्षेत्रों में और जनजातीय (आदिवासियों) के लिए बेंजार के अवसरों का सुरक्ष देगा।
- नावाने के माध्यम से किसानों को लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कारीगरील पूँजी ग्रामीण सामग्री देको और आकाशीयी की परियार जान आवासकर्ता को पूरा करते हो लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पुनर्विधीयन सामग्री प्रदान करेगा। इस पूँजी के लिए अतिरिक्त रुपये से अतिरिक्त रुपये हैं, जो बायो-ग्राम एवं बायो-ग्राम रखने की जाएगी। इसी व्यापक 3 करोड़ किसानों को कारबंक देंगे, जिनमे आवासकर्ता भी हैं और इससे अलगी रुपी की कारबंक कराई के बाद भी अतिरिक्त रुपये की गोल्डून लगते रहेंगी।
- किसान मॉडिल कार्ड गोपनी के बाद 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करीब रुपये का आय देनेवाला ग्रामीण वित्त के बहुमानी वाली गोपनी की वित्त एवं वित्त अपेक्षित है। गोपनी वाली वित्त के बहुमानी वाली गोपनी की वित्त एवं वित्त अपेक्षित है। इसके बाद 2 लाख करीब लागे वाली गोपनी वाली गोपनी की वित्त एवं वित्त अपेक्षित है। इसके बाद 2.5 करोड़ किसानों पर कारबंक लागेगा।